राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का ३९ वां दिवस [संख्या २६

शुक्रवार, दिनांक २० अप्रेल, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, गृह, राजस्व, उद्योग एवं वाणिज्य, सार्वजनिक निर्माण, सहायता एवं पुनर्वास, विकास, यातायात, अकालसहायता, जन-सम्पर्क, विद्युत एवं खनिज-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

राजकीय माध्यमिक शालायें

२७२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजकीय माध्यमिक शाला, उदयरामसर, ऊदासर एवं शेखसर, जिला बीकानेर को अपग्रेड करने के सम्बन्ध में सरकार क्या क़दम उठा रही है?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : राजकीय माध्यमिक शाला, उदयरामसर, ऊदासर एवं शेखसर को अपग्रेड करने के प्रश्न पर यदि ये शालायें सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करती होंगी तो ऐसी ही दूसरी शालाओं के साथ साथ इन पर भी विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

उदयपुर जिले में चोरियों आदि के मामले

२७३. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर जिले में १ जनवरी, सन् १९६१ से लेकर २८ फरवरी, १९६२ तक कितने कत्ल, कितने फरारी केस कितनी डकैतियां तथा कितनी चोरियां हुई?

(२) चोरी तथा डकैती में कुल कितनी धन-राशी गई तथा उसमें से कितनी वसूल हुई?

Page No 2

(श्री विजयसिंह झाला)

(३) फरारी केसेज़ में औरतों की बरामदगी कितनी हुई तथा कितनी होनी बाकी है ?

(४) कत्ल के केस कितने हैं जिनके कातिल अभी तक नहीं पकड़े गये ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) उदयपु जिले में १ जनवरी, १९६१ से २८ फरवरी, १९६२ तक कुल ३१ घटनायें कत्ल, १२३ घटनायें फरारी, २ घटनायें डकैती एवं ५७४ घटनायें चोरी की घटित हुईं ।

(२) चोरी की ५७४ घटनाओं में कुल १,७८,७१६.७१ नये पैसे की धनराशि चोरी गई व १,३४,४५८.१५ नये पैसे की धन-राशि वसूल हुई । डकैती की दो घटनाओं में कुल ३४२. १२ नये पैसे की धन राशि गई । दोनों प्रकरण अदमपता रहे ।

(३) फरारी के १२३ प्रकरणों में कुल १२० औरतें फरार की गईं जिनमें से ९५ औरतें बरामद कर ली गईं और २५ औरतों की बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है ।

(४) कत्ल के ४ प्रकरणों में अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गये हैं ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उदयपुर में इतनी औरतें क्यों फरार होती हैं ?

श्री विजयसिंह झाला : जो चोरियों का माल बरामद हुआ और जिनका माल चोरी में गया उनको वह पहुंचा या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : जो चोरियों का माल बरामद हुआ वह अदालत में पेश कर दिया गया । अदालत के हुक्म से चोरी का माल वापिस दिया जाता है ।

श्री विजयसिंह झाला : ये जो फरारी के केसेज़ हुए इनमें आपने कितनी औरतें बताई ?

श्री मथुरादास माथुर : १२३ में से ३ तो आदमी फरार हुए और १२० औरतें फरार हुईं ।

बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ एकत्रित की गई धनराशि

२७४. **श्री दयाचन्द** (बारां सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि आज से करीब ५ वर्ष पूर्व बारां नगर में जो भयंकर बाढ़ आई थी उस समय बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ हजारों रुपया बाढ़ पीड़ित कोष में इकट्ठा हुआ था ?

(२) यदि हां, तो कितना रुपया बाढ़ पीड़ित कोष में इकट्ठा हुआ, कितना रुपया पीड़ितों की सहायतार्थ दिया गया और कितना रुपया कोष में बचा ? बाढ़ पीड़ितों को कितनी व किस प्रकार की सहायता दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) बचे हुए कोष का क्या हुआ ?

(४) क्या यह सच है कि बाढ़ से पीड़ित अधिकांश पिछड़ी जाति के ही परिवार थे ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लढ्ढा) : (१) जी हां ।

Page No 3

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये २२,००० रुपया इकट्ठा किया गया उसमें से २ हजार रुपया फ्री राशन के रूप में एवं १३,३७६ रुपया निःशुल्क सहायता के रूप में खर्च किये गये। ६,६२४ रुपये की रकम शेष रही। उपरोक्त धन राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा ६०,००० रुपया गृह निर्माण हेतु बाढ़ पीड़ितों को ऋण स्वरूप बांटा गया था।

(३) बचा हुआ रुपया कोटा रिलीफ फण्ड के पी. डी. एकाउन्ट में सरकार के पास जमा है।

(४) जी हां।

श्री दयाचन्द : इस बाढ़ से करीब कितने परिवारों का नुकसान हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है। इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। आपने तो केवल फण्ड के बारे में पूछा था।

श्री दयाचन्द : क्या बारां नगर में बरसात में ऐसी समस्या रहती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जनरल सवाल है, इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : इसमें खर्चा नहीं है और रुपये रख रहे हैं इसका क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खर्चा नहीं हुआ है इसलिये नहीं हुआ है।

श्री अब्दुलजब्बार : इसका उपयोग ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका उपयोग सम्बन्धित पर्पज़ के लिए हो सकता है।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या ऐसी समस्याएं बारां में नहीं हैं कि उस धन का उपयोग कर सकें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके बाद समस्या नहीं आई थी।

श्री दयाचन्द : क्या ऐसे भी परिवार वहां हैं जिनको सहायता नहीं दी गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस वक्त दी गई थी।

श्री दयाचन्द : क्या आप बता सकते हैं कि कुल कितना नुकसान हुआ और किस आधार पर यह सहायता दी गई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न नहीं है।

श्री दयाचन्द : प्रश्न यह है कि जिनका नुकसान हुआ है उनको सहायता मिली या नहीं और अगर दरअसल में उनको सहायता मिली होती तो बाद में धनराशि नहीं रहती। उसके बचने का सवाल नहीं उठता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बची इसलिए कि जितनी आवश्यकता जिन परिस्थितियों में थी उनको देने के बाद में बची तो वह है।

श्री दयाचन्द : आप नुकसान का अनुमन नहीं लगा सके तो उन परिस्थितियों का अनुमान कैसे लगा सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

को मालूम नहीं कि सन् ५७ में वहां बाढ़ आई थी। उसमें सहायता दी गई। जो बची हुई रकम है वह यह है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या उन पीड़ितों को सहायता मिली या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग प्रश्न है। इससे संबंध नहीं रखता।

श्री विजयसिंह भाला : नहीं, यह प्रश्न से........

श्री दयाचन्द : क्या यह सही है कि वहां पर रकम इकट्ठी हुई थी उसके लिए एक समिति बनी थी और कुछ लोगों को रुपया दिया गया था, बाकी का रुपया वैसे ही रखा हुआ है ? बहुत सा रुपया उस फण्ड में इकट्ठा हुआ था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो खर्च हुआ है उसकी विगत बताई है। बचा हुआ रुपया उसमें है। एक बात मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि सारे अकाउन्ट्स उसके नियमानुसार ऑडिट हो चुके हैं। इस तरह की कोई गड़बड़ होती तो सामने आ जाती।

श्री अध्यक्ष : भीमसेन।

प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन

२७५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गांव करमीसर, नाल बड़ी, पूगल, तहसील बीकानेर एवं खिपेरा, जागौर तहसील। लूणकरणसर की प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : अभी तक प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन करने का प्रश्न विचाराधीन है और कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्राथमिक शाला करमीसर, नाल बड़ी, पूगल, खिपेरा, जागौर में माध्यमिक शाला खोलने के प्रश्न पर ऐसे ही दूसरे स्कूलों के साथ साथ यदि ये भी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते होंगे तो विचार किया जावेगा।

श्री भीमसेन : सरकार इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लेने वाली है ?

श्री परसराम मदेरणा : १५-२० रोज के बाद में।

तांबे का वितरण

२७६. **श्री माधोलाल खानपुरिया** (अटरू) : क्या उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १९६०, १९६१ व १९६२ में संचालक, उद्योग विभाग द्वारा किन किन उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों को कितना कितना तांबे का वितरण किया गया ?

(२) उक्त उद्योग एवं प्रतिष्ठानों द्वारा राजस्थान में कितनी व क्या क्या वस्तुएं उत्पादित की गई ?

(श्री माधोलाल खानपुरिया)

(३) कितने उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों को उद्योग व वाणिज्य विभाग के संचालक ने तांबा देने से इन्कार कर दिया अथवा उनकी दर्ख्वास्तों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : सन् १९६० व १९६१ में जिन उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों को तांबा वितरित किया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अक्टूबर, १९६१ से मार्च, १९६२ तक के वितरण के लिये भी भारत सरकार के पास सिफारिश भेज दी गई है।

(२) यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। डिप्टी डाइरेक्टर्स के कार्यालयों से मांगी गई है।

(३) २३

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

बस स्टेन्ड आदि बनाने की योजना नगरपालिका, नाथद्वारा

२७७. श्री **विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नाथद्वारा नगरपालिका की ओर से जरिये पत्र संख्या ७०४।सन् ६०।ए दिनांक २२-७-६० को चीफ इन्जीनियर, पी. डब्लू. डी. को पार्क, मार्केट, बस स्टेण्ड आदि बनाने की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए प्रेषित की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस योजना के प्रेषित किये जाने के बाद कई रिमाइण्डर्स दिये गये थे ? यदि हां, तो नगरपालिका की इस योजना पर चीफ इन्जीनियर ने क्या कार्यवाही की ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं, इस योजना के लिए ऋण व सहायता देने का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं थी।

श्री विजयसिंह झाला : यह जरा समझ में नहीं आया, 'जी हां'। उसकी बात और स्पष्ट कर दें।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : योजना तो आई थी, लेकिन उसका सम्बन्ध स्वायत्त-शासन विभाग से है। उनसे जानकारी की जाया।

प्रश्न संख्या २७८

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये) नेक्स्ट।

विस्थापित परिवारों को ऋण

२७९. श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या सहायता एवं पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि बारां उप-जिला क्षेत्र की किशनगंज तहसील में निमित बंगाली विस्थापितों की हट्टी एवं परनिया

Page No 6

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कॉलोनी में रहनेवाले विस्थापित परिवारों को अभी तक हाउस मेन्टीनेन्स ऋण नहीं दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने बंगाली विस्थापित परिवारों के लिये हाउस मेन्टीनेन्स लोन की रकम राजस्थान सरकार को कई वर्ष पूर्व ही दे दी थी ? यदि हां, तो कितनी व कब ?

(ग) क्या सरकार उक्त ऋण के वितरण के सम्बन्ध में कोई कदम उठा रही है ?

उप-मन्त्री, पुनर्वास (श्री परसराम मदेरणा) : (क) बारां उपजिला क्षेत्र की किशनगंज तहसील में निर्मित बंगाली विस्थापितों की हट्टी एवं परानिया कॉलोनी में रहने वाले विस्थापितों के परिवारों को क्वार्टर दिये गये है। हाउस मेन्टीनेन्स ऋण की कोई स्वीकृति स्कीम में भी नहीं है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने बंगाली विस्थापित परिवारों के लिए हाउस मेन्टीनेन्स ऋण की कोई रकम स्वीकृत नहीं की थी।

(ग) जब ऋण की स्वीकृति ही नहीं नहीं दी गई तो वितरण का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता।

श्री दयाचन्द (बांरा-सु.) : कितने परिवारों को जहां पर बसाया गया था ?

श्री परसराम मदेरणा : ३४ परिवारों को बसाया गया था।

श्री दयाचन्द : और अब कितने वहां पर मौजूद हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह इन्फोर्मेशन मेरे पास अभी नहीं है कि उनमें से वहां पर कितने हैं और कितने वापिस चले गये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या इस काम के लिए कोई सहायता नहीं दी गई ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि अर्ज किया कि हाउसिंग लोन की जो स्कीम थी उसके अन्तर्गत क्वार्टर्स उन्हें दिये गये थे लेकिन हाउस मेन्टीनेन्स की कोई रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई थी। इसलिए यह हाउस मेन्टीनेन्स की रकम देने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री दयाचन्द : क्या यह सच है कि खेती के लिए बैल वगैरह जो दिये गये थे वे थके हुए, बूढ़े थे और उनसे वे खेती नहीं कर पाये ?

श्री परसराम मदेरणा : इससे इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह तो सहायता और ऋण के अन्दर किया जाता है। क्या बैलों के लिए ऋण दिया गया था या खरीद कर दिये गये थे, इसकी जानकारी आपने नहीं की ?

श्री परसराम मदेरणा : यों तो क्वार्टर्स बनाने का प्रश्न था। बैलों के लिए ऋण का प्रश्न कहां से उठता है ?

श्री विजयसिंह झाला : बंगाल से जो आये थे उनकी सहायता के लिए जो अमाउन्ट भेजा था उसकी जानकारी करना आवश्यक था।

श्री परसराम मदेरणा : जानकारी करने के बारे में अलग से प्रश्न पूछें। यह इसमें नहीं आता।

प्रधानों से परामर्श बिना स्थानान्तरण

२८०. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा एवं विकास विभाग के विभिन्न अध्यक्षों द्वारा क्रमशः विकास अधिकारियों एवं प्रसार अधिकारियों के बांसवाड़ा जिले में स्थानान्तरण प्रधानों के परामर्श के बिना किए गये हैं? यदि हां, तो कितने एवं कौन कौन सी पंचायत समितियों से किए हैं?

(ख) क्या पूर्वोक्त स्थानान्तरणों से राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, १६५६ की धारा २६ (ग) का उल्लंघन होता है? यदि हां, तो उल्लंघन करनेवाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है?

(ग) क्या इन पूर्वोक्त स्थानान्तरणों से उत्पन्न स्थिति अर्थात् विकास कार्य में पूर्ण रुकावट को ठीक करने के लिये राज्य सरकार ने पूर्वोक्त स्थानान्तरणों को निरस्त करने के आदेश दे दिये हैं? यदि नहीं दिये हैं तो अन्य क्या उपाय किये हैं?

उपमन्त्री, विकास (श्री दिनेशराय डांगी) : (क) जी हां। दो विकास अधिकारियों एवं ४ प्रसार अधिकारियों के स्थानान्तरण हुए। विकास अधिकारी पंचायत समिति घाटोल, मंडी और बागीडोरा से स्थानान्तरित किये गये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) विकास कार्यों की प्रगति में कोई रुकावट नहीं हुई। अतः उक्त स्थानान्तरण निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या ये स्थानान्तरण आम चुनावों के एन मौके पर किये गये थे?

श्री दिनेशराय डांगी : जी हां।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तो क्या सरकार इसका कारण बता सकती है कि एक दम इस प्रकार के जो स्थानान्तरण किये गये थे उनके क्या कारण थे?

श्री दिनेशराय डांगी : इनमें से कई बीमार थे, कई प्रशिक्षण केन्द्रों के अन्दर गये हुए थे और कई जगह तहसीलदार विकास अधिकारी बनाये गये थे। तो ऐसे मामलों में उस समय पूर्ति नहीं की गई थी तो वह भेजे गये थे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बीमार कौन कौन से व्यक्ति थे और साथ में यह भी निवेदन है, कि क्या उन्हें मेडिकल लीव ग्रान्ट की गई है उस बेसिस पर और इतने कितने लम्बे अर्से की लीव पर थे कि जिसमें स्थानान्तरण करने की जरूरत समझी गई?

श्री दिनेशराय डांगी : (१) तलवाड़ा श्री किशोरसिंह ने विकास अधिकारी के पद का कार्यभार दिनांक ८-१०-५६ को सम्भाला। वे ६-४-६० से ६-७-६० के प्रशिक्षण सत्र में गये हुए थे। चूंकि श्री किशोरसिंह के स्थानान्तरण की तिथि के रोज पंचायत समिति कार्य नहीं कर रही थी, अतः प्रधान से परामर्श नहीं किया।

(२) श्री केशवलाल को पीपलखूंट के तहसीलदार के पद पर रहते हुए विकास अधिकारी का कार्य सौंपा गया था। राजस्थान सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि छाया-खंडों के सम्बन्ध में भी पूरे समय के लिए विकास अधिकारी नियुक्त किये जायं तो उनको हटाकर पूरे समय के लिये विकास अधिकारी रखा गया।

(३) श्री मोहनलाल पशु-पालन प्रसार अधिकारी के पद पर थे। वे बीमार थे और यह उम्मीद थी कि वे काम नहीं कर सकेंगे और प्रधान भी चाहेंगे कि उनका स्थानान्तरण कर दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सुनाई नहीं दे रहा है, साहब। मंत्री महोदय जरा गले पर जोर डालें।

श्री दिनेशराय डांगी : (४) श्री राजेन्द्र प्रकाश, उद्योग प्रसार अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें थीं इसलिए स्थानान्तरण किया गया........

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप पहले पढ़ लें और उसके बाद में मुख से कहें तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पढ़ने का अभ्यास घर पर करके आना चाहिए।

श्री दिनेशराय डांगी : श्री राजेन्द्र-प्रकाश, उद्योग प्रसार अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें थीं इसलिए स्थानान्तरण कर दिया गया।

श्री जसवन्तसिंह, सहकारी प्रसार अधिकारी द्वितीय श्रेणी में थे और वे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में चले गये थे।

श्री महेशचन्द्र गुप्त, सहकारी प्रसार अधिकारी को मार्केटिंग के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था इसलिए लौटने पर मार्केटिंग इन्सपेक्टर नियुक्त कर दिया गया।

उक्त मामलों में विकास अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रधान से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तलवाड़ा प्रशिक्षण में भेजे गये थे। वे प्रशिक्षण केन्द्र के अन्दर रुके थे।

श्री हीराभाई : क्या माननीय मन्त्रीजी यह बतायेंगे कि जिन विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण हुआ है उनका दूसरे विकास अधिकारियों ने चार्ज लिया था वह कितने दिन बाद लिया था ?

श्री दिनेशराय डांगी : फिर से फरमाइये।

श्री हीराभाई : आपने विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण किया; दूसरे जो भेजे गये उन्होंने कितने दिन बाद आकर चार्ज सम्भाला ?

Page No 9

श्री दिनेशराय डांगी : दूसरे नहीं भेजे गये। उन्हीं में से जो प्रशिक्षण केन्द्र में थे उनको दिया गया, कहीं तहसीलदार को दिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसी व्यवस्था करिये कि जो कमजोर हैं उनको आगे बैठाइये, नये लोगों को आगे आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई : आप यहां तलवाड़ा और बागोडोरा की बात करते हैं। लेकिन पीपलखूंट में तीन बार स्थानान्तरण हुआ। एक केशवलाल का हुआ, दूसरा बृजमोहन का हुआ और तीसरे का नाम मैं नहीं जानता, उसको भी छुट्टी पर भेज दिया गया। एक बार में तीन तीन स्थानान्तरण हुए थे।

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : आपकी भी बात समझ में नहीं आती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनकी भाषा तो आपको समझनी पड़ेगी।

पंचायत मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : पीपलखूंट की बात आप कर रहे हैं। वहां पर पहले छाया-खण्ड था इसलिये वहां का तहसीलदार बी० डी० ओ० का काम कर रहा था। शुरू शुरू में ऐसी व्यवस्था थी। बाद में गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि जहां छाया-खण्ड हैं वहां भी अलग बी० डी० ओ० रखा जाय इसलिये दूसरे को भेजा गया।

श्री अध्यक्ष : विकास अधिकारी का स्थानान्तरण करते समय पंचायत समिति को पूछना अनिवार्य नहीं है क्या?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां। पंचायत एक्ट की धारा २६ (ग) के अन्तर्गत उनको पूछना आवश्यक नहीं था। एक बी० डी० ओ० ट्रेनिंग में गया हुआ था, उसकी जगह दूसरे को लगा दिया। जिस पीपलखूंट की बात कर रहे हैं वहां पर जैसी व्यवस्था पहले थी वैसे सारे राजस्थान के छाया-खण्डों में थी। जब सरकार ने यह निर्णय लिया कि छाया-खण्ड में भी अलग बी० डी० ओ० होना चाहिये तो तहसीलदार को हटा कर दूसरे को भेज दिया गया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या यह सही है कि २ अक्टूबर, १९६० को छाया खण्डों में भी बी० डी० ओ० अलग कर दिया गया था? तहसीलदार और बी० डी० ओ० एक नहीं थे?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसीलिये तो जो तहसीलदार और बी० डी० ओ० का भी काम कर रहा था उसको हटाया गया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : निवेदन यह है कि एक साल में तीन बार बी० डी० ओ० को हटाया गया और एक बार भी पंचायत समिति को नहीं पूछा गया, उसका क्या कारण है?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने निवेदन किया कि परिस्थिति ऐसी ही थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक बार की तो परिस्थिति आपने बताई लेकिन तीन बार बगैर पूछे कैसे स्थानान्तरण हुआ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

Page No 10

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एक माननीय सदस्य : सरकार का कानून बना हुआ है कि प्रधान की पहले अनुमति लिये बिना बी० डी० ओ० का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता और ३ बार बिना पूछे स्थानान्तरण हुआ तो कानून का उल्लंघन हुआ या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

लड़कियों के लिये कॉलेज

२८१. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या सरकार को यह मालूम है कि अलवर शहर में लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए कोई अलहदा लड़कियों का कॉलेज न होने के कारण वहां की जनता में तीव्र असन्तोष है ?

(ब) क्या सरकार आगामी सेशन से या निकट भविष्य में अलवर में लड़कियों का कॉलेज खोलने का विचार रखती है ?

(स) अगर नहीं, तो क्यों ? अगर हां, तो कब से ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (अ) जी नहीं । सरकार को तीव्र असन्तोष के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ब) जी नहीं ।

(स) क्योंकि इस समय राजऋषि कॉलेज, अलवर में कुल छात्र-छात्राओं की संख्या १२,०० से कुछ अधिक है जिसमें लगभग ६५ छात्रायें हैं । अलवर जिले में एक और कॉलेज की आवश्यकता सुदूर भविष्य में हो सकती है, परन्तु यह विचारणीय प्रश्न है । दूसरा कॉलेज सम्मिलित कॉलेज हो अथवा केवल गर्ल्स कॉलेज हो, निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी जब जब अलवर गये हैं तब तब उनसे लड़कियों का अलग कॉलेज खोलने की मांग की गई ?

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मन्त्रीजी ने एज्यूकेशन की डिमान्ड का उत्तर देते समय माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया था कि जब कभी सरकार राजस्थान में गर्ल्स कॉलेज खोलने की बात सोचेगी तो वह अलवर में पहले होगा । लेकिन निश्चित तौर से आश्वासन नहीं था कि कब खोली जायगी । जब कभी गर्ल्स कॉलेज खोलने का प्रश्न आयेगा तब अलवर के बारे में विचार किया जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तब पहले प्रश्न का उत्तर सही नहीं है । वहां गर्ल्स कॉलेज खोलने की आवश्यकता महसूस करते हैं और इसके लिये मांग बार बार आई है, यह सही है । मन्त्रीजी ने उत्तर दिया वह सही नहीं है कि जनता में असन्तोष है, यह मांग है इसका उत्तर सही नहीं है । असंतोष है ।

श्री परसराम मदेरणा : मांग तो सदन के सामने भी पेश की थी लेकिन तीव्र असंतोष नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : असंतोष तीव्र नहीं है, लेकिन मांग तो है ।

टोंक में उद्योग स्थापन

२८२. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।–

(१) क्या यह सही है कि सरकार की टोंक (प्रोपर) में कोई इन्डस्ट्री लगाने की योजना है ? यदि हां, तो कौनसी इन्डस्ट्री लगाई जावेगी ?

(२) क्या यह सही है कि गत वर्ष भूतपूर्व उद्योग मंत्री द्वारा टोंक में किसी इन्डस्ट्री का शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

(३) क्या यह भी सही कि उसका कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

(४) राज्य सरकार उसको चालू करने का कब तक विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद):
(१) जी हां । टोंक में एक इन्डस्ट्रियल एस्टेट खोलने की योजना है ।

(२) इस एस्टेट का भूतपूर्व उद्योग मंत्री ने शिलान्यास किया था । नक्शे व एस्टिमेट्स तैयार किये जा चुके हैं तथा राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

(३) जी हां । कारण ऊपर बताया जा चुका है ।

(४) जी हां, शीघ्र ही ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि वहां पर क्या उद्योग लगाया जायगा ?

श्री चन्दनमल वैद : प्राइवेट तौर से कोई भी उद्योग लगाया जा सकता है । लेकिन सरकार वहां पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने की योजना रखती है ।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या कारण है कि सरकार की ओर से आज तक कोई उद्योग नहीं लगाया गया और लोगों की रोजी-रोटी का मसला हल करने की ओर कदम नहीं उठाया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं निवेदन कर चुका हूँ कि सरकार इन्डस्ट्रियल एस्टेट लगाने की कोशिश कर रही है । जो भी प्राइवेट तौर पर वहां इन्डस्ट्री लगाना चाहेंगे उनको सुविधा दी जायगी ।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या प्राइवेट एन्टरप्रिनियर्स की इस संबंध में कोई एप्लीकेशन्स आई हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्राइवेट एन्टरप्रिनियर्स ने इस विषय में दर्ख्वास्त दी है क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : मुझे इसकी जानकारी नहीं है इन्डस्ट्रियल एस्टेट का प्रश्न पूछा था उसका जवाब दे दिया ।

श्री दिग्विजयसिंह : इन्डस्ट्रियल एस्टेट के निर्माण के कार्य आरम्भ कर चुके हैं या नहीं ? यदि हां, तो कितनी लागत लग चुकी है ?

श्री चन्दनमल वैद : एस्टिमेट बन चुका है जो सरकार के विचाराधीन है ।

Page No 12

श्री अध्यक्ष : केवल शिलान्यास हुआ है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या शिलान्यास बिना सरकार की स्वीकृति के कर दिया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : इसका यह मतलब नहीं है कि बिना स्वीकृति के हो गया। एस्टिमेट तैयार हो गया है, सरकार के विचाराधीन है। फाइनेन्शियल सेंक्शन मिलने पर काम शुरू हो जायगा।

श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या शिलान्यास बिना स्कीम के होता है ?

श्री चन्दनमल वैद : इसका यह मतलब नहीं है कि बिना स्कीम शिलान्यास हो गया है। इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने की स्कीम है उसके एस्टिमेट्स बन कर आये हैं, फाइनेन्शियल सेंक्शन मिलने पर काम शुरू हो जायगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या टैक्निकल सेंक्शन की जरूरत नहीं होती भवन निर्माण के कार्य में ?

श्री चन्दनमल वैद : प्लान्स तैयार हो चुके हैं।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह माना जाय कि बिना टैक्निकल सेंक्शन के शिलान्यास हो गया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का क्या प्रश्न है ? वे स्वयं कह रहे हैं कि एस्टिमेट बन गये हैं, फाइनेन्शियल सेंक्शन होने पर काम शुरू होगा।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, चुनाव के दिनों में मत लेने के लिये शिलान्यास किया गया। बाकी जब तक टैक्निकल सेंक्शन नहीं होती तब तक शिलान्यास नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : यह परिपाटी प्रजातंत्र के विरुद्ध है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : वहां पर शिलान्यास करने का क्या कारण उपस्थित हो गया था ?

श्री चन्दनमल वैद : क्योंकि इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाना था इसलिए शिलान्यास किया गया।

श्री विजयसिंह झाला : इससे पूर्व टैक्निकल सेंक्शन नहीं की थी और धन-राशि स्वीकृति नहीं हुई थी तो इतनी जल्दी करने का क्या कारण था, क्या म्युनिसिपल चुनाव होनेवाले थे ?

श्री चन्दनमल वैद : इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने के लिए शिलान्यास हुआ। उसके प्लान्स वगैरह बन गये हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या यह सही है कि वर्तमान स्वास्थ्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था म्युनिसिपल चुनाव के संबंध में कि वहां पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने का कार्य शुरू हो जायगा और उसको पूरा करने के लिए यह उद्घाटन का कार्य किया गया ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

श्री विजयसिंह झाला : एक प्रश्न और रह गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इसके नक्शे बने या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

श्री विजयसिंह झाला: इम्पोर्टेन्ट सवाल है, नक्शे बने बिना....

श्री अध्यक्ष : नक्शे वगैरह सभी बना रखे हैं। नेक्सट।

बसें

२८३. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कोटा से इन्द्रगढ़ चलनेवाली मोटरें कितने ही दिनों से बन्द हैं ?

(ख) क्या यह भी सही है कि बूंदी से पाटन होकर लाखेरी जानेवाली मोटर भी बन्द है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि बूंदी से सरवाड़ वाया पाटन जानेवाली मोटरों का आना, जाना भी बन्द है ?

(घ) क्या यह सही है कि बूंदी से मेंडोली, बराणा, नोताड़ा जाने वाली मोटरें बन्द हैं ?

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त मार्गों पर चलने वाली मोटरों के बन्द होने का क्या कारण है ?

(च) क्या सरकार शीघ्र इन मोटरों का आना-जाना जारी हो, इसकी व्यवस्था करने का इरादा रखती है ?

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी नहीं। कोटा से इन्द्रगढ़ चलने वाली बस नियमित रूप से चल रही है। यह नहर के टूट जाने (लीकेज) के कारण व अत्यधिक मात्रा में पानी बहने के कारण उक्त बस केवल पाटन तक ही चलती थी, परन्तु ता० १६-३-६२ से सिंचाई विभाग ने नहर पर से मोटर जाने की इजाजत दे दी है। अतः एक बस ता० १६-३-६२ से नियमित रूप से इन्द्रगढ़ तक चल रही है।

(ख) जी नहीं। बूंदी से वाया पाठन होकर लाखेरी तक चलनेवाली बस पाटन तक नियमित रूप से चल रही है। पाटन से आगे लाखेरी तक न चलने का कारण यह है कि नहर टूट जाने (लीकेज) व अत्यधिक पानी के बहाव के कारण रास्ता मोटरेबल नहीं है।

(ग) जी नहीं। बूंदी से वाया पाटन होकर सरवाड़ तक चलने वाली मोटर पाटन तक नियमित रूप से चलती है। सरवाड़ तक न चलने का कारण यह है कि नहर के टूट जाने से अत्यधिक पानी के बहाव के कारण रास्ता मोटरेबल नहीं है।

(घ) जी नहीं। बूंदी से मेंडोली बराणा-मोतेड़ा जाने वाली मोटर बराणा तक नियमित रूप से चलती है इसके आगे नोताड़ा तक नहर के टूट जाने व अत्यधिक मात्रा में पानी बहने के कारण रास्ता मोटरेबल नहीं है।

(ङ) उपरोक्त कारणों के कारण ही मोटरें बस रूट के अन्तिम स्थान तक नहीं पहुंच पाती।

(च) सिंचाई विभाग से इस बारे में लिखा-पढ़ी की जा रही है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जैसा कि आपने बताया कि कोटा से इन्द्रगढ़ जाने वाली मोटर बन्द थी, वह चालू हो गई है । बूंदी से पाटन तक जाती है और सरवाड़ तक पहुंचाती है । आपने बताया कि बूंदी से पाटन होकर लाखेरी तक जाने वाली बस चालू है और पाटन से लाखेरी जाने वाली बस बन्द है, नहर के लीकेज के कारण । कोटा से पाटन तक जाने वाली सड़क है वह बन्द है और बूंदी से पाटन जाने वाली बस है, वह इन्द्रगढ़ तक जरूर चलती है । आपने प्रश्न में स्वीकार किया है कि बस इन्द्रगढ़ तक जाने लगी है और बूंदी से पाटन होकर लाखेरी तक चालू है और पाटन से लाखेरी तक की बन्द है । इसका क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि पाटन तक जाती है उससे आगे नहीं जाती ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने बस न चलने का कारण यह बताया कि नहर के लीकेज की बजह से नहीं जाती । दूसरा कारण यह है कि सड़क बनती है, उसमें एप्रोच रोड नहीं बनाते हैं । अभी सड़क बन रही है, वह भारत सेवक समाज बना रहा है, लेकिन एप्रोच रोड नहीं बना रहे हैं । क्योंकि उसमें नेताओं का हाथ है, इसलिए उनसे तकाजा नहीं होता है और रास्ता बन्द है ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझा नहीं, नेताओं का हाथ है····

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैंने कहा····

श्री हरिश्चन्द्र : नेताओं का हाथ है, तो जो एप्रोच रोड हैं उनके लिए पी० डब्ल्यू० डी० को हिदायत कर दी जायगी ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सिंचाई वालों को लिख दिया है, पी० डब्ल्यू० डी० की वजह से बन्द है, वे एप्रोच रोड़ नहीं बना रहे हैं । उसका कारण क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र : हो सकता है । मैं हिदायत कर दूंगा, एप्रोच रोड बननी चाहिए ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रश्न यह है कि नहर पर से बैल गाड़ियों के जाने की इजाजत नहीं है । अगर वे जाती हैं तो उन पर जुर्माने होते हैं और इर्रिगेशन-वाले पकड़ कर ले जाते हैं । कोटा से पाटन तक का चालीस मील का मार्ग ब्लॉक है, उनके पास नहर की वजह से रास्ता नहीं है । क्या सरकार इस प्रकार का रास्ता बना कर उनको सुविधा देगी और अगर रास्ता नहीं बना सकती तो उनको नहर पर आने जाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह अलग प्रश्न है । आपने कहा कि एप्रोच रोड नहीं है और उससे तकलीफ आती है और बस नहीं चल पाती हैं तो मैंने कहा कि एप्रोच रोड बना दी जायगी । अभी उनको नहर पर से जाने की इजाजत मिली है, मोटर चलने लगी है । आपने मोटर के लिए कहा तो मैंने कहा कि उनको नहर पर जाने की इजाजत दे दी है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इजाजत कब से दी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : १६-३-६२ से ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इजाजत के बाद किसी बस का चालान नहीं हुआ है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि एप्रोच रोड क्यों नहीं बनाई है ? "क" का उत्तर देते समय बताया है कि लीकेज इतना सीरियस नहीं है कि जिससे सारा रास्ता बन्द हो जाय, जिससे मोटर नहीं चल सकती। क्या आप नहर के लीकेज को सीरियस नहीं मानते हैं ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): यह नहीं बताया है कि लीकेज नहीं है। यह बताया था कि जितना भयंकर बताया जाता है वह नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह डिग्री कौनसी मुकर्रर की हुई है कि ऐसा रास्ता बन्द हो तो भयंकर होगा ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जनता की सुविधा के लिए टेम्परेरी सीमेंट के पम्प डाल दीजिये जिससे आवागमन जारी रह सके। इससे किसानों को असुविधा होती है। इर्रिगेशन वालों को कहा जाता है तो वहां सुननेवाला नहीं है। इसमें ध्यान देकर जनता को फायदा देना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार भयंकरता की स्थिति तब तक नहीं मानती है जब तक लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन क्रियेट न कर दी जाय ?

श्री अध्यक्ष : वह किया जा सकता है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : भयंकर स्थिति कब होगी, इसकी परिभाषा हो जानी चाहिए कि ऐसी स्थिति होगी तो भयंकर होने का प्रश्न उठेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भयंकर तब होगी जब सदन में पानी आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह।

अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में दी गई छूट की वसूली

२८४. **श्री जयसिंह** (मालपुरा) श्री दिग्विजयसिंह [(उनियारा) द्वारा पूछा गया] : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान सरकार ने सन् १९६०-६१ में कौन कौन सी तहसीलों में अकाल घोषित किया था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि जिला टोंक में सिर्फ तहसील मालपुरा व टोडारायसिंह को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया था ?

(३) क्या यह भी सही है कि वहां पर सरकार द्वारा उन तहसीलों में हासिल वसूली में छूट दी गई थी ? यदि हां, तो किस प्रकार की ?

(४) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त छूट को वापिस वसूल करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या यह सही है कि जिलाधीश, टोंक ने यह सिफारिश की है कि छूट की वसूली की जावे ? यदि हां, तो किन आधारों पर ?

Page No 16

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी है।

(२) जी हां।

(३) लगान की वसूली स्थगित कर दी गई थी। लगान में छूट (रेमीशन) नहीं दी गई।

(४) लगान में छूट नहीं दी गई।

(५) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): यह अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने से पूर्व क्या तावान वगैरह में कोई परिवर्तन करवाया गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Beg your pardon.

श्री राधाकृष्ण गोयल : मालपुरा और टोडारायसिंह के इस क्षेत्र को अकाल ग्रस्त घोषित करने से पूर्व तावान में परिवर्तन करवाया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं।

श्री राधाकृष्ण गोयल: क्या इस सम्बन्ध में राज्यसरकार कोई जानकारी प्राप्त करने को तैयार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जानकारी दी जायगी तो उसकी इन्क्वायरी की जायगी।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित मालपुरा को किया गया है तो वहां उस वर्ष की पैदावार कितनी हुई, यह सरकार बतायेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पैदावार के आंकड़े इस वक्त मौजूदा नहीं हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : ऐसे कौन कौन से क्षेत्र थे कि जिनमें पैदावार आइन्दा वर्ष से अधिक हुई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह भी जानकारी मेरे पास नहीं है कि कहां ज्यादा हुई। यह जानकारी दे सकता हूं कि इन इन गांवों को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया।

श्री राधाकृष्ण गोयल: मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह जो अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है, वह कौन कौन से कारण से किया गया है ? क्या वर्षा का अभाव था या अन्य कारण थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो स्केअरसिटी रीजन में किया जा सकता है, इसी आधार पर वह किया गया है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वह आधार मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वर्षा का अभाव था या अन्य कारण थे जिनकी वजह से अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कारणों का विवरण इस वक्त नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए जिलाधीश की रिपोर्ट ली जाती है और उसके बाद किया जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिपोर्ट आती है, उसके बाद किया जा सकता है।

श्री दिग्विजयसिंह : रिपोर्ट के अन्दर इनके लिए नहीं कहा गया था ?

श्री रामप्रसाद लडढा : रिपोर्ट के अनुसार किया गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Was the realisation postponed or remitted ?

श्री रामप्रसाद लडढा : मैंने जवाब में स्पष्ट कहा है कि रियलाइज़ेशन स्थगित किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

विकास प्रदर्शनी पर व्यय

२८५. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या मंत्री, जनसम्पर्क विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) उदयपुर में जनवरी १९६२ में जो विकास प्रदर्शनी हुई उसमें कुल कितना व्यय हुआ ? उसमें कृपया सरकारी कर्मचारियों के टी. ए., डी. ए. के आंकड़े बताये जायं ।

कृपया व्यय का पूर्ण ब्योरा सदन के समक्ष रखा जाय ।

जनसम्पर्क मंत्री : (श्री मथुरादास माथुर) : कुल व्यय रुपया ७४,६३८.३४ नये पैसे हुआ । सरकारी कर्मचारियों के टी. ए., डी. ए. पर अनुमानतः व्यय रुपया २,५०६.६४ नये पैसे ।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री विजयसिंह झाला : क्या इस प्रकार की प्रदर्शनी हर साल होती है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां ।

श्री विजयसिंह झाला : इसका स्थान कहां पर होता है, प्रदर्शनी के लिए कौन तय करता है ?

श्री मथुरादास माथुर : पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट ।

श्री विजयसिंह झाला : उदयपुर में प्रदर्शनी होगी, इसके लिए तय कब हुआ था ?

श्री मथुरादास माथुर : इसका निर्णय विकास समारोह मनाया गया राजस्थान में, उस वक्त लिया गया कि चार जगह राजस्थान में प्रदर्शनी मनाई जाय और जो धनराशि तय की गई है यह सरकार द्वारा की गई है ।

श्री विजयसिंह झाला : चुनाव के अन्दर उदयपुर में प्रदर्शनी रखी जाय, इसकी डेट कब तय हुई ?

श्री मथुरादास माथुर : उदयपुर में ही प्रदर्शनी नहीं रखी गई है, जोधपुर, कोटा वगैरह में भी हुई है ।

श्री विजयसिंह झाला : चुनाव में रखी जाय, इसके वास्ते........

श्री मथुरादास माथुर : चुनाव से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । विकास समारोह के अवसर पर प्रदर्शनी लगाई गई ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह उद्देश्य नहीं था कि सबसे ज्यादा विकास कार्यों से जनता पर प्रभाव पड़े ?

श्री मथुरादास माथुर : जनता पर प्रभाव को हम रोक नहीं सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या यह प्रदर्शनियां हर वर्ष लगती हैं?

श्री मथुरादास माथुर : करीब करीब हर वर्ष होती हैं विकास समारोह के अवसर पर। कभी विकास समारोह बरसात में होते हैं तो उसके बाद प्रदर्शनी की जाती है। जो बजट हैडिंग है उसके अनुसार डिविजन के जिला हैड क्वार्टर में प्रदर्शनी किया करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या विकास समारोह का समय बदलता रहता है?

श्री मथुरादास माथुर : यह मैं नहीं कह सकता लेकिन हम हर साल प्रदर्शनियें लगाते रहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): ये प्रदर्शनियें राजस्थान में सभी जिलों के हैड क्वार्टर पर लगाई जाती हैं?

श्री विजयसिंह झाला : ६०-६१ में ये प्रदर्शनियें कहां कहां पर लगाई गई थीं?

श्री मथुरादास माथुर : कहां कहां पर ६०–६१ में ये प्रदर्शनियें हुईं, यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहां यह आइटम है और हर साल प्रदर्शनियें होती हैं। जयपुर में हुईं, जोधपुर में हुईं, और भी जगह पर हुईं। ये राजस्थान के बाहर भी कलकत्ता, बंगलौर आदि में होती हैं।

श्री विजयसिंह झाला : कहां कहां पर हुई हैं, यह तो आप जाने दीजिये, आप कृपया यह बतावें कि सन् १९६०–६१ में कहां कहां हुईं?

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह माना जावे कि चुनावों के लिये ही यह प्रदर्शनी की गई थी?

श्री मथुरादास माथुर : आपके ऊपर चुनावों का असर है। चुनाव तो पांच वर्षों में एक दफा होते हैं और प्रदर्शनियें हर साल कहीं न कहीं लगती रहती हैं। अगर आप इस संबंध में दुबारा कोई अलग से प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपको उत्तर दूंगा। यह हमारे यहां पर ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान में सभी जगह बड़े बड़े शहरों में होती हैं।

श्री विजयसिंह झाला : चुनावों का असर तो मेरे पर और आप पर बराबर ही है। सरकार की निति डराने की नहीं होनी चाहिये और डराने से कोई काम नहीं चलेगा। हम डरनेवाले नहीं हैं........

श्री अध्यक्ष : आप केवल जानकारी ही लें, भाषण नहीं दें।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, खास तौर से मैं बताना चाहता हूं कि डेकोरेशन पर ११ हजार खर्च हुआ और बिजली का १९,४८४ रुपया खर्च हुआ। बिजली के अलावा डेकोरेशन में क्या खर्चा होता है?

श्री मथुरादास माथुर : आपको मालूम नहीं है। बिजली के अलावा भी खर्चा होता

Page No 19

(श्री मथुरादास माथुर)

है । बिजली के अलावा पेन्टिंग, फ्लॉवर्स आदि का खर्चा होता है । हमारे यहां डेकोरेशन ऑफिसर होता है । अगर आप डिटेल्स में जानना चाहें तो ऑफिसर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या कोई सामान खरीदा गया....

प्रश्न संख्या २८६

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट :-

चल पुस्तकालय

२८७. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) राजस्थान में चल पुस्तकालय कितने हैं ?

(२) इन चल पुस्तकालयों पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा): (१) राजस्थान में कुल ५ चल पुस्तकालय हैं जो निम्नलिखित राजकीय पुस्तकालयों के साथ चल रहे हैं :—

(१) महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय, जयपुर ।

(२) सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी, जोधपुर ।

(३) सरस्वती भवन, डिविजनल पुस्तकालय, उदयपुर ।

(४) के. ई. जी. पंचम एस. जे. पुस्तकालय, बीकानेर ।

(५) डिविजनल पुस्तकालय, कोटा ।

(२) प्रत्येक चल पुस्तकालय के स्टाफ पर वार्षिक व्यय लगभग ५,२६० रुपये हैं तथा अन्य वार्षिक व्यय ४ हजार रुपये हैं। प्लान १,२०० प्लस नॉन प्लान २,८००) रुपये होता है । इस प्रकार समस्त चल पुस्तकालयों पर कुल वार्षिक व्यय लगभग ४६,३०० रुपये होते हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : क्या यह चल पुस्तकालय सारे डिविज़नों में दौरा करते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : डिविजन्स हैड क्वार्ट्स पर जहां पर गवर्नमेंट पुस्तकालय हैं उनके साथ में लगे रहते हैं । उनको जीप दी हुई है, वे दौरा करते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ये चल पुस्तकालय किन आधार पर खोले जाते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आधार तो यही है कि ग्रामीण जनता में इल्लिट्रेसी है उसको दूर करना और जो लिट्रेट मैन हैं वे कहीं इल्लिटरेट न हो जाएं इसलिये यह व्यवस्था है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो उद्देश्य हो सकता है । कौन कौन सी जगह आप खोलते हैं, इसके लिये क्या आधार है ?

Page No 20

श्री अध्यक्ष : यह तो बता दिया कि डिविज़नल हैडक्वार्टर्स पर हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ग्रामीणों के लिये ये चल पुस्तकालय महीने में कितने दिन दौरा करते हैं?

श्री अध्यक्ष : महीने में कितने दिन दौरे पर रहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा: यह तो मेरे पास जानकारी नहीं है। ये डिविजन में घूमते रहते हैं। उनको जीप दी हुई है। वे लोगों को पुस्तकें अवेलेबल करते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये पूछते हैं कि कहीं जीप का दुरूपयोग तो नहीं होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बाहर जाकर........

श्री अध्यक्ष : पहले यह तो हो कि इसका उपयोग ठीक हो रहा है या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या ये हैड क्वार्टरों पर जाते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन पांच पुस्तकालयों में से किसी एक का टूरिंग प्रोग्राम क्या रहा, आप बताने की कृपा करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछें तो उसका उत्तर दे दिया जावेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या ये पुस्तकालय चल तो रहे हैं ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कहीं आराम तो नहीं कर रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आप बतादें तो मैं उसकी जानकारी करूंगा कि ये नहीं चल रहे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि इसका सम्बन्ध कुछ प्राइवेट संस्थाओं से है। क्या उन संस्थाओं को भी बाहर जाने का प्रोग्राम है या नहीं। मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये शहरों में ही फिरते हैं और बाहर नहीं जाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : संस्थाओं की बात आप कहां से ले आये ? मैंने कहा कि डिवीजनल हैड क्वार्टर्स पर गवर्नमेंट लाइब्रेरी है उसके साथ में लगे हैं। आप प्राइवेट संस्था की बात कहां से ले आए ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप इनको चल पुस्तकालय कह सकते हैं या अचल........

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि ये पुस्तकालय अपना काम ठीक तरह से करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री अब्दुल्लजब्बार।

निम्बाहेड़ा हाई स्कूल

२८८. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अब्दुलजब्बार)

क्या निम्बाहेड़ा हाईस्कूल १६३६ में कायम हुआ था ? सन् १६६०--६१ में वहां मेट्रिक में कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा): जी हां। ५ विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए।

अब्दुलजब्बार : कृपया यह बतलायें कि कुल कितने विद्यार्थी पास हुए थे ?

श्री परसराम मदेरणा : कुल ४३ विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। उनमें से ५ प्रथम श्रेणी में पास हुए, १६ द्वितीय श्रेणी में पास हुए, १७ तृतीय श्रेणी में पास हुए; रिजल्ट ७५. १ रहा, ५ विद्यार्थी सप्लीमेंटरी में पास हुए और इस तरह रिजल्ट ८४.२ रहा।

श्री अब्दुलजब्बार : इनके बैठने के लिये पूरा इन्तजाम है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने, फर्स्ट डिविजन में कितने पास हुए, यह पूछा था। उसका जवाब दे दिया। बैठने के लिये पूरा इन्तजाम है या नहीं, यह अलग से पूछें तो जवाब दिया जा सकता है।

श्री अब्दुलजब्बार : जो विद्यार्थियों की संख्या है उसके साथ जगह की कैपेसिटी का अन्दाज लगाया जा सकता है। आया उनके बैठने की भी व्यवस्था है या बाहर खड़े खड़े पढ़ कर पास हुए ?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

बीकानेर जिले के रेवेन्यू इन्सपेक्टर्स को ऊंट सवार की सुविधा

२८९. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के रेवेन्यू इन्सपेक्टर्स को एक एक चपरासी तथा ३०) रु० नियत राशि टी. ए. के रूप में दी जाती है ?

(२) क्या सरकार यह वाजिब नहीं समझती कि इस इलाके की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सुविधा के स्थान पर उन्हें ऊंट सवार दे दिये जावें जिससे कि सरकार को प्रतिमास १०) रु० बचत होने के साथ साथ उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा : (१) जी हां।

(२) यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ३०) रु० तनख्वाह ही कैसे मिलती है, किस आधार पर मिलती है, जब कि १००) रुपया कम से कम तनख्वाह का आधार रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष : वह फिक्स्ड टी. ए. है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 30 Rupees fixecd T. A. please.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास !

बिजली की इन्सपेक्शन फीस

२६०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राज्य सरकार ने नागरिकों पर बिजली की इन्सपेक्शन फीस किस आधार पर रखी है ?

(ख) यह फीस कहां कहां पर कितनी कितनी अब तक वसूल की गई है ?

श्री अध्यक्ष : विद्युत मन्त्री ।

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) तथा (ख) : अन्य राज्यों द्वारा प्रचलित फीस का अध्ययन करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा यह शुल्क निर्धारित किया गया है, जो कि ३१-१२-६१ तक इस प्रकार वसूल की गई है :

जयपुर डिविजन	११,७००
बीकानेर	३३,६६५
जोधपुर-उदयपुर	१८,०६६
कोटा-अजमेर	१०,४२५
कुल योग	७४,१८६

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह इन्सपेक्शन फीस दूसरे प्रान्तों में किस रेट से ली जाती है, यह बता दें ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास !

श्री मुरलीधर व्यास : आपने बताया कि बीकानेर में ३३ हजार, जयपुर में ११ हजार, जोधपुर और उदयपुर में १८ हजार रुपया तक की यह फीस वसूल की गई है तो यह किस आधार पर है ? क्या यहां की आबादी कम है और बीकानेर की आबादी ज्यादा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : आबादी का सवाल नहीं । यह तो इन्सपेक्शन पर है, जितने इन्सपेक्शन किये जाते हैं, उससे जो फीस आती है, उसके आंकड़े बताये हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : जिसके मकान में बिजली है, हर मकान में बिजली है तो सालाना इन्सपेक्शन करके यह फीस कैसे वसूल की जाती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : हर साल नहीं । ५ साल में एक दफा इन्सपेक्शन होता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : तो क्या बीकानेर में ही कन्ज्यूमर्स ज्यादा हैं, यहां पर कम कन्ज्यूमर्स हैं, जो यहां इतनी कम और बीकानेर में इतनी ज्यादा इन्सपेक्शन फ़ीस वसूल की गई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : कन्ज्यूमर्स का नम्बर तो इस समय मेरे पास नहीं है, पर इन्सपेक्शन के लिये जाते हैं और उसकी जो फीस आती है उसके आंकड़े दिये हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : ५ साल में एक दफा इन्सपेक्शन फीस वसूल करते हैं, इसका क्या आधार है ?

श्री हरिश्चन्द्र : आधार तो यह है कि लॉ के नीचे करना पड़ता है ।

Page No 23

श्री मुरलीधर व्यास : लॉ के नीचे करना पड़ता है तो लॉ ही इस प्रकार का क्यों बना दिया ?

श्री हरिश्चन्द्र : इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के नीचे ऐसा प्रावधान है। हमने कोई अलग लॉ नहीं बनाया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : फीस प्रेस्क्राइब करने का क्या आधार है ? इन्सपेक्शन की जो फीस मुकर्रर की है उसका क्या आधार है ?

श्री हरिश्चन्द्र : दूसरी स्टेट्स में जो इन्सपेक्शन फीस मुकर्रर थी, उसको देख कर यहां पर मुकर्रर की है।

श्री भैरोंसिंह : दूसरी स्टेटस का एवरेज निकाल कर यहां मुकर्रर की गई है या इन्सपेक्शन पर यहां जो खर्चा आता है उसका एवरेज निकाल कर मुकर्रर की गई है ? इन दोनों में से किस आधार को माना है ?

श्री हरिश्चन्द्र : दोनों को।

श्री भैरोंसिंह : एवरेज कोस्ट कितनी आती है इन्सपेक्शन की ?

श्री हरिश्चन्द्र : अलग से पूछें तो बता सकता हूं। पर इतना है कि यह फीस मुकर्रर करते समय इस बात का खयाल रखा गया है कि जितना हमारा खर्चा हो उसको मीट आउट किया जाय और दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में हमारी फीस हो।

श्री भैरोंसिंह : कितनी बिजली कन्ज्यूम की जाती है, इसको भी आधार माना या है नहीं ? जिसके ज्यादा कन्ज्यूम होता है उसको ज्यादा देखा जाता है या कम कन्ज्यूम हो या ज्यादा कन्ज्यूम हो, दोनों को बराबर देखा जाता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : हाई टेन्शन और लो टेन्शन के आधार से देखा जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : किस बात का इन्सपेक्शन होता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि दिल्ली, यू. पी. और पंजाब में प्राइवेट कन्ज्यूमर्स से इस प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती ?

श्री हरिश्चन्द्र : यू. पी. में अभी यह स्कीम इम्प्लीमेन्ट नहीं हुई है, दिल्ली और पंजाब का पता नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया कि दूसरे प्रान्तों के आधार पर यह फीस मुकर्रर की है और अब आप फरमाते हैं कि दिल्ली में है नहीं, यू. पी. में इम्प्लीमेन्ट नहीं हुई है और पंजाब का पता नहीं है तो फिर इस फीस को यहां पर लागू करने का क्यों तय किया ?

श्री हरिश्चन्द्र : मद्रास में लागू हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पड़ौसी की मिसाल अच्छी है या दूर की ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि इस फीस की वसूली के खिलाफ जनता में असंतोष है।........

श्री अध्यक्ष : तीव्र असन्तोष है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और इस प्रकार का एक शिष्ट मंडल मन्त्री महोदय से मिला भी था और मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि पास पड़ौस की स्टेट्स से पता लगा कर फिर निर्णय लिया जायगा । तो पास पड़ौस की स्टेट्स में कहीं भी इस प्रकार की फीस नहीं है तो फिर यहां पर इस फीस को क्यों नहीं स्थगित किया जाता ?

श्री हरिश्चन्द्र : स्थगित करने का तो अभी प्रश्न नहीं आता । आपने बात की तो मैंने कहा कि गौर करेंगे ।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर): उस गौर करने का क्या नतीजा रहा ?

श्री हरिश्चन्द्र : चीज वह की वह रही ।

श्री अध्यक्ष : 'गौर' चल रहा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जोधपुर, जयपुर, उदयपुर आदि में कम फीस वसूल होती है और बीकानेर में ज्यादा वसूल होती है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !! इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर बहस हो, उस समय ये सब बातें रख सकते हैं ।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : बीकानेर की लाइन खराब है....

एक माननीय सदस्य : बीकानेर में सेठ लोग ज्यादा हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

किश्तों की वसूली के सम्बन्ध में सहूलियत आदि

२१६. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-—

क्या सरकार को विदित है कि भारत-पाक नहरी समझौता होने के बाद गंगनहर क्षेत्र की आबपाशी पहले के मुकाबले में काफी कम हो गई है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी भूमि का मूल्य ४००) रुपया प्रति बीघा दस सालाना किश्तों में आम पक्के अलॉटी किसान को अदा करना असम्भव हो गया है ?

क्या सरकार इन किश्तों की वसूली के संबंध में सहूलियत और रिआयत तथा मोहलत दने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : तारीख २ अप्रेल को ग्राम भिराना में आग लगी........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न संख्या २६१ है, आप कहां भटक रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : किश्तों की वसूली के सम्बन्ध में सहूलियत आदि ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो इर्रिगेशन मंत्री को ट्रान्सफर हो गया ।

श्री अध्यक्ष : इर्रिगेशन मंत्री नेक्स्ट टर्न पर जवाब देंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उप-मंत्री मौजूद हैं ।

श्री अध्यक्ष : आज उनकी टर्न नहीं है ।

तारांकित प्रश्न समाप्त हुए । अल्प काल सूचना प्रश्न । श्री रामकिशन ।

(८. ५० म. प.)

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर
ग्राम शिराना, तहसील नीम का थाना में लगी आग से क्षति

श्री रामकिशन वैर : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सत्य है कि १ या २ अप्रेल, १९६२ को ग्राम शिराना, तहसील नीम का-

Page No 25

(श्री रामकिशन)

थाना (सीकर) में आग लगने से जान-माल की भारी तबाही हुई है ?

(२) यदि हां, तो ब्योरेवार कितनी ?

(३) क्या यह सच है कि आग लगने की सूचना मिलने पर भी विकास अधिकारी तथा अन्य राज्य अधिकारी मौके पर नहीं गये ?

(४) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) तारीख २ अप्रेल को ग्राम शिराना में आग लगी। इससे जो नुकसान हुआ वह नं० २ के अन्तर्गत है।

(२) इस अग्निकाण्ड में हुई हानि का विवरण निम्न प्रकार है :—

अनाज	१००॥ मन	१,५४२ रु०
जानवर	३	५०५ रु०
छप्पर	६४	४,७०० रु०
चारा	२५७ मन	५५२ रु०
अन्य मुतफरिक सामान		६,७३४ रु०
योग :		१४,०३३ रु०

(३) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होने पर एस.डी.ओ., प्रधान पंचायत समिति, तहसीलदार, पटवारी और पुलिस कर्मचारी, नीम का थाना मौके पर पहुंचे और नियमानुसार आवश्यक कागज़ात तैयार किये गये।

(४) अग्नि-पीड़ितों को सहायतार्थ १५ बोरी अनाज उसी समय दिया गया। इसके अतिरिक्त सरकार ने ५०० रुपये (gratuitious relief) के रूप में और ३,२००) रुपये तसीगे कर्ज (loan) मंजूर किये हैं।

श्री रामकिशन : जो आपने फरमाया है कि ये सरकारी अधिकारी पहुंचे तो विकास अधिकारी वगैरह किस तारीख को पहुंचे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा न कि विकास अधिकारी मौके पर नहीं गये।

श्री रामकिशन : एस. डी. ओ. वगैरह सरकारी अधिकारी किस तारीख को पहुंचे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तारीख २ को तो तहसीलदार और पुलिस अधिकारी पहुंचे और तीन तारीख को सबेरे एस. डी. ओ. पहुंचे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आग लगने पर सहायता तो दे दी, प्रश्न पूछ लिया इसलिये सहायता दे दी, दूसरी जगह आग लगती है तो न तो मौके पर पहुंचते हैं और न सहायता ही दी जाती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान में कई जगह आग लगी है, वहां सहायता दी है।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में कई जगह आग लगी तो कोई पहुंचा ही नहीं....

श्री अध्यक्ष : आपने सवाल क्यों नहीं पूछा ?

(विराम)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

चारागाह की जमीन का सिवाय चक में परिवर्तन

२७८. श्री **मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या रेवेन्यू रेकॉर्ड्स में दर्ज चारागाह की जमीन अलॉटमेन्ट कमेटियों द्वारा अपनी मर्जी के किन्हीं व्यक्तियों की रजमामन्दी पर सिवाय चक में परिणत सरकार की स्वीकृति लिये बिना की जा सकती है ?

(२) क्या ग्राम रलावता व रूपवास, तहसील बसवा में चारागाह की जमीन को तब्दील करके किन्हीं व्यक्तियों को अलॉट की गई है ?

उप-मन्त्री, राजस्व(श्री रामप्रसाद लड्ढा): जी नहीं। जिलाधीश की स्वीकृति आवश्यक है।

(२) जी नहीं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : इसके लिए मेरा प्रश्न यह था कि इन गांवों के चारागाह को बिना मंजूरी के सिवाय चक में परिणत किया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किया ही नहीं गया है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर:अध्यक्ष महोदय, उसको परिणत किया गया है। क्या आप इस बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं और जांच कराने के लिए तैयार हैं ? मैं इसको चैलेन्ज करता हूं जो आप कह रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : परिणत नहीं किया गया है। यह प्रश्न कलेक्टर के विचाराधीन है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर:परिणत करके अलॉट की गई है और जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वह गलत दी गई है। क्या आप इसकी जांच कराने के लिए तैयार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यदि आप कोई स्पेसिफिक सूचना देंगे कि किस आदमी को किस गांव में इस प्रकार से चारागाह की जमीन दी गई है तो मैं देखूंगा।

श्री अध्यक्ष : इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो चारागाह की जमीन को सिवाय चक में कन्वर्ट करने के बारे में है तो आपने कहा कि कन्वर्ट नहीं किया गया है और दूसरा प्रश्न इसमें यह है कि वह जमीन अलॉट की गई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चारागाह की जमीन अलॉट ही नहीं की गई है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैंने यह कहा कि चारागाह की जमीन को कन्वर्ट किया गया है और उसको अलॉट भी किया गया है। यह जमीन सिवाय चक में परिणत की गई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गांव रूपवास में ३२६ बीघा १० बिस्वा चारागाह की जमीन किसी को अलॉट नहीं हुई है और इसी तरह से गांव रलावता में ३४० बीघा ११

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बिस्वा जमीन चारागाह की किसी को अलॉट नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में एक समिति ने प्रार्थना-पत्र दिया था कि उनको यह जमीन दी जाय और हमारी जमीन भी इसमें सम्मिलित कर ली जाय। यह प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है कलेक्टर के पास।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: यह लिख कर दिया गया है लेकिन वह जमीन अलॉट कर दी गई है और वहां पर उस जमीन में काश्त हो रही है और आप कहते है कि यह विचाराधीन है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका मतलब यह है कि जो विचाराधीन है तो वह विचाराधीन है। यदि आप कोई स्पेसिफिक बात इस सम्बन्ध में मेरे पास रखें तो मैं उसकी जांच कर सकता हूं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : कब से विचाराधीन है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १० अक्टूबर, १९६० को दर्ख्वास्त दी है और उसके बाद कागजात कलेक्टर साहब के पास पहुंचे। किस तारीख को भेजे गये, यह तो तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि धरती पर जिन लोगों का कब्जा है वह नाजायज है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्या एक्शन लेना है उस प्रार्थना-पत्र पर, यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: आप कहते हैं कि उस जमीन पर किसी का कब्जा नहीं हुआ है लेकिन उस जमीन पर दूसरों का कब्जा हो गया है और काश्त कर रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ३४० बीघा और ११ बिस्वा इसमें से कोई भूमि किसी काश्तकार को अलाट होकर किसी का उस पर कब्जा है, ऐसी जानकारी मुझे दें तो मैं उसके लिए जानकारी करने के लिए तैयार हूं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: मैंने जानकारी दी है और आप मानते हैं कि कन्वर्ट करने के लिए विचाराधीन है लेकिन उसको सिवाय चक माने कर पहले ही अलॉट कर दिया गया है और उस पर काश्त हो रही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक्सचेन्ज के लिए सहकारी समिति ने दर्ख्वास्त दी है और वह विचाराधीन है, मैंने यह कहा है। किसी काश्तकार को अलॉट की है, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : जिनकी दर्ख्वास्तें हैं उनको अलॉट हो करके इन्हीं चुनावों के दरम्यान में फरवरी में— अलॉट कर दी गई है। उस पर काश्त हो रही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : तो क्या आप इसके लिए इन्क्वायरी करने को तैयार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्पेसिफिक बात रखें तो मैं जांच करने के लिए तैयार हूं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर:इससे अधिक आप स्पेशिफिक क्या चाहते हैं ? मेरी मौजूदगी में जांच करवाइये। मैं समझता हूं कि इसमें और फरदर क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं रहती। मेरी मौजूदगी में जांच कराइये, काश्त हो रही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि कौन से व्यक्ति को इस जमीन में से जमीन अलॉट की गई है, जो कि चारागाह है और मैं समझता हूं कि आप इस प्रकार से चारागाह में से अलॉट की गई भूमि के बारे में जानकारी देंगे तो मैं उसको जानकारी करूंगा।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : ऐसी चरागाह की जमीन को जागीरदारों को अलॉट किया गया है दूसरी जगहों पर, उसके लिए मन्त्री महोदय क्या फरमाते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फिर कभी जानकारी दूंगा इसके लिए।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

पत्थर के ठेके

२८६. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन सु.) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि जो खनिज के ठेके स्टोन के दिये जाते हैं उनकी मियाद अगस्त में खत्म हो रही है ?.

(२) क्या सरकार ने इन ठेकों को छोटे छोटे ग्रामवाइज बनाने की योजना बनाई हैं ? यदि हां, तो वह कब आरम्भ होगी ?

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रामप्रसाद-लड्ढा) : (१) साधारणतया ठेकों की अवधि ३१ मार्च को समाप्त हुआ करती है, परन्तु कुछ ऐसे ठेके जो वर्ष के मध्य में स्वीकृत किये जाते हैं उनकी अवधि भिन्न भिन्न तिथियों पर समाप्त होती है, जिनमें फुटकर ऐसे भी ठेके हैं जिनकी अवधि अगस्त में भी समाप्त हो रही है।

(२) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। परन्तु एक ठेके के अन्तर्गत कम से कम ग्रामों के क्षेत्र का समावेश हो, ऐसी नीति रही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल(बयाना): क्या कुछ ठेकों की मोनोपोलीज हैं जो लम्बे समय के लिए दे दी जाती हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो एक जनरल प्रश्न है। जरा आप कोई स्पेसिफिक पूछिये तो जानकारी दी जा सकती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: तहसील बयाना को जो स्टोन क्वेरीज़ हैं वे सन् ४३ से लम्बे समय पर ठेके पर दी हुई हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जनरल बातों के बारे में तो मैं ऑफ हैंड कैसे जवाब दे सकता हूँ, स्पेसिफिकली पूछें तो मैं जानकारी करके उत्तर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ठेके अगस्त में समाप्त होते हैं तो क्या नयी बोली बुलवायी जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां के ठेके समाप्त हो रहे हैं जहां से प्रश्नक ने प्रश्न पूछा है और यह प्रश्न विचाराधीन है कि उन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

क्वेरीज़ के छोटे २ टुकड़े गांव वालों को बांटे जांय या नहीं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अगस्त से पहले सरकार निर्णय ले लेगी ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : एक जनरल क्वेश्चन है, स्थान विशेष के लिए तो नहीं है........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगस्त के ठेकों के विषय में हीं पूछा है जो कि जवाब दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : किसी स्थान के लिए नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह पूछा है कि अगस्त में कौन २ से ठेके समाप्त हो रहे हैं। जिन स्थानों के ठेके समाप्त हो रहे हैं उन्हीं के लिए निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(६. १० म. पू.)

राजस्थान कृषिविश्वविद्यालय विधेयक, १९६२

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को दिनांक ३ मई, १९६२ तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को दिनांक ३ मई, १९६२ तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या ३५-विविध।

मांग संख्या ३५-विविध

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्तावों पर जो बहस हो रही है, वह मैंने गौर से सुनी, समझने की कोशिश की और मैं जिस नतीजे पर पहुंचा वह यह है कि सदन के सारे मेम्बर्स चाहते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज़ का काम अच्छा हो, सदन के मेम्बर्स यह चाहते हैं कि प्योरिटी हो, सदन के मेम्बर्स यह चाहते हैं कि सर्विसेज़ के अन्दर स्टेबिलिटी आये। मैं अर्ज करूं कि जहां तक सर्विसेज़ का ताल्लुक है, उसके इन्टीग्रेशन के लिए कमेटी बना दी गई है, उस पर गौर किया जा रहा है।

यहां पर मेरे एक दोस्त ने यह कहा कि सरकारी कर्मचारियों से म्युनिसिपल एम्लॉईज़ की तनख्वाह कम है उसको ठीक किया जाय। अगर मेरे यह वश में होता और म्युनिसिपैलिटीज की फाइनेन्सेज इस काबिल होती कि उनको बर्दाश्त कर सकती तो मुझे बड़ी खुशी होती कि म्युनिसिपल एम्पलॉईज़ की तनख्वाह सरकारी कर्मचारियों के बराबर आये। जैसे, माननीय अध्यक्ष, आपको मालूम होगा, यहां ही नहीं, बल्कि पड़ौस में मध्यप्रदेश, पंजाब और यू. पी हैं वहां म्युनिसिपल एम्प्लॉइज़ और गवर्नमेंट कर्मचारियों की

(श्री बरकतुल्लाखां)

तनख्वाहों में फर्क है। हमारे पास जब भी साधन उपलब्ध होंगे हम इसके लिए कोशिश करेंगे और यकीन दिलाते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज़ की हालत अच्छी हो जावेगी तो जरूर यह कोशिश की जावेगी कि उनकी तनख्वाह सरकारी कर्मचारियों के बराबर हो जाय।

मेरे एक दोस्त ने यह भी कहा कि म्युनिसिपैलिटीज़ की हालत भिखारियों जैसी कर दी गई। यह सुन कर मुझे अफसोस हुआ। इसलिए हुआ कि सरकार की यह नीति कभी भी नहीं रही है कि म्युनिसिपैलिटीज़ को भिखारी बना दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिये आप इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं, मेरे पिताजी म्युनिसिपैलिटी के बीस साल तक मेम्बर रहे हैं, मैं भी एक म्युनिसिपैलिटी का मेम्बर और उसका चेयरमैन रहा हूं, मेरे अंकल (uncle) भी म्युनिसिपैलिटी में रहे हैं, इस तरह से देखा जाय तो मेरा और मेरी फेमिली का म्युनिसिपैलिटी के साथ गहरा सम्बन्ध रहा है इसलिये जो भी म्युनिसिपैलिटीज की प्रोब्लम्स हैं उनको मैं पूरी तरह से समझने की कोशिश करता हूँ। जो नई कमेटी बनी है उसके द्वारा यह कोशिश की जायगी, ऐसे रूल्स बनाये जांय। जिसके अन्दर मनमानी न हो और कोई भी म्युनिसिपैलिटी यह न समझ पाये कि सरकारी रकम से वह जीती है। ग्रान्ट देने का जहां तक ताल्लुक है, मेचिंग ग्रान्ट के तरीके पर दी जायगी। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार इन चीजों को माने। जो म्युनिसिपैलिटी अपने टैक्स एरियर्स वसूल करने में पूरी कामयाब होगी उन्हें इन्सेन्टिव दिया जायगा। अपने रिसोर्सेज़ के जरिये जो डेवलपमेन्ट वर्क करना चाहेगी उनको आगे चल कर तरक्की का मौका दिया जायगा।

एक चीज दौराने बहस में आयी कि विरोधी दल की जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है। जहां तक म्युनिसिपैलिटीज़ का सवाल है, उसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं होता। म्युनिसिपैलिटी चाहे किसी दल की हो वहां जो प्रतिनिधि होते हैं वे उस शहर के होते हैं। जिस शहर की म्युनिसिपैलिटी होती है वे वहां उस शहर का रिप्रेजेन्टेशन करते हैं। सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं कि म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपैलिटी के बीच भेदभाव रखा जाय। नाथद्वारा म्युनिसिपैलिटी का किस्सा सामने आया। उसके बारे में अर्ज करूं जिस वक्त नाथद्वारा म्युनिसिपल कमेटी ने अपनी रिकमन्डेशन भेजी उसके अन्दर टैक्निकल खामी थी। वह यह थी कि किसी टैक्निकल एक्सपर्ट, पी० डब्लू० डी० इन्जीनियर द्वारा उसको ओ० के० करके नहीं भिजवाया। साथ में यह भी नहीं लिखा था कि जो रूपया ले रहे हैं वे कर्जा लेंगे तो उसको वापिस किस प्रकार से दिया जायगा। इसलिए वे प्रोपोजल्स जो इनकम्पलीट थे उनको वापिस भेजा गया। जब वे प्रोपोजल ठीक हो करके वापिस आये उस वक्त तक जो फण्ड्स अवेलेबल थे वे खत्म हो गये। इसलिए उनको कोई ग्रान्ट नहीं मिली।

इसके साथ साथ कोटा म्युनिसिपैलिटी का जिक्र आया। कोटा म्युनिसिपैलीटी आज जनसंघ पार्टी की है, पर यह तो जनतंत्र का

(श्री बरकतुल्लाखां)

सवाल है, आज जनसंघ की है तो कल समाजवादी पार्टी की हो सकती है, साम्यवादी पार्टी की हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि म्युनिसिपैलिटी में पर्टीकुलर पार्टी पावर में आ गई इसलिये उसके साथ अलग से बरताव किया जायगा। यह बिल्कुल सही नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। बयाना म्युनिसिपैलिटी जो समाजवादियों की है उसके लिए मन्त्री महोदय बतायेंगे....

श्री अध्यक्ष : इस तरह से प्रश्न नहीं उठाये जाते। आपने यदि अपने भाषण में कुछ कहा होगा तो उसका जवाब मिल जायगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हम तो आश्वासन चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस वक्त आश्वासन का सवाल नहीं है। इस समय तो उत्तर सुनिये।

श्री बरकतुल्लाखां : जमीन का सवाल उठाया गया, मंडियों का सवाल किया गया। इसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि मंडियों के बारे में जो फैसला किया गया वह तमाम चंबल कमान्डेड एरिया के लिये किया गया। कोटा म्युनिसिपैलिटी के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन किया गया हो, यह बात नहीं। जहां तक मुझे मालूम है, १०-११ म्युनिसिपैलिटियां इस कमान्डेड एरिया में आती हैं। जहां मंडियों का सवाल आता है वह चंबल कमान्डेड एरिया में दी गई हैं। लेकिन यही नहीं, कोटा म्युनिसिपैलिटी की जमीन लेने से जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार ने फैसला किया है कि ७५ हजार रुपया सालाना उसे दिया जाय। अब वह दिया जा रहा है। आप इस बात का यकीन रखिये कि म्युनिसिपैलिटीज के साथ इस तरह का कभी भेद-भाव न था और न रहेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : नल और बिजली के एरियर्स मांगे जा रहे हैं।

श्री बरकतुल्लाखां : बिजली के एरियर्स सभी जगह के मांगे जा रहे हैं। उधार लेकर उसको चुकाना न चाहे, इसमें किसी म्युनिसिपैलिटी की इज्जत थोड़े ही है। मैं नहीं समझता कि कोई भी म्युनिसिपैलिटी अपने पर कर्जा चढ़ा कर नहीं देना चाहती हो। हर एक को यह ख्याल रहना चाहिये कि जो भी कर्जा उन पर चढ़ा है उसको देना होगा। जोधपुर शहर के भी एरियर्स मांगे जा रहे हैं....

श्री कृष्णकुमार गोयल : सारे एरियर्स इकट्ठे मांगे जायेंगे क्या ?

श्री बरकतुल्लाखां : यह तो अभी निर्धारित नहीं हुआ। सभी म्युनिसिपैलिटीज से एरियर मांगे जा रहे हैं। इसके बारे में जवाब ऑनरेबल मिनिस्टर फोर पॉवर देंगे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : किसी भी म्युनिसिपैलिटी की ऐसी स्थिति नहीं है कि एरियर्स का भुगतान एक साथ कर सके।

श्री बरकतुल्लाखां : मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मिनिस्टर फोर पॉवर जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में करेंगे उस वक्त यह बात रखियेगा। उनकी समझ में आयगी वैसा वे जवाब देंगे। मैं उनके खिलाफ पर कुछ भी नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : म्युनिसिपैलिटीज़ के खिलाफ पर तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वे उनके साथ उदारता का व्यवहार करें और इन्स्टालमेन्ट से रकम वसूल करें ?

श्री बरकतुल्लाखां : म्युनिसिपैलिटीज की तरफ से बराबर जाता रहता हूँ। स्लम क्लियरेंन्स के बारे में भी यहां बातें कही गई। कहा गया कि दूसरी प्लान का रुपया लेप्स हुआ है। यह सही है। इसकी वजह सबसे बड़ी यह थी कि इसके जो फार्म्स रखे गये थे उसके अन्दर यह था कि पच्चीस प्रतिशत म्युनिसिपैलिटी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। म्युनिसिपैलिटीज़ के पास अपने रिसोर्सेज नहीं थे, उन्होंने कोई स्कीम तैयार नहीं की। इस तरह से केवल तीन लाख के करीब स्कीम अलवर, जयपुर और उदयपुर की म्युनिसिपैलिटीज़ द्वारा तैयार की गई लेकिन वे २५ परसेन्ट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने को तैयार नहीं थे इसलिए उस सारी की सारी स्कीम में तीन लाख के करीब खर्चा हुआ, बाकी लेप्स हो गया। उसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा यह तय किया गया कि ३३॥ परसेन्ट सबसिडी देंगे, ३३॥ परसेन्ट लोन देंगे और २५ परसेन्ट राजस्थान गवर्नमेंट सबसिडी के तौर पर देगी। अब जो तीसरी योजना में ४० लाख के करीब खर्चा करने का है उसके लिये इन्तजाम किया जा रहा है। साल, दो साल के अन्दर आपको अन्दाज लग जायगा कि पूरे तरीके से, जायज तरीके से और जायज तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

इसके साथ साथ वाटर वर्क्स का भी सवाल उठाया गया था। जहां तक वाटर वर्क्स का सवाल है, यह तय शुदा बात है, जो वाटर वर्क्स म्युनिसिपैलिटीज़ के हैं वे उनको दे दिये जाने चाहिये। उसमें मुद्दत दो साल की इसलिये रखी गई है कि दो साल के अन्दर सारे के सारे जो टेक्निकल मैथड्स हैं वे समझ में आ सकते हैं, दो साल के अन्दर लोड डेवलप होता है, इस तरह से तमाम टेस्टिंग हो जाय उसके बाद उनको हेन्ड ओवर किये जांय। इस तरह से दो साल तक सरकार के पास रहेंगे। तो किन कन्डीशन्स पर उनको दिये जांय, ये सब सवाल हैं जिन पर सरकार गौर कर रही है। किसी भी तरीके से सेटल कर लिया जाय, इस पर जल्दी ही फैसला हो जायगा।

बहस के दौरान में गणगोर के मेले के सम्बन्ध में कहा गया कि उदयपुर को कुछ रुपया दिया गया है। जैसे कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा जहां जहां टूरिस्ट सेन्टर हैं वहां सिर्फ टूरिस्ट जमीन या मकान देखने को नहीं आते हैं लोगों को भी देखने आते हैं। उनके कस्टम्स देखने को आते हैं, उनकी कल्चर देखने को आते हैं। तो जहां जहां टूरिस्ट्स आते हैं उन जगहों पर ऐसे मेले जिनका वहां की कल्चर से ताल्लुक होता है गवर्नमेंट उसको सबसीडाइज करती है। उदयपुर ही नहीं, जयपुर के अन्दर भी तीज के मेले के लिये गवर्नमेन्ट द्वारा सबसीडाइज़ किया जाता है, ताकि बाहर के लोग जो आते हैं वे मेले को देख सकें।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया था और कहा था कि वहां के बोर्ड ने कुछ रुपयों का गबन कर दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं सन् ५८ के अन्दर ३५ हजार रुपया दिया गया उसमें से २५ हजार रुपये का तो हिसाब दे दिया गया। दस हजार रुपये की

(श्री बरकतुल्लाखां)

हिसाब नहीं दिया गया, उसके लिये चार आदमियों को जिम्मेवार ठहराया गया। उसमें से एक भूतपूर्व बोर्ड के मेम्बर हैं। उनके खिलाफ सेक्शन ११ लोकल फण्ड ऑडिट के नीचे कार्यवाही की जा रही है। माननीय सदस्य ने यह फरमाया कि बीकानेर म्युनिसिपल बोर्ड के लिये एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने चार हजार रुपयों की रकम को कार अलाउन्स के लिये उठा लिया। इस बात को सुन कर मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने इस बात की जानकारी करने की कोशिश की। वे १२५) रुपया कार अलाउन्स के रूप में ले सकते हैं। जो आपने कहा कि उसकी तहत चार हजार रुपया उठाया गया उसकी जानकारी प्राप्त की। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि बीकानेर एडमिनिस्ट्रेटर को कोई कार अलाउन्स नहीं मिलता। उसने कोई कार अलाउन्स नहीं उठाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल दौराने बहस यह भी सवाल आया था कि हाउस टैक्स नहीं लगाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि हाउस टैक्स कम्पलसरी टैक्स है और सेक्शन १०४ में एक्ट के नीचे आता है और यह मैं अर्ज कर दूं कि इस एक्ट को इसी हाउस ने पास किया था। मैं तो यह समझता था कि चुने हुए प्रतिनिधियों को यह टैक्स लगाने में दिक्कत आती और अभी अगर लग जाता तो बाद में उनको यह कहने को रहता कि यह तो एडमिनिस्ट्रेटर ने लगा दिया, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो उनकी सहूलियत के लिये यह हो रहा है और जब वे प्रतिनिधि चुन कर आवेंगे तो चूंकि म्यूनिसिपेलिटी आज भी इस पोज़ीशन में नहीं है कि डेवलपमेंट के कामों के लिये पैसा जुटा पाए, तो उनके वक्त भी अगर यही पोज़ीशन रही तो हमेशा नतीजा यह निकलेगा कि डेवलपमेन्ट के काम वे करना चाहेंगे तो वे रुकेंगे और जब वे रुकेंगे तो शिकायतें होंगी और वे कठिनाई में पड़ेंगे। तो इसलिये यह किया गया है फिर यह तो कम्पल्सरी टैक्स है। यह तो किसी प्रिटेक्स्ट पर माफ नहीं किया जा सकता।

बीकानेर में म्यूनिसिपेलिटी के इलेक्शनों में देरी होने की बात भी कही गई। इसके बहुत से कारण हैं। कुछ लिमिटेशन्स बढ़ाने से, कुछ सेंसस के आ जाने से और फिर जनरल इलेक्शन के आ जाने से देरी हुई। तो ये चीजें मिल गईं और जब सेंसस आता है तो डीलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स जो किया जाता है उस सेंसस को आधार मान कर किया जाता है और इसलिये इसमें देरी लगी। पर अब उनको मैं यकीन दिलाता हूं कि अब इस बारे में जल्दी से जल्दी मुनासिब कार्यवाही की जावेगी और कोशिश यह की जावेगी कि जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी इस म्युनिसिपैलिटी का चुनाव कराया जावेगा।

कल मेरे बहुत अजीज दोस्त, जो जयपुर से इलेक्ट होकर आये हैं और पांच साल साथ साथ भी रहे, बड़े गुस्से में कुछ बातें कह गये और मैं समझता हूं कि उनका गुस्सा अपनी जगह पर जायज़ है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): वह बनावटी गुस्सा था।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह तो बनावटी आदमी ही अच्छी तरह से पहिचानते हैं।

श्री बरकतुल्लाखां : मैंने गुस्से को गुस्से के रूप में लिया और गुस्से का जवाब गुस्से में नहीं दिया जाता, यह मैं समझता हूं। कोई तकलीफ गरीबों को होती है तो इसे मैं कोई प्रेस्टिज पोइन्ट भी नहीं बनाना चाहता। आप चाहते हैं कि गरीबों की मदद हो और मैं उसे प्रेस्टिज पोइन्ट बनालूं तो मैं ऐसा नहीं करनेवाला हूं। आप चाहे गुस्से में कहें, चाहे मोहब्बत से कहें इन्साफ का तकाजा यह है कि वे लोग जो इन बस्तियों में हैं, जिनके कि नाम गिनाऊं; हथरोही, आनन्द-पुरी, सीतारामपुरा की बस्ती, लालजी का अहाता और रामबाबू का अहाता, उनको पहले जमीन दी जाय। इन बस्तियों में जो डेवलपमेंट का वर्क है या हो रहा है उसके लिये मैं आपको इस सदन के फ्लोर पर यह यकीन दिलाता हूं कि सबसे पहले जो वहां के बसने वाले लोग हैं उनको जमीनें दी जावेंगी और जब तक उनको पूरी जमीनें न मिल जावें, तब तक दूसरों को वहां प्लॉट नहीं दिये जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : बाकी की बस्तियों में ?

श्री बरकतुल्लाखां : बाकी की बस्तियों के अन्दर जहां तक लैंड ऑनर का ताल्लुक है, जहां तक जिनकी जमीनें हैं उनका ताल्लुक है, मैं पॉलिसी के तरीके से आपको और इस सदन को यह एश्योरेन्स देता हूं कि उनका पहला क्लेम होगा, इसके बाद किसी और का होगा। उन लोगों को उसी एरिया में बसाया जावेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल एक सवाल उठा था कि एक टीम गई यहां से, उसने क्या किया ? वह टीम गई थी Sytsem of audit of municipal Accounts prevailing in other States.की स्टडी के लिये। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। उस पर सरकार ने गौर भी किया है और उसके बाद जोधपुर उदयपुर और अजमेर, में एक कॉन्क्रीट ऑडिट का सिस्टम लागू भी कर दिया गया है।

इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज अर्ज करूं....

श्री भैरोंसिंह : यह रिपोर्ट सदन के सदस्यों को भी देखने को मिलेगी ?

श्री बरकतुल्लाखां : अगर सदन के सदस्य चाहेंगे कि यह रिपोर्ट उनके सामने पेश हो तो कोशिश करके एक कॉपी प्राप्त करके I will lay it on the table of the House.

कल एक बात और कही गई दौराने बहस में, और वह थी एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के बारे में। मैं समझता हूं कि कुछ मेम्बर साहिबान ने गौर दिलाया है इस तरफ,जो काबिले तवज्जोह है। पर साथ साथ मैं यह बता दूं कि कुछ स्टेटें ऐसी भी हैं, जहां एन्टरटेनमेन्ट टैक्स वसूल भी होता है, पर न तो पूरा टैक्स, न कुछ हिस्सा म्यूनिसिपेलिटी को मिलता है। पंजाब, बंगाल, यू. पी., बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र...

श्री भैरोंसिंह : इन बडी स्टेटों की नकल थोड़े ही करनी है।

श्री बरकतुल्लाखां : नकल नहीं कर रहा हूं। मैं तो सदन के सामने जानकारी दे रहा हूं कि हम किसी हद तक यहां कर रहे हैं। मेरा कभी यह मतलब यह जानकारी रखने का

(श्री बरकतुल्लाखां)

नहीं था कि हम उनके पैटर्न को फालो करें। मैं तो सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि दूसरी स्टेटों में, इन स्टेटों में यह टैक्स वसूल किया जाता है जो कि न तो पूरा, न उसका कुछ पोर्शन किसी भी म्यूनिसिपैलिटी को दिया जाता है। हमारी स्टेट के अन्दर ५८ के आधार पर कम से कम टैक्स तो दिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल यह जो प्लॉटों के बारे में बहुत सी बातें कही गई थी, उसके बारे में मैं यह अर्ज करूं कि जो मुझे जानकारी मिली है वह यह है कि १. ११. ६१ से लेकर २८. २. ६२ तक को इलेक्शन का जमाना कहा गया था उसके अन्दर प्लॉट अलॉट हुए। उसका हिसाब ऐसा है कि कुल ६०३ प्लॉट्स अलॉट हुए, उनमें से...

श्री भैरोंसिंह : आपने कल लिस्ट दी उसमें तो २२० ही हैं।

श्री बरकतुल्लाखां: जो बाद में इन्क्लूड हुए...

श्री भैरोंसिंह : कल हाउस में इन्फोर्मेशन दी है उसमें केवल २२० हैं।

श्री अध्यक्ष : वे तो कच्ची बस्ती के बारे में थे। उसमें और इसमें कोई विरोधाभास होगा तो बाद में देखा जावेगा। पहले आप उनको सुन लें।

श्री बरकतुल्लाखां : The period is divided in two parts, from 1. 1. 61. to. 28 2. 62;१. १.६१ से ३१.११.६१ तक ६१० और १. १२. ६१ से २८. २. ६२ तक कुल २६३ प्लॉट अलॉट किये गये। इनमें से ४५० तो अलॉट किये गये जो वहां के रहने वाले थे उनको और बाकी on the basis of priority 289 दिये गये। गवर्नमेन्ट की तरफ से अलॉटमेन्ट किया गया उसके अन्दर १४३ थे। उसके अन्दर सोश्यल वर्कर्स भी थे, खादी वर्कर्स भी थे, प्रेसमैन भी थे। सब को गवर्नमेन्ट ने अपनी तरफ से प्रायोरिटी मान कर अलॉटमेन्ट दिये।

श्री भैरोंसिंह : किस प्रायोरिटी के आधार पर?

श्री बरकतुल्लाखां : अपनी तरफ से प्रायोरिटी मानी गई। यह माना गया कि जर्नलिस्ट्स हैं उनको भी मकान बनाने का हक है। यह माना गया कि सोशियल वर्कर्स हैं जो दस साल से सेवा कर रहे हैं उनको भी हक है कि वे अपने मकान बना सकें। तो इस तरह की अपनी तरफ से प्रायोरिटी मानी गई।

श्री भैरोंसिंह : एक परिवार का आदमी ११-११ प्लॉट्स ले ले, यह तरीका है, क्या आपको इस प्रायोरिटी का? आप चाहें तो मैं भी एक एक की जानकारी दे दूं-खादीवालों की जानकारी चाहें तो।

श्री बरकतुल्लाखां : मैं भी जानकारी कर रहा हूँ। इस बीच इस वक्त कुछ कहना premature होगा।

श्री भैरोंसिंह : कोई परिवार का आदमी बचा ही नहीं, होता तो और प्लॉट ले लेता।

श्री बरकतुल्लाखां : अभी मैं इस पर गौर कर रहा हूँ। इससे पहले कुछ नहीं कह सकता।

(श्री बरकतुल्लाखां)

अब बस्ती सीतारामपुरा और आनन्दपुरी के अन्दर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि पहले प्रिफेरेन्स उनको दिया गया जो उस लोकेलिटी में सेटल्ड थे और बाद में जो कार्यवाही की गई वह यह थी कि उनसे एफीडेविट लिखाकर लिया गया कि उनके नाम पर या उनके छोटे बच्चों के नाम पर या बीबी के नाम पर और दूसरा प्लॉट जयपुर में नहीं है। कुछ केसों में वे क्लेम जो लैंड एक्विज़ीशन ऑफिसर ने सेटल किये थे उनको बेसिस मान कर भी अलॉटमेन्ट किया गया और प्रिफेरेन्स उनको दिया गया जो दूसरी स्कीमों में डिस्प्लेस्ड हुए थे। उनको इसमें आकर रहने का मौका दिया गया। और जो दूसरे प्लॉट्स बचे थे हर चन्द यह कोशिश की गई थी कि अकोर्डिंग टू दी प्रायोरिटी उनको दिया जाय। इसके अन्दर एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि बाज वक्त बहुत पहले एप्लोकेशनें दी हुई होती हैं। लेकिन कई दफा एप्लीकेशन्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में नहीं आतीं। उसके बाद प्रेस के अन्दर इसका ऐलान कर दिया जाता है कि एप्लीकेशन्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पर आनी चाहिये, क्योंकि उसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगी जाती हैं। तो जो बहुत पहले की एप्लीकेशन्स दी हुई हैं और बाद में जब नोटिफिकेशन निकले और प्रेसक्राइब्ड फॉर्म में एप्लीकेशन्स नहीं जायें तो यकीनन बात है कि प्रायोरिटी का नम्बर नीचे आ जाता है। जहां तक एक्विज़ीशन का ताल्लुक है उसमें मैंने बता दिया है।

उसके बाद सिन्धी कॉलोनी का सवाल आया था, वह रिलीफ एण्ड रीहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री बसा रही है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : गटर लाइन से तो आपका ही ताल्लुक है सिन्धी कॉलोनी में।

श्री बरकतुल्लाखां : वह तो पूरे शहर के लिए जिम्मेदारी है।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो सिन्धी कॉलोनी की बात कर रहा हूं।

श्री बरकतुल्लाखां : उसका क्या सारे शहर की ही जिम्मेदारी है।

बगड़िया भवन का जहां तक ताल्लुक है ओल्ड रेट्स पर उसको जमीन दी गई जिसका कि १.७५ रु० प्रति गज आता है। इसमें ड्रेनेज की स्कीम नहीं थी। यह स्कीम भी अण्डर ग्राउन्ड ड्रेनेज नहीं है। सर्फेस ड्रेनेज की स्कीम को यू०आई०बी० ने लिया है और उसके ऊपर रुपया खर्च करके ड्रेनेज का सिस्टम दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक म्युनिसिपेलिटीज़ का ताल्लुक है और उनके शासन वगैरह का ताल्लुक है मैं समझता हूँ कि जब भी इस सदन के अन्दर यह बात उठे तो मैंने आज यकीन दिलाया है और इससे पहले कि मैं खत्म करूं एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक इस सरकार का ताल्लुक है और मेरे रवैये का ताल्लुक है मैं म्युनिसिपेलिटी और म्युनिसिपेलिटी में फर्क नहीं समझूंगा। मैं इस मौके को हासिल करके यह कहना चाहूँगा कि मैं तानाशाही नहीं करना चाहता। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि मैं petty

(श्री बरकतुल्लाखां)

caesar नहीं बनना चाहता। लेकिन यह भी अर्ज कर देता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सारे मेम्बरान को और उनके जरिये पूरे राजस्थान को कि जिन जिन म्युनिसिपेलिटीज़ का काम अच्छा नहीं होगा और जो म्युनिसिपेलिटी लोगों की अदायगी में पूरा नहीं उतरेंगी जो म्युनिसिपेलिटीज़ कानून को भंग करेंगी, चाहे वह किसी पार्टी की हों, उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा और मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस सदन के सभी सदस्यों को जानकारी में कोई बात आये जिसमें म्युनिसिपेलिटीज़ बेज़ाब्तियां कर रही हों या उनके प्रेसीडेन्ट या कर्मचारी ऐसी बेज़ाब्तियां कर रहे हों जिनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता हो तो मैं कहता हूँ कि आप इस सदन में मुझसे कह सकते हैं। मैं उसका वैलकम करूंगा और सदन के बाहर कहना चाहें तो भी मैं उसको वैलकम करूंगा और मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरी कोशिश यही रहेगी कि म्युनिसिपेलिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्लीन हो और एक तरह से इसको सेकिन्डरी एडमिनिस्ट्रेशन मान कर अपने पैरों पर खड़े होने का सभी मौका दें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Point of information, Sir, नाथद्वारा नगरपालिका के जो २,०००) रुपये का प्रश्न था उसके लिये आपने बताया कि उसमें टैक्निकल मिस्टेक थी, इसलिये उसकी पूर्ति के लिए वापिस भेजा है, तो जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती तो रकम दूसरों को क्यों दी गई ?

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी बहस हो चुकी है।

श्री विजयसिंह झाला : रकम तो मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बहस का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री विजयसिंह झाला : लेकिन वह रकम मिलेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : म्युनिसिपेलिटीज़ के बारे में इतने भ्रष्टाचार के केसेज़ सदन में रखे गये और मन्त्री महोदय ने किसी का भी जवाब नहीं दिया। हां, इतना जरूर कहा गया कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जांच करूंगा और चाहे कोई भी म्युनिसिपेलिटी होगी उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। पर मैं तो कहता हूं कि बीकानेर की ही म्युनिसिपेलिटी को आप ले लीजिये। यह आपके लिए ऐसा केस होगा कि जिससे मालूम हो जायगा कि जो आपने आश्वासन दिया है उसमें आप अपने वचन पर कटिबद्ध होते हैं या नहीं। आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट देख लीजिए, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! आर्डर प्लीज़ !! इस तरह से माननीय सदस्य कृपया नहीं बोलें। बहस का समय समाप्त हो गया। आपने बहस की उसका उत्तर मिल गया।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, पुनर्वास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरुषार्थी भाइयों के रिहेबिलटेशन के लिए ६ कटौती के प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गये। मैं कटौती प्रस्तावों की उत्तर देने सेपूर्व माननीय सदस्यों

(श्री परसराम मदेरणा)

को यह जानकारी देना पसन्द करूंगा कि जहां तक डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के क्लेम्स के रजिस्टर करने का प्रश्न है, उनकी इवेक्यू प्रोपर्टी का ताल्लुक है और उसके साथ ही साथ उनको जमीन अलॉटमेन्ट और उनकी एवज में कम्पेन्सेशन देने का सवाल है यह सब गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की रीहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री के आदेशानुसार होता है। जहां तक राजस्थान सरकार का प्रश्न है हम सिर्फ गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की एजेन्सी के रूप में, जो कुछ भी पुरुषार्थी भाइयों को मदद दी जा सके उस ओर तत्परता बरतते हैं। सबसे पहले गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय दो मुद्दों को उठाया। एक तो यह कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जो क्लेमेन्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं उनको ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन दी है, जब कि पंजाब में ५०० एकड़ जमीन अलॉट की गयी है। माननीय सदस्य को मैं यह निवेदन करूं कि जहां तक पंजाब और गंगानगर के बीच में इस भिन्नता का प्रश्न है, पंजाब जो कि पाकिस्तान की ही बोर्डर पर आई हुई स्टेट है वहां पोपुलेशन का जनरल हेरफेर हुआ था और जो जमीन पंजाब में इवेक्यू लैण्ड के रूप में थी जिसके कस्टोडियन मालिक थे, वह गंगानगर के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। जहां तक गंगानगर में क्लेमेन्ट्स और नॉन-क्लेमेन्ट्स को जमीन अलॉट करने का सवाल है जो इवेक्यू जमीन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में एप्रोक्सीमेटली २ लाख ७५ हजार बीघा थी वह सब की सब जमीन क्लेमेन्ट और नॉन-क्लेमेन्ट को वितरित करदी गयी है। इसलिए जितनी इवेक्यू जमीन थी उसी के अनुसार ही हम उसकी सीमा निर्धारित करके उसे अलॉट कर सकते थे। जहां तक ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का प्रश्न है गंगानगर में जो कोई भी क्लेमेन्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं उनका क्लेम अगर ज्यादा बनता है तो दूसरे रूप में उसका कम्पेन्सेशन दिया जा सकता है; लेकिन जहां तक जमीन के अलॉटमेन्ट का सवाल है ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा जमीन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए क्लेमेन्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को ३० स्टेन्डर्ड एकड़ और जो नॉन-क्लेमेन्ट्स थे उनको २० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन अलॉट की है। इस प्रश्न को रखते हुए माननीय सदस्य ने यह भी एतराज किया था कि क्लेमेन्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन्स ने जमीन जो सबलेट कर दी थी, जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन के बाद जो लेसी हैं वे जमीन पर काबिज हैं और उनको किसी तरह डिस्पज़ेस नहीं किया जा सकता। यह बात सही है कि जमीदारी और बिस्वेदारी के एबोलिशन के बाद लेसीज़ की पोज़ीशन कानूनी तौर पर क्या होगी, इसको हम एग्ज़ामिन करवायेंगे और उसी के बाद निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि क्लेमेन्ट डी० पीज़० की जमीन पर जो कि स्केटर्ड दी गयी हैं, अलग अलग दी गयी हैं वे सबलेट की गयी, हैं उनके सबटीनेन्ट्स की क्या पोज़ीशन रहेगी। यह जानकारी कानूनन इस प्रश्न को एग्ज़ामिन करके दी जा सकती है! लेकिन यह बात निश्चित है कि जमीदारी एवं बिस्वेदारी एबलिशन के बाद सब-टीनेन्सी अगर उनके पज़ेशन में रहती है तो जो कम्पेन्सेशन दूसरे किसी लैण्ड होल्डर को दिया जाता या बिस्वेदार या जमीदार को दिया जाता उसके लिए वे भी हकदार हैं और वह उन्हें मिलेगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

नॉन क्लेमेन्ट के बारे में माननीय सदस्य ने अलवर और भरतपुर के नोन क्लेमेन्ट्स के साथ जो रियायत बरती जा रही है उस डिस्क्रिमिनेशन की ओर ध्यान आकर्षित किया। माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि जहां तक गंगानगर के नॉन–क्लेमेन्टस की जमीन की कीमत की वसूली का प्रश्न है यह एक जुदा प्रश्न है और जुदा प्रश्न इस मायने में है कि जहां तक गंगानगर का सवाल है वहां अलवर के बमुकाबले जमीन ज्यादा उपजाऊ है और नहरी जमीन है। दूसरे अलवर के बारे में 'राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही है कि यह हमारे प्रोपोर्शनल स्टेन्डर्ड एकड़ की जो प्राइस फिक्स की हुई है उसमें रियायत बरतने का प्रश्न नहीं, क्योंकि Displaced Persons Compensation and Rehabilitation Act, 1954 की दफा ५६ के अन्तर्गत पूरे देश भर में ४५०) रु० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन की कीमत निर्धारित की है। जहां तक अलवर का प्रश्न है यह गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में एक एडहॉक अरेन्जमेंट है और उस एडहॉक अरेन्जमेंट को हम गंगानगर या राजस्थान के दूसरे जिलों में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि गंगानगर में नॉन क्लेमेन्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन्स से काफी रकम की वसूली हो चुकी है और वह अमाउन्ट एप्रोक्सीमेटली १ करोड़ के आसपास होगा। इसलिए गंगानगर और अलवर के मामलों को atpar नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलवर में जो जमीन नॉन–क्लेमेन्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को दी गई है वह बहुत थोड़ी जमीन दी गई है। वे कुरुक्षेत्र के केम्प से यहां ट्रान्सफर किये गये थे और इकोनोमिकली भी वे लोग बहुत गरीब हैं। यह सब मामला व्यू में करके और इस तरह की रियायत देने का प्रश्न रीहेबिलिटेशन के मिनिस्ट्री का नहीं है, लेकिन यह एडहाक अरेन्जमेंट राजस्थान गवर्नमेंट की रिकमन्डेशन के बाद किया गया है।

उसके बाद में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने २–३ प्रश्न उठाये। उन्होंने मुख्य तौर पर नोन–क्लेमेन्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को इनीशियल रिहेबिलिटेशन के तौर पर १,१६२) रु० पर-फेमिली जो कर्जा दिया गया था, उसकी वसूली के सिलसिले में सख्त एतराज किया। माननीय सदस्य को मैं यह निवेदन करूं कि इनीशियल रीहेबिलिटेशन का एमाउन्ट एक ग्रान्ट के रूप में नहीं था। यह लोन था और उसमें से भी जो लोन राशन के लिए दिया गया था ३००) रु० पर-फेमिली वह तो राइट ऑफ कर दिया गया है। बाकी लोन जो नॉन–क्लेमेन्ट डी०पीज० में है उसकी वसूली की योजना गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के आदेशानुसार चल रही है। आपने जैसा आगे कहा कि राजस्थान सरकार इसके ऊपर राइट ऑफ करने का करे, ५० पर्सेन्ट उसको राइट ऑफ करने की उसकी तैयारी हो तो इस पर कुछ मदद की जा सकती है। मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस वक्त यह लोन नॉन–क्लेमेन्ट डी०पीज़० को दिया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने ५० पर्सेन्ट राइट ऑफ करने के लिए जो राजस्थान गवर्नमेंट को लिखा तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इस शर्त को कभी भी स्वीकार नहीं किया है और स्वीकार इसलिए नहीं किया है कि सब्सीक्वेन्टली जब कभी भी इस लोन के रीयलाइजेशन और वसूली का प्रश्न आयेगा तो राजस्थास सरकार को करोड़ों

(श्री परसराम मदेरणा)

रुपये के घाटे की सूरत पर जाकर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए यह लोन गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का है और चूंकि यह इनका लोन है इसलिए इनकी वसूली गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के आदेशानुसार होती है।

दूसरा प्रश्न आपने यह उठाया कि चूंकि मयाद गुजर गई है और लोन को दिये हुए १४ साल का पीरियड हुआ है और १४ साल के बाद में इसकी कानूनी तौर पर क्या हैसियत है, मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी दूं कि कर्जे की कानूनी क्या हैसियत है और क्या नहीं तो हमने यह तय किया है कि कर्जे की कानूनी क्या हैसियत है हम लॉ डिपार्टमेंट में इसकी जांच करवा लेंगे और उसके बाद में ही कानूनी हैसियत के बारे में कुछ कहा जा सकता है।

तीसरा प्रश्न है ....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : तब तक वसूली स्थगित करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह वसूली स्थगित करने का मैं कमिट नहीं कर सकता। लेकिन आप यह चाहते थे कि लीगल्ली ये टाइम बार्ड हैं या नहीं, उसको लॉ डिपार्टमेंट को रेफर करने का जो प्रश्न उठाया है उसे मैं स्वीकार करता हूं। लॉ डिपार्टमेंट को सरकार रेफर करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार लीगल तबके को डिफरेन्ट मानती है तो कोई मोरल अधिकार नहीं रहता वसूली जारी रखने का और रेफरेन्स का यही नतीजा है कि उस वसूली को स्थगित किया जाना चाहिए जब तक गवर्नमेंट श्योर न हो जाय कि लीगल्ली वह वसूल कर सकती है।

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेंट ने कभी भी इसमें डाउट नहीं किया है कि वे टाइम बार्ड हो गये हैं क्योंकि ह्युमेनिटेरियन कन्सीडरेशन पर यह चीज इन्सिस्ट कर रहे थे कि लीगल डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट रेफर करने को तैयार नहीं है; तो कानूनी उसकी क्या सेन्क्टिटी है; इतने अर्से के लम्बे लोन हैं तो वह लीगल डिपार्टमेंट को रेफर करने को हम तैयार हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : न केवल टाइम बार्ड हैं किन्तु मैंने यह भी निवेदन किया है कि इन्डिविजुअल लोनीज़ ने डॉक्यूमेन्ट्स पर सिगनेचर नहीं किये हैं और डॉक्यूमेन्ट्स पर सिग्नेचर्स ग्रुप लीडर्स ने किये हैं। इसके बारे में यह भी रिपोर्ट है कि ग्रुप लीडर्स ने फोर्ज्ड सिग्नेचर करके फेमिलीज़ के नाम पर कर्ज ले लिया और इन्डिविजुअल फेमिलीज़ को कर्ज पहुंचा तक नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यह सही है कि ग्रुप लीडर्स ने हस्ताक्षर किये हैं और फेमिलीज़ का नाम दर्ज किया है। उसके लिए यह व्यवस्था की गई थी कि एक ग्रुप बना कर २०--२५ फेमिलीज़ का ग्रुप लीडर को यह अगर कर्जा दिया जाय तो जल्दी ही यह कर्जा इन्डिविजुअल फेमिलीज़ को पहुंच सकता है। यह उस इरादे से किया गया था। जहां तक इसकी वेलिडिटी का प्रश्न है इसकी जानकारी गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से मिली है। वह समझते हैं कि एग्रीमेंट सही था और सही होने

(श्री परसराम मदेरणा)

की हालत में उनका रियलाइज़ेशन जो फेमिलीज़ उसमें कर्ज लेने में ग्रुप लीडर के साथ थीं वे कर्जा देने के लिए मुश्तहक हैं और ऐसी सूरत में ग्रुप लीडर ने जो कोई भी एग्रीमेंट किया था उसको किसी तरह से भी गैरवाजिब गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया नहीं समझती है, ऐसा हमें आदेश मिला है, और यह केसेज़ कर्जे के बहुत पुराने हैं उनको जल्दी से रियेलाइज़ किया जाय। लेकिन इसके लीगल इम्प्लीकेशन्स को केवल रेफर करने के बारे में सरकार कुछ न कुछ स्टेप्स ले तो मैं आपकी मांग को स्वीकार करता हूं। उसमें जो सस्पेन्शन का प्रश्न है, यह सेट एसाइड करने का या एबेयेन्स में रखने का सवाल है, बिना गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की बातचीत के राजस्थान सरकार ऐसा करने में असमर्थ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या लीगल डिपार्टमेन्ट को इस प्रश्न को भी रेफर करेंगे कि क्या ग्रुप लीडर्स को दूसरे इन्डिविजुअल्स या फेमिलीज़ को बाइन्ड करने का इस प्रकार का कोई अधिकार था और क्या वे एक्व्यु-अली लीगल्ली एक फेमिली को बाउन्ड कर सकते थे ? न सिर्फ लीगेलिटी का प्रश्न, बल्कि ओरीजिनल डॉक्यूमेन्ट्स की वेलिडिटी और रेस्पोन्सिबिलिटी ऑफ ग्रुप लीडर्स की ऑथोरिटी के बारे में भी लीगल डिपार्टमेंट को रेफर करना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ऐसा मानती है कि जो एग्रीमेन्ट अंडर इन्सटान्स ऑफ इन्डिजुविअल्स ग्रुप लीडर्स ने किया है वह सही है इसलिये इसे लीगल डिपार्टमेन्ट को रेफर करना ठीक नहीं समझते। जहां तक मियाद का प्रश्न आपने उठाया था वह रेफर करना जरूरी था, उसकी जानकारी रेफर करने के बाद दी जायगी।........

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या........

श्री अध्यक्ष : इस तरह से बहस नहीं हो सकती। आर्गुमेन्ट्स आपने रख दिये हैं, उत्तर सुन लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : आप पहले सुन लीजिये, और जानकारी हांसिल करना हो तो बाद में प्रश्न पूछिये। आपने वाटर पम्पिंग सेट की कीमत के बारे में और समय पर वर्कशॉप शुरू नहीं करने के बारे में प्रश्न उठाये। यह सही है, राजस्थान गवर्नमेन्ट के पास सन् ५३ में शिकायत आई थी। इसके लिये एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी वह राजस्थान गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के पास भेज दी। उस पर क्या कार्यवाही की है, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि यह कमेटी हमने बैठाई थी क्योंकि जनता में ज्यादा डिसकॉन्टेन्ट-मेंट था और उसके पीछे गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की तरफ से कोई आदेश था नहीं, हमने बाद में रिमाइन्डर्स भी दिये कि जिस कमेटी ने कुछ मुद्दे रखे उसके बारे में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की निश्चित धारणा क्या है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक जवाब दिया उसमें कहा कि हम सोच रहे हैं। इसलिये जहां तक कर्जे का प्रश्न है, यह तो गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया का कर्जा है और

(श्री घरसराम मदेरणा)

यदि आप इसमें एग्रीव्ड फील करते हैं तो आपको या जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं उनके लीडर्स को गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के पास पैरवी करनी चाहिये। जहां तक राजस्थान गवर्नमेन्ट का प्रश्न है, हमने कुछ कमी देखी तो कमेटी का गठन किया था और इन्क्वायरी रिपोर्ट गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के पास भेज दी। हम जितना कर सकते थे, उसको करने में लापरवाही नहीं बरती है।

एग्रीमेन्ट के सिलसिले में, समझौते में ढिलाई बरतने की ओर इशारा किया गया। मुख्य मन्त्रीजी ने १६.४.६२ को, जब वे रेवेन्यू की डिमान्ड पर उत्तर दे रहे थे, आपके प्रश्न पर काफी विस्तृत तौर पर चर्चा की और मैं आपको निवेदन करूं कि जो कुछ प्रपोज़ल्स गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से राजस्थान गवर्नमेन्ट के पास आये थे और राजस्थान गवर्नमेन्ट ने नॉन क्लेमेंट डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की इकॉनोमिक हालत को देखते हुए जो कुछ तय किया था उस कमेटी में आप भी खुद मौजूद थे। गवर्नमेन्ट निश्चित तौर से उस पर अटल है और जो कुछ इसमें हो सकता है और जो कुछ मदद दी जा सकती है उस मदद को देने की कोशिश की जायगी।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने पुरुषार्थी भाइयों को मकानों के लिये जमीन नहीं देने की बात पर असन्तोष प्रकट किया। हम इसकी जांच करायेंगे कि डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को नाथद्वारा और बारां, इन दोनों जगहों का उन्होंने जिक्र किया था, में यदि जमीन नहीं मिली है और उनकी यदि वाजिब मांग है यह महसूस हुआ तो हम लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट को इस ओर मदद देने के लिये दर्ख्वास्त करेंगे।

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया; इनफर्मरीज़, विडो होम्स और सिक पर्सन्स की मदद के लिये कि पहले हमेशा तीन साल से बजट में प्रोविज़न रहता था, इस साल नहीं है। मैं निवेदन करूं कि जब कभी पहले ऐसा प्रोविज़न रहा है, यह ग्रान्ट गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया देती है और गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की ग्रान्ट का प्रोविज़न राज्य के बजट में रखा जाता है क्योंकि अब रीहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट को गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया धीरे धीरे वाइन्ड-अप कर रही है और इस तरह की ग्रान्ट का प्रोविज़न उन्होंने इस साल नहीं रखा और न हमें सहायता दी है इसलिये इस तरह की ग्रान्ट का अभाव पाते हैं हमारे बजट प्रोविज़न्स में।

जहां तक सिक (sick) आदमियों को मदद देने का प्रश्न है, जो कुछ राज्य सरकार कर सकती है और जहां तक इनफर्म आदमियों को लोन्स वगैरह देने का सवाल है, वह जो कुछ मदद राज्य सरकार दूसरे ऐसे नागरिकों के लिये करती है वह पुरुषार्थी भाइयों के लिये भी की जायगी। मैं आशा करता हूं, मेरे जवाब के बाद आप अपने कट मोशन्स विथ्ड्रॉ करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३५, मुख्यशीर्षक ७१-विविध पर इस सदन में माननीय सदस्यों ने काफी संख्या में कटौती प्रस्तावों के द्वारा बहस में हिस्सा लिया। कुल मिला कर करीब ६०—७० कट मोशन्स इस मांग के थे; उनमें से जो कटौती प्रस्ताव म्युनिसिपेलिटीज, अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट और डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बारे में थे उनके सिलसिले में सम्बन्धित माननीय मन्त्रियों ने उनकी बहस के उत्तर इस सदन में अभी आपके सामने प्रस्तुत किये।

इस मांग के सिलसिले में खास तौर से जो कटौती प्रस्ताव बाढ़ पीड़ितों, अग्नि पीड़ितों और पंचायतों के सम्बन्ध में थे उनके बारे में मैं कुछ शब्द निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने खास तौर से बाढ़ पीड़ितों और अग्नि पीड़ितों के सिलसिले में कटौती प्रस्ताव रखे। हनुमानगढ़ से आने वाले

(१०.० म. पू.)

माननीय सदस्य ने यह कहा कि पिछले ४ साल से लगातार नाली में फ्लड्स आ रहे हैं और वहां पर लाखों एकड़ जमीन पर पानी फिर गया, फसलें बरबाद हो गई, गांवों के लोगों की तबाही हुई। माननीय अध्यक्ष, यह सही बात है कि पिछले तीन, चार साल से कुदरत ने कुछ वहां पर पलटा खाया है। जो नाली पहले कहीं १० वर्षों से एक आध बार या दो बार आया करती थी वहां लगातार पिछले ४ वर्षों से, बरसात के ज्यादा होने की वजह से वहां पर पानी आ रहा है और इस पानी के आने से जो कि पिछली फरवरी, सन् ६० की फरवरी में वहां ज्यादा पानी आया था उससे कुछ फसलों के ऊपर पानी फिर गया और काफी एकड़्स की फसल खराब भी हुई। वे जो लाखों एकड़ और करोड़ों एकड़ की बात कह गये, ऐसी बात नहीं है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : 'कुछ फसल' से आपका क्या तात्पर्य है ? कुछ बची रह गई या........

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जरा सुनिये, सब्र रखिये। उन्होंने कहा कि लाखों एकड़ फसल बरबाद हो गई। सितम्बर, सन् ६०, में १४,८५६ एकड़ फसल की बरबादी हुई, पानी की वजह से। फरवरी, ६१ में ३५,००० एकड़ पानी से बरबाद हुई। जुलाई, १६६१ में १,२६६ एकड़ के करीब फसल बरबाद हुई। यह ठीक बात है कि फसल को नुकसान हुआ, वहां के कुछ गांवों में भी पानी घुस गया, कई कच्चे मकान भी गिर गये और सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ में.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आन ए पोइन्ट आॅफ आॅर्डर, सर : एक इन्फॉर्मेशन चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने कटौती प्रस्ताव रखा उनके बारे में मैं कुछ कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि वहां पर कुछ नहीं किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना सम्भव था और जो जिस तरह का नुकसान था उस हिसाब को देखते हुए सरकार ने पूरा प्रयत्न किया और उस सिलसिले में सिरकियों को बांटने में, अनाज के बांटने में, कपड़ों के बांटने में रुपया खर्च किया। लोगों को मकान बनाने के लिए कर्ज दिया गया और वह धन राशि, इस हिसाब से लाखों की धनराशि है। करीब चार लाख रुपये के लोन तो ऐसे लोगों को दिये गये जिनके मकान गिर गये थे और तीस हजार खास तौर पर हरिजनों को दिये अलग तौर से, इस चार लाख के अलावा। उसके साथ ही सिरकियों के लिए और इमीजियेटली रिलीफ देने के लिए,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मकान बनाने के लिए कुल मिला कर सात–आठ हजार की धन राशि वहां पर लोगों को उस वक्त दे दी गई। इसलिए यह कहना कि सरकार की तरफ से....

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : यह मकानों के लिए किया गया । वैसे नुकसान का सारा अन्दाजा क्या किया है, खेती उजड़ गई और....

नाथूराम मिर्धा : मैं बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से तो कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में इसके बारे में कन्फ्यूज़न चलता है कि अग्नि पीड़ितों और बाढ़ पीड़ितों का जो कुछ नुकसान हो उसका हरजाना सरकार भुगते। यह बात कतई नहीं है। सवाल है कि ऐसी एमर्जेन्सी में, जब कभी आग लग जाय जिससे लोगों का नुकसान हो या बाढ़ आने की वजह से जनता का नुकसान हो, तो उसकी वजह से टोटल नुकसान जितना होता है उस सब का मुआवजा अगर सरकार को देना पड़े तो यह लाखों–करोड़ों रुपये में पूरा नहीं हो सकता....

श्री श्योपतसिंह : आप लोन दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह लोन भी लाखों--करोड़ों रुपयों की तादाद में जाता है, उतना दिया जाय, यह असम्भव बात है। सवाल यह है कि उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जिनके पास कुछ नहीं रह गया है, खाने के लिए, रहने के लिए कुछ नहीं रह गया है, उनको तुरन्त मदद की जा सकती है, इस बात की हम कोशिश करते हैं। उन लोगों को कम से कम कुछ समय तक जो उनकी तकलीफें हैं उनमें सहायता पहुंचाई जाय। इस तरह इमीजियेटली रिलीफ देने की, मदद देने की बात आती है। इस दृष्टिकोण से सदन के माननीय सदस्यों को और आम जनता को समझना पड़ेगा कि वे सरकार से क्या आशा करें। वे लम्बी–चौड़ी आशा, गलत आशा लेकर बैठते हैं तो उससे आम जनता और सदन के माननीय सदस्यों के अन्दर गलतफहमी पैदा होने की सम्भावना है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार यह मान कर चलती है कि कुदरत की ऐसी कम से कम कठिनाइयां लोगों के सामने आयें और प्रान्त और देश में आयें।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सिर्फ पचास हजार का जो प्रावधान किया गया है, वह गलत है। यह एक लाख का प्रावधान है और एक टोकन प्रावधान है, क्योंकि हम शुभ मान कर चलते हैं कि आनेवाला साल हमारे प्रान्त के लिए और हिन्दुस्तान की जनता के लिए शुभ वर्ष हो। उसके बाद यदि कुदरत के कारण अगर अग्नि-पीड़ित ज्यादा हो जायं, बाढ़ के केसेज़ ज्यादा हों जायं तो जैसे टोकन प्रावधान पिछले वर्ष एक लाख रुपये का था, वह कुल खर्च मिला कर, जैसे आपने देखा कि जैसलमेर में बाढ़ आई तो सात लाख, आठ लाख रुपये राजस्थान में रिलीफ के लिए कर दिया और आग और बाढ़ के कारण लोगों को दिया गया। सात, आठ लाख का प्रावधान कर दिया गया। खासतौर पर बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उनका जो कटौती का प्रस्ताव था उस कटौती के प्रस्ताव में नाम लिया मालावास का, उसके बारे में बताया कि लोगों

(श्री नाथूराम मिर्धा)

को पांच हजार का रिलीफ तुरन्त देने की आवश्यकता थी । जिसके बारे में उनका कटौती प्रस्ताव था, उसके बारे में बताया । अब उन्होंने नये गांव की बात कही, वह ढाई, तीन साल पुरानी बात कही और फिर उसके साथ राजनैतिक दृष्टिकोण को जोड़ा गया कि मंत्री महोदय ने यह जाकर कहा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न तो उसके बारे में मेरी जानकारी है ।........

श्री सतीश कुमार शर्मा (बानसूर) : मंत्री महोदय का नाम नहीं लिया, एम. पी. का हवाला दिया था । बाबूजी का हवाला दिया था ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निश्चित तौर पर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजनैतिक काम करने के और भी क्षेत्र हैं । इस तरह के अग्नि और बाढ़ के काम–काज में राजनैतिक दृष्टिकोण न तो सरकार की तरफ से अपनाया गया है और न अपनाये जाने की इच्छा है । जहां पर वास्तव में लोगों को मदद करने की आवश्यकता है, उनकी मदद की गई है और मदद की जायगी । इसलिए यह बात खयाल में रखना कि एकल ाख रुपये कम हैं, यह गलत है, क्योंकि इसके लिये अख्तियारात है पंचायत समितियों को, वे खुद रिलीफ दे सकते हैं इमीजियेटली । पंचायत समितियों के लिए शायद बजट में प्रावधान होता है, फिर भी उनका जो पी. डी. अकाउन्ट है, उस अकाउन्ट में से, जिसमें पैसा रख दिया जाता है, पैसा निकाल कर जहां खाद्य पदार्थ देना है, अनाज देना है या ऐसी हालत हो गई है कि इमीजियेटली मदद देने की आवश्यकता है, तो पंचायत समिति रिलीफ दे सकती है । इसके साथ ही कलेक्टर साहब कर सकते हैं और यह फण्ड किसी वक्त भी बढ़ाया जा सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है ।....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : टोटल रिलीफ क्या पहुंचाया है पिछली साल ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग से इकट्ठा नहीं किया है । सात–आठ लाख के करीब किया । जहां एक लाख का प्रावधान था वहां आपने इस बात को देखा है कि जैसलमेर में पांच लाख रुपया देने की आवश्यकता पड़ी । इस तरह....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : पंचायत समितियों के पास पैसा नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कलेक्टर्स को दिया जाता है डिस्ट्रिक्टवाइज़ और वे पंचायत समितियों को अलॉट कर सकते हैं ।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : उचित समय पर ऑफिसर्स को रिपोर्ट करनी चाहिये इसकी क्या व्यवस्था की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह रिपोर्ट, जहां गांव वाले कहते हैं कि पैसा फण्ड में कम है, वहां की जरूर हमारे पास आती है । जहां से मालूम हुआ वहां तुरन्त पैसा दिया है । कलेक्टर खुद रिलीफ दे सकते हैं, खुद पंचायत दे सकती है और वे दिया करते हैं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के पास केवल पच्चीस रुपये थे, वे कैसे डिस्टिब्यूट किये जा सकते हैं ग्यारह पंचायतों को ?

श्री नाथूराम मर्धा : हमने पिछली साल....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह पैसा बहुत कम है।

श्रीनाथूराम मिर्धा : देखा कि दो सौ रुपया उस वक्त में थे जिस वक्त की आप बात कह रहे हैं। पर उनको अख्तियारात हैं कि दूसरी जो मदें हैं वे दूसरी मदों में से पैसा दे सकते हैं। उसको बाद में एडजस्ट किया जा सकता है।

उमरावसिंह ढाबरिया : यह अर्ज किया गया है कि वहां एक भी आदमी को रिलीफ नहीं मिला है जब कि पांच-पांच की सिफारिश करके भेजी थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि उनको जरूर मिला होगा। भीलवाड़ा का प्रश्न उठाया नहीं गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अब तक भी नहीं मिला है।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां फेमिन और फ्लड रिलीफ के बारे में कुछ मुद्दे जो सदन में उठाये गये हैं उनके बारे में मैंने कुछ शब्द कहे........

श्री सतीशकुमार शर्मा : यह निवेदन किया था........

श्री अध्यक्ष : Order please! Hon'ble Members! Please not to interrupt.

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके बाद में पंचायतों के बारे में, पंचायत समितियों के बारे में खास तौर पर जो मुद्दे उठाये गये हैं कि पंचायतों की आर्थिक हालत कमजोर है और उनको कुछ सहायता सरकार की तरफ से ज्यादा मिलनी चाहिये, पंचायत समितियों को भी सहायता के रूप में ज्यादा धनराशि मिलनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां राजस्थान में जब से यहां विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था लागू की गई है और पंचायत समितियों, न्याय पंचायतों और जिला परिषदों का गठन हुआ है तब से कुछ कार्य जो पहले ब्लॉक लेवल पर सरकार किया करती थी वह कार्य पंचायत समितियां किया करती हैं और इस सिलसिले में पिछली साल लगभग १० करोड़ की धनराशि इन कार्यों को पूरा करने के लिए वहां जो ग्रान्ट-इन-एड इन पंचायत और पंचायत समितियों को दी जाती है, उसके लिये पिछली साल बजट में ट्रान्सफर हुई थी और इस प्रकार की धनराशि लगभग बजट में भी १० करोड़ उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए पंचायत समितियों को दी गई है। पंचायत समितियों को ग्रान्ट-इन-एड के रूप में........

एक माननीय सदस्य : १० करोड़ कहां लिखा है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : २ करोड़ लिखा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : १० करोड़ को नहीं समझे तो मैं कैसे समझाऊं, बजट को लेकर अलग अलग कैसे समझाऊं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में २३२ पंचायत समितियां हैं, उनमें २५ नये पैसे प्रति व्यक्ति ग्रान्ट-इन-एड के हिसाब से लगभग १० करोड़ की राशि ट्रान्सफर की गई है। उनमें २३२ पंचायत समितियों में से १५६ पंचायत समिति-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

यों ने अपने रिसोर्सेज बढ़ा कर, नये टैक्सेज़ लगा कर लाखों रुपये पैदा किये हैं। उसके साथ ही साथ जो पंचायत समिति ऐसी हैं जिनको ग्रान्ट-इन-एड़ के रूप में सरकार की तरफ से फी व्यक्ति २० नये पैसे के हिसाब से पैसा दिया जाता है और जो छोटी से छोटी पंचायत हैं उनको २५०) रुपया दिया जाता है। जो बड़ी पंचायतों का प्रश्न है उसके अन्दर हमने मेग्जिमम लिमिट कर दी है और वह है कि ४८०)रु० तक की सहायता दी जाय। यह ठीक बात है कि पंचायत अपना मिनिमम खर्च रखे, एक चपरासी, एक सेक्रेटरी और ऑफिस के दूसरे खर्च; तो एक साल में करीब बारह सौ, तेरह सौ रुपये खर्च के लिए पंचायत समिति, को चाहिए तभी वे ठीक ढंग से अपनी व्यवस्था करेंगी और ठीक ढंग से अपना काम चला सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पंचायतों को कानून के नीचे स्वयं को टैक्स लगाने का अधिकार मौजूद है और माननीय अध्यक्ष, हमारे राजस्थान की ७,३६३ पंचायतों में से इस प्रकार के प्रयत्न एक हजार पंचायतों ने किये हैं और उन एक हजार पंचायतों ने कुछ टैक्स भी लगाये हैं जिसकी वजह से उनकेरिसोर्सेज़ ठीक हालत में हैं और वे अपना काम ठीक तरह से चला पाती हैं। पंचायतों की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के कारण उनको फण्ड की आवश्यकता है क्योंकि पहले से युनिट छोटे हो गये हैं और न्याय पंचायतें भी अलग बन गई हैं। इससे जो स्टाम्प आदि की आमदनी होती थी वह न्याय पंचायतों में होती है और उनको नहीं होती। इस वजह से पंचायतों को फण्ड की आवश्यकता है और पंचायतें जो अलग ढंग से काम करती हैं और स्कीम के नीचे काम करती है, पंचायत समितियां अपने सारे के सारे काम पंचायतों के द्वारा करती हैं और जो काम विकास के लिये करती हैं उसमें पंचायत समिति जो मदद देती है, वह तो उसको मिलते हैं। इसके अलावा यह भी निश्चित किया है कि १५ बीघा जमीन भी किसी पंचायत के पास हो तो उसको अलॉट की जा सकती है और उसको आमदनी उसको मिलेगी। अगर वह चाहे तो उस जमीन पर कुछ पैदा कर सकती है और उसकी आमदनी का लाभ उठा सकती है। दूसरे, गोचर की लैंड है उससे पैसा कमाते हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि पंचायतों के आर्थिक साधन कम हैं। उनको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इसके लिये राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप नम्बरदारी खत्म कर रहे हैं, पिन्तोतरा के बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका नम्बरदारी से कोई सम्बन्ध नहीं है। जब इसका समय आयेगा देखा जायगा। राजस्व मंत्री बतावेंगे।

उसके बाद में न्याय पंचायतों का प्रश्न उठा। उनके पास भी फण्ड की कमी है। इसलिये शुरू शुरू में हमने माना और यह ठीक भी है कि जहां पंचायतों का हैडक्वार्टर हो वहां न्याय पंचायतों का हैड क्वार्टर हो, वहां पर दोनों में आपस में संपर्क हो और वे लोग अपने अपने अलग ऑफिस इक्विपमेंट और कुछ कागज वगैरह रख लें और आम तौर से अपना दफ्तर वहीं रखें और पंचायतों और न्याय पंचायतों में आपस में समन्वय हो। न्याय पंचायतों को स्टेम्प की वजह से कुछ

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आमदनी हो जाती है। जहां पंचायतों और न्याय पंचायतों का समन्वय ठीक हो वहां पर चपरासी का यूज़ और भवन का यूज़ किया जा सकता है और जहां पर यह समन्वय ठीक नहीं बैठता है उसके लिए उनके फण्ड को ठीक करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। पंचायतों के साथ साथ न्याय पंचायतों की हालत को भी सुधारा जावे।

माननीय अध्यक्ष, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने पंचायतों के सदस्यों के ट्रेनिंग का प्रश्न उठाया था, उसमें हमने पंचायत समिति के सदस्यों को ट्रेनिंग देने के इन्तजाम करने की कोशिश की है। हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में पांच ऐसे केन्द्र कायम किये थे और तीसरी पंचवर्षीय योजना में तीन और केन्द्र चालू किये हैं। कुल मिला कर ८ केन्द्र कायम हैं, जहां न्याय पंचायतों और पंचायत समितियों के सदस्यों को ट्रेनिंग १० रोज के लिये दी जाती है। एक संस्था का जिन्होंने जिक्र किया कि वह प्राइवेट संस्था है, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि भारत सरकार और हमारी यह नीति है कि अगर कोई नॉन ऑफिशियल संस्था इस प्रकार का काम चालू करना चाहे तो उसे प्रिफरेन्स दिया जाए और खास तौर से गैर सरकारी लोगों को इसके लिये प्रोत्साहन करना चाहिये। खास तौर से उन्होंने जनता कॉलेज का जिक्र किया। मैं यह कहूँगा कि उनको तो मदद देते हैं उनके लिए खुशी होनी चाहिये, वे तो उल्टी बात कहते हैं। समझ में नहीं आता....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मेरा मतलब यह था कि जो शिक्षण केन्द्र है वहां पर पैसा ठीक तरह से नहीं लगता है क्योंकि वह पैसा इधर से बचा कर उधर लगा देते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझ गया आपकी बात। आपका यह ख्याल है कि पैसा ठीक तरह से नहीं लगाया जाता है यह सही नहीं है। हम सब ध्यान रखते हैं कि पैसा उचित ढंग से खर्च होता है या नहीं। जो पैसा उनको दिया जाता है उसके लिए आपका प्रिज़म्पशन तो यह होना चाहिये कि ठीक तरह से खर्च होता होगा। मगर आपका उल्टा प्रिज़म्पशन है, यह उचित नहीं है। ८ संस्थाएं हैं जो इस प्रकार का प्रशिक्षण पंचायत के लोगों को देने की कोशिश करती हैं और काफी सदस्यों को ट्रेनिंग दी गई है और जिन्होंने अध्ययन किया है उनमें बराबर आउटलुक और नियमों की जानकारी में अन्तर आया है। इसलिये यह जरूरी है कि उनको शिक्षा दी जाए और इन केन्द्रों को चालू रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिलाई जावे। इसलिए जो कटौती के प्रस्तावों द्वारा बातें कही गईं उनका उत्तर मैंने दिया है।........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : फ्री फण्ड के बारे में जरा बता दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : फ्री फण्ड के बारे में मांडल से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि फ्री फण्ड के पहले २६ लाख रुपये रखे थे वह अब घटा कर ५॥ लाख कर दिये गये हैं, यह ठीक नहीं किया है। इसके अलावा इसके नियम भी कठोर हैं। इस वजह से जो इसका लाभ

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है । माननीय अध्यक्ष, यह फ्री फण्ड की स्कीम तीसरी पंचवर्षीय योजना में अख्तयार की है कि करीब करीब ४ करोड़ रुपया पंचायत समितियों के लिए रखा था कि पंचायत समितियें या पंचायतें मिल-जुल कर ऐसे रिसोर्सेज़ पैदा करें जिससे कि सरकार उनको बिना किसी रुकावट के सहायता दे सके । इसके लिए परसेन्टेज यह मुकर्रर किया गया है कि ४० परसेन्ट सरकार द्वारा सहायता दी जावेगी और ६० परसेन्ट पंचायत समितियों को रिसोर्सेज़ के रूप में रेज़ करने होंगे । इसकेलिये कुछ ऐसी योजना चालू करें जिससे जो नियम बने हैं उनकी पूर्ति हो सके और उसके यहां काम भी हो सके । जहां तक हो सके पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशनसे ५० परसेन्ट से ८० परसेन्ट तक कॉन्ट्रीब्यूशन करें तो फायदा उठा सकते हैं ।

मैं समझता हूं कि पहले जो रुपया रखा गया था उसका फायदा इसी कारण नहीं उठा सके कि काफी प्रयत्न इसके लिए नहीं किये गये और प्रयत्न करने की क्षमता नहीं बनाई । इसलिये जो ३६ लाख का प्रावधान रखा गया था उसका उपयोग नहीं हो पाया । इसलिये हमने अब ५।। लाख से ६ लाख का प्रावधान रखा है । इसको हम रिवाइज़ करने की बात सोच रहे हैं । किसी तरह से पंचायतों को जो फायदा पहुंचाने के लिये हम कोशिश कर सकते हैं वह करेंगे ।

मैं आशा करता हूँ कि सदन के माननीय सदस्य अपनी इस मांग को पास करेंगे और कटौती के प्रस्तावों को यह समझेंगे कि विथड्रा कर लिये गये ।

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या ३५ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,२८,६१,००० रू० तक की राशि प्रदान की जाये ?

जो पक्ष में हों वे 'हां' कहें । (हां की ध्वनि)

जो विपक्ष में हों वे 'ना' कहें (नां की ध्वनि)

(मतदान के पश्चात्)

मांग स्वीकार की गई ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : Noes have it, Sir.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वार) : Noes have it, Sir.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : एक ही बोले हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न वापिस सदन के समक्ष प्रस्तुत करूं ?

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १, २८,६१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

जो पक्ष में हां वे 'हां' वे कहें (हां की ध्वनि)

(श्री अध्यक्ष)

जो विपक्ष मे हों वे 'ना' कहें (ना की ध्वनि)

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता, 'हां' पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई।

श्री विजयसिंह झाला : आवाज के आधार पर है तो 'नो' की आवाज बहुत जोर से की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य डिविज़न चाहते हैं ?

श्री विजयसिंह झाला : आज डिविज़न हो जाय।

विरोधी विपक्ष के कुछ माननीय कुछ सदस्य : नहीं, नहीं, डिवीज़न नहीं।

श्री मानसिंह महार : इस मांग पर डिवीजन नहीं चाहते, पर वह कोरिजेन्डम नहीं आया, बजट में जो गलतियां थीं उसके लिये, तो मजबूरन हमको डिविजन चाहना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २२, मुख्य सशीर्षक ३७– सामुदायिक विकास परियोजनाएं इत्यादि

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या २२ पर बहस होगी साढ़े ग्यारह बजे तक व साढ़े ग्यारह से १२ बजे तक उत्तर होगा, सरकार की तरफ से। फिर १२ बजे गिलोटिन, मुखबन्ध लागू होगा। उसके बाद सम्बन्धित कार्यवाही की जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : समय साढ़े दस बजे से है। कटौती प्रस्तावों की तादाद बहुत ज्यादा है, कैसे डेढ़ घंटे में समाप्त हो सकेगा ? यह तो बहुत महत्वपूर्ण मांग है। खास चीज तो यह है देखने की कि इससे विकास होगा या नहीं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इस पर अधिक समय दिया जाना चाहिये, जो समय इसके लिये दिया गया है वह अपर्याप्त है।

श्री अध्यक्ष : सदन ने यही निश्चय किया था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह प्रश्न कल रखा गया था तो मांग संख्या ३५ पर कल ही बहस होकर आज सरकारी पक्ष की ओर से जवाब का रखा गया था, पर उस पर डेढ़ घंटा समय अधिक ले लिया। इसलिये इस डिमान्ड पर समय कम न करके पूरे दिन भर इस पर बहस होनी चाहिये। राजस्थान का इन्टर्नेशनल नाम भी इसी वजह से है, तो इस पर पूरे दिन बहस होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! हर समय, समय की अदलाबदली करनी उचित नहीं होती। सदन द्वारा यह तय किया गया कि आज सारी मांगें पूरी कर दी जायं, गिलोटिन लगा कर। तो हर समय समय बढाने की बात की जाय, यह उचित प्रतीत नहीं होता। जो कार्यक्रम निश्चित किया गया है उसी के आधार पर चलना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय निवास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष

(नाथूराम मिर्धा)

में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,४१,६६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(१०. ३५. म. पू.)

(राव श्री नारायणसिंह, सभापति, पदासीन)

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): (१) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजना आदि में १) रु० तक कीकटौती की जाय। (1) Community Development Project.

(2) National Extension service.

(3) Local Development Works. की व्यवस्थाओं पर विचार करने हेतु)

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा-सु०): (३) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० तक की कटौती की जाय (आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय-विकास निर्माण कार्यों सम्बन्धी नीति पर विवाद करने हेतु)

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): (३) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० तक की कटौती की जाय (सहकारी योजना बदलने तथा जन योजना बनाये जाने की नीति पर विवाद करने हेतु)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): (४) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० तक की कटौती की जाय (विकास के बजाय प्रशासन पर अधिक व्यय करने की नीति पर ध्यान दिलाने हेतु)

(६६) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति बनेड़ा के B. D. O. के कार्य पर बहस करने हेतु)।

(७०) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति को ग्राम स्वच्छता के लिए दिये गये अधिकारों पर बहस करने हेतु)।

(७१) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति को कृषि, सिंचाई के लिए दिये जाने वाले अनुदान पर बहस करने हेतु)।

(७२) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को फ्री फण्ड के रूप में दिये गये अनुदान पर बहस करने हेतु)।

(७३) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक

Page No 52

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को दिये जाने वाले अनुदान पर बहस करने हेतु) ।

(७४) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति व सहकारी तथा शिक्षा विभाग के सम्बन्धों पर विचार करने हेतु) ।

(८०) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों के निर्माण कार्यों में विभागीय हस्तक्षेप पर बहस करने के लिये) ।

(६८) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (ग्राम्य कला, शिल्प तथा उद्योगों को छोटे गांवों में प्रोत्साहन देने पर बहस करने हेतु) ।

(६६) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (छाया खण्डों को एक्सटेन्शन ब्लॉक बनाने की नीति पर बहस करने हेतु) ।

(१०८) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों द्वारा किये जाने वाले विकास कार्यों में लिये जाने वाले जन-सहयोग व श्रमदान की नीति पर विचार करने हेतु) ।

(१०६) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायतों को ग्रामों में जन-उपयोगी कार्यों के लिए पंचायत समितियों द्वारा धनराशि उधार दी जावे, इस पर विचार करने हेतु) ।

(११०) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों के समाज कल्याण विभाग पर बहस करने हेतु) ।

(१११) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों में खरीदे जाने वाले सामान पर बहस करने हेतु) ।

(११२) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को बजट अलॉटमेन्ट की विभागीय इत्तला व धनराशि समय पर नहीं मिलने से कार्य में होने वाली अड़चनों पर विचार करने हेतु) ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : (५) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास परियोजनाऐं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास, स्थानीय विकास व निर्माण कार्य की रकम ग्राम पंचायतों के मारफत खर्च करवाई जाने के लिये बहस हेतु)

(६) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास योजनाऐं आदि में १) रु० तक की कटौती की जाय (सामुदायिक

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

विकास, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, स्थानीय विकास के नाम पर धन के दुरुपयोग किये जाने वाले कामों पर बहस करने हेतु)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : (७) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (अलीगढ़ पंचायत में विकास कार्य की रकम चुनाव में खर्च करने पर प्रकाश डालने हेतु) ।

(१०३) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रू० की कटौती की जाय (सामुदायिक योजनाओं की असफलता पर प्रकाश डालने के लिये) ।

(१०४) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रू० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों की स्टेन्डिंग कमेटियों की अव्यवस्था पर प्रकाश डालने के लिये) ।

(१०५) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रू० की कटौती की जाय (विकास कार्य में ग्राम पंचायत को बुनियादी इकाई बनाने के लिये) ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): (८) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों के प्रधानों द्वारा सरकारी जीपों का चुनावों में दुरुपयोग और मनमाने ढंग से धन का वितरण किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री घासीराम यादव (बहरोड) : (९) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (विकास अधिकारियों पर नियन्त्रण रखने में सरकार की नीति पर बहस करने हेतु) ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : (१०) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १००) रुपये की कटौती की जाय (विकास समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

(८८) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७– सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० तक की कटौती की जाय (इस मांग के मदों में स्वीकृत राशि काफी नहीं है, पर बहस करने हेतु) ।

(९३) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (विकास अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर बहस करने हेतु) ।

(९४) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (विकास समितियों तथा राज्य सरकार द्वारा Animal Husbandry and Agriculture Extension के सम्बन्ध में अपनाई गई दुर्लक्ष पूर्ण नीति पर बहस करने हेतु) ।

(१०६) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

१) रु० की कटौती की जाय (विकास समितियों के विकास कार्यों में नौकरशाही के कारण पैदा होने वाली अड़चनों पर बहस करने हेतु) ।

(१०७) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : (११) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक योजना द्वारा ग्रामीण जनता में आपसी फूट; सहयोग के स्थान पर, बैर-भाव, स्वार्थपरता को प्रोत्साहन मिलने पर बहस करने हेतु) ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : (१२) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (विकास निर्माण कार्य के लिये टाइम पर सरकार द्वारा मन्जूरी की रकम नहीं पेमेन्ट करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदय, देश की आजादी के साथ साथ केन्द्रीय सरकार ने यह अनुभव किया कि जो भारतवर्ष वर्षों तक गुलाम बना रहा उसके कारण कई क्षेत्रों में हमारा विकास अवरुद्ध हो चुका है । इसके लिये भारत सरकार ने अपनी कुछ योजनाएं बनाईं और उन योजनाओं को केन्द्रीय सरकार ने कार्यान्वित किया और अन्य प्रान्तीय सरकारों को भी केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं को कार्यान्वित करने की सिफारिश की और साथ साथ खास करके राज्य सरकारों ने यह अनुभव किया कि ग्रामीण क्षेत्र बमुकाबले शहरी क्षेत्रों के सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं । इसको आधार मान कर सामुदायिक विकास योजना और नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस आदि योजनाएं चलाई गईं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति के लिये बनाई गईं । इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये दो तरफ बांटा गया, एक तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये और दूसरा समाज के उत्थान के लिये । ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोडक्शन, चाहे खेती से हो, चाहे पशु–पालन से हो, चाहे अन्य किसी तरह से हो वह बढ़े । इस कार्य में बीच में अड़चनें आयें तो उनको हटाया जाय और ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जाय ।

दूसरे, सामजिक क्षेत्र में जो ग्रामीणों में सामाजिक कुरितियां हैं, जिनके कारण वे शहरों के मुकाबले में पिछड़े हुए हैं, उनको हटा कर शहरों के मुकाबले में गांवों को लाया जाय, इसलिये योजनाओं को कार्यान्वित किया गया ।

पर आज देखा जाय तो ये योजनाएं केवल योजनाएं रह गई हैं, जहां तक उत्पादन बढ़ाने का सवाल है, कृषि विभाग में विकास नहीं किया गया है । काश्तकारों को ही ले लीजिये । फसल बोने के बाद से लेकर फसल पकने के पहले का जो बीच का समय है उसमें वे लोग बेकार बैठे रहते हैं । यह उनको नहीं बताया गया है कि कैसे विकास करना चाहिए, ऐसे कौनसे उद्योग हैं, कार्य हैं जिनको करके अपने साधनों को बढ़ा कर आर्थिक उन्नति

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई विकास नहीं किया गया है और इसका नतीजा यह है कि आज के किसान उसी प्रकार पिछड़े हुए हैं । हाथ का उत्पादन किस प्रकार बढ़ाना चाहिए, कौनसी खाद को किस जमीन में काम में लाना चाहिये जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े; इन चीजों से आज भी किसान अनभिज्ञ हैं। वैसे बनाने को कितनी ही चीजें बना दी जायं और कह दिया जाय कि हमने अनुसंधान केन्द्र बना दिये हैं पर किसानों को मालूम नहीं है कि ऐसी भी कोई संस्था है। आज जो बजट टैक्सेज से चलता है तो आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक एक ग्रामीण को अनुभव कराया जाय कि आज देश आजाद है और हरएक की भलाई के लिये कार्य किये जा रहे हैं।

उद्योगों के बारे में मैं निवेदन करूं। कोटा जिले में इस प्रकार के गांव, क्षेत्र मौजूद हैं जहां कोटा स्टेट के समय में छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलाये जाते थे। सावा क्षेत्र में जालवाना गांव है। वहां पर लकड़ी का उद्योग खूब अच्छी तरह से चलता था। वहां पर लकड़ी की नाना प्रकार की चीजें तैयार की जाती थी। इसी तरह इटावा में हाथी-दांत का काम बहुत अच्छा होता था और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरह के काम होते थे। लेकिन आज योजनायें बनाने पर भी उन उद्योगों की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और यह कहना चाहिये कि आज वे कम्पीटिशन में समाप्त हो चुके हैं। वे लोग उन धन्धों को छोड़ कर या तो कारखानों में मजदूर बनते हैं या पत्थर ढोते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं कि कोटा के अन्दर कपड़ा बनता है। यहां का कपड़ा आज भी मशहूर है और दूर दूर इलाकों में जाकर बिकता है और आज के इस कम्पीटिशन में भी यह कपड़ा बिकता है; लेकिन मुझे अफसोस है कि आज इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

एक और बात निवेदन करूं, सभापति महोदय, कि ग्रामीण सामाजिक कुप्रवृत्तियों के शिकार बनते जा रहे हैं और बने हुए हैं। नुक्ते हैं या पर्दा सिस्टम है उनको ही देख लीजिये। जितनी बुराइयां हो सकती हैं वे सब ग्रामीणों में मौजूद हैं। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या इसके लिए उन्होंने कोई कदम उठाया है ? क्या कानून बन जाने के बाद भी कोई उन्नति हो पायी है ? आज ग्रामीण उन्हीं सामाजिक कुप्रवृत्तियों के शिकार हो रहे हैं और इस कारण वे बड़े दुःख में हैं। सच्चे माने में वे आजाद नहीं हैं। आज का ग्रामीण यह महसूस करता है, जो कि डेमोक्रेसी और जनतन्त्र के लिए खतरनाक है, कि राजाओं के राज्य इससे अधिक अच्छे थे, जिनमें हम सुखी थे। इसका एक मात्र कारण यह है कि हमारी जो योजनायें बनती हैं वे ठीक प्रकार से नहीं बनती हैं और उनको ठीक प्रकार से कार्यान्वित भी नहीं किया जा रहा है और जो खर्चा किया जा रहा है वह बेकार जा रहा है। प्राक्कलन समिति की सन् १९६०–६१ की रिपोर्ट है उसके २० वें प्रतिवेदन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि इसमें सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि आज जो योजनायें बनाई जा रही हैं उनमें जो पैसा लगाया जा रहा है असली योजना के कार्य के प्रति

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कम खर्चा किया जा रहा है और अधिकतर खर्चा प्रशासन की ओर किया जा रहा है। इसमें जो आंकड़े दिये हैं उनकी ओर भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरू शुरू में प्रशासन पर २२ प्रतिशत और विकास कार्यों पर ७८ प्रतिशत खर्चा किया जाता था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जहां हमको विकास कार्यों के खर्चे को आगे बढ़ाना चाहिये वहां विकास कार्यों पर कम खर्चा किया गया है और प्रशासन पर अधिक खर्चा किया गया है जो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ५६–६० में प्रशासन पर ३६.२ प्रतिशत का खर्चा किया गया और विकास कार्यों पर ६१ प्रतिशत खर्च किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि धीरे धीरे प्रशासन पर अधिक खर्चा हुआ और विकास कार्यों पर कम खर्च हुआ यानी विकास कार्यों पर ७८ प्रतिशत से घट कर ६१ हो गया और प्रशासन पर २२ के बजाय ३६ हो गया। एस्टीमेट कमेटी ने इस पर चिन्ता प्रकट की है और इस ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाया है। साथ साथ यह भी ध्यान दिलाया है कि जब से इस ओर कार्य आरम्भ हुआ है कितनी प्रगति हुई है और ग्रामीण क्षेत्र कितना चाहते हैं। उस कमेटी ने रिपोर्ट की है कि सरकार के पास कोई इसके लिए आंकड़े नहीं है कि हमने इस ओर कितनी उन्नति करली है। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन योजनाओं में खर्चा हो रहा है वास्तव में हमको यह मालूम नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी उन्नति करली है, कितने कदम आगे बढ़े हैं और कितने पीछे गये हैं। इस संबंध में कोई सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं। केवल योजनायें बना देने से काम नहीं चलेगा। जब तक उनकी अच्छी तरह से कार्यान्विती नहीं होगी तब तक ग्रामीण क्षेत्रों को मालूम नहीं होगा कि हम वास्तव में आजाद हैं। इसी मकसद से मैंने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, बोलनेवाले काफी हैं इसलिए कोई इस सम्बन्ध में टाइम लिमिट हो जानी चाहिये।

श्री सभापति : समय साधारण तौर से जितना कम ले सकें उतना ही अच्छा है। साधारणतया एक कट मोशन के लिए पांच मिनट पर्याप्त होंगे और एक से अधिक हों तो १० मिनट से अधिक न लें तो अच्छा है।

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा-सु.) : 'सभापति महोदय, मैं आदिवासी क्षेत्र के लिए कहना चाहता हूं। आदिवासी क्षेत्र जहां जहां हैं वहां साम्प्रदायिक विकास के विषय में जब पंचायत समितियां काम कर रही हैं वहां पर जो आदिवासी रहते हैं वे वर्षों से पिछड़े हुए हैं और वहां के लोगों के पास ऐसी जमीन है जो पहाड़ी है, जहां पर एक फसल पैदा होती है। वहां पर आज के इस विकास के युग में पंचायत समितियों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उन इलाकों में ५० प्रतिशत जो सामूहिक विकास के कार्य किये जाते हैं उनमें श्रमदान लिया जा रहा है। सभापति महोदय, जहां के लोग श्रमदान नहीं दे सकते हैं ऐसे इलाकों में श्रमदान नहीं लेना चाहिये क्योंकि बड़े २ शहरों में जहां करोड़ों रुपया खर्चा होता है वहां पर कोई श्रमदान का नामोनिशान नहीं है और जो छोटे २ गांव हैं, गरीब इलाके हैं उन इलाकों में श्रमदान रखा

(श्री विट्ठल)

जाता है। उसमें बड़ी मुसीबत आती है और हमारी पंचायत समितियों के बी. डी. ओज़ और प्रधान और सरपंचों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जहां जहां स्कूलों के भवन बनते हैं और पानी पीने के कुओं की मंजूरी दी जाती है तो श्रमदान न मिलने के कारण झूठे २ हिसाब बनाते जाते हैं और बी० डी० ओज़ द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है। तो बी० डी० ओज़ और सरपंचों दोनों के लिए बड़ी मुसीबत है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए श्रमदान बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिये और यह भी कह देना चाहता हूँ कि जो पहाड़ी इलाके हैं और पानी पीने के कुओं के लिए रकम दी जाती है वह एक हजार से अधिक की रकम नहीं मिलती है और वहां पर इस रकम से कुएं खोदना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां की पथरीली जमीन है, एक कुंए के लिए चार, पांच हजार रुपया खर्चा होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्रों में एस्टीमेट के माफिक जैसे दस के बजाय यदि उस पंचायत समिति के क्षेत्र में ५ ही कुंए बना लिये जाय जिससे यह रकम ऐसे कुओं के लिए हो सके जो कि पुख्ता कुओं के लिए हो। जो भी काम हो वह पुख्ता हो। एक हजार रुपये में काम नहीं हुआ इसलिए बहुत से कुंए अधूरे पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से एक हजार की रकम प्राइमरी स्कूलों के लिए दी जाती है, जबकि उनकी दो-तीन हजार की लागत होती है। इससे उनका काम पूरा नहीं होगा। श्रमदान ऐसे इलाकों में मिल नहीं पाता और काम इससे अधूरे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पंचायत समितियों को अधिकार देना चाहिये कि जितने एस्टीमेट बने, चाहे वे स्कूल के भवन हों, चाहे पीने के पानी के कुएं हों उनको इतनी रकम मिलनी चाहिये, जिससे उनका काम पूरी तरह से चल सके और उनका काम पुख्ता हो सके। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।

श्री सभापति : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदय, एक अर्से तक सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्यक्रम चलने के बाद भी देश ने यह महसूस किया है कि ये सामुदायिक विकास योजनायें केवल नाम मात्र की हैं, जब कि उन क्षेत्रों से इनके विकास में, सामूहिक विकास में जनसहयोग नहीं मिलता है। इसलिए राजस्थान सरकार ने इस बात को पहल की कि २ अक्टूबर, १९५९ से राजस्थान के अन्दर लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण का श्री गणेश किया गया है। सरकार बातें तो लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की करती है लेकिन यदि मैं यह कहूं कि लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण के नाम पर केवल पंचायत समितियों तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी और न ही यह अनुचित होगा। यदि हम चाहते हैं वास्तव में जन-योजनायें बने, जनता का इनमें सहयोग हो तो उसके बनाने और उनको कार्यान्वित करने में, दोनों में जनता का हाथ होना चाहिये। आज स्थिति यह है कि यदि एक क्षेत्र में कुआ बनाना है तो पंचायत समिति में उसके लिए दरख्वास्त जानी चाहिये। वह देखेगी कि इसकी मंजूरी दी जाय या नहीं और दूसरी तरफ

(श्री नत्थीसिंह)

जो जिला परिषदें हैं यदि उनसे कहते हैं कि हमारे यहां औषधालय होना चाहिये तो उसकी मंजूरी राज्य सरकार से ली जावेगी। यदि राज्य सरकार इसको उचित समझे तो माने, नहीं तो नहीं माने। इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। हमें यह मानना पड़ेगा कि वास्तव में आज जनता को योजनायें बनाने और उनको कार्यान्वित करने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमको इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। मैं आपको पंचायत समितियों के उदाहरण दूं कि ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ प्रधान के चुनाव में १४ और १५ का अनुपात था तो १४ पंचायतों को एक पैसा अनुदान का नहीं दिया जाता और उनको तकावी भी जानबूझ कर नहीं दी जाती। आज किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं ? इसके लिये यह जरूरी है कि हम अपने दिमाग में यह चीज स्पष्ट कर लें कि पंचायत एक आधारभूत इकाई है और उसको हम स्वावलम्बी बनायें और अधिक से अधिक अधिकार दें। आज जिस प्रकार से जो कुछ खर्चा होता है उसको पंचायत समितियों में तय करने की जरूरत नहीं है कि किस पंचायत को कितना दें और कितना न दें। यह जरूरी है कि पंचायतें ही अपनी योजनायें बनायें और खर्चा करने का भी अधिकार उन्हीं को हो। यह तब हो सकता है कि जब हम यह मान लें कि ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी पंचायत और पंचायत समितियों के मिलजुल कर करने की है और ग्राम सभाओं का एग्ज़िस्टेन्स आज की तरह केवल कागजों में न रहे, बल्कि उनको एक इफेक्टिव रोल अदा करने के लिए बढ़ाना है। इसलिये पंचायतों ने अपने प्रोग्राम बनाये, वे अपने गांवों से सम्बन्धित जो प्रोग्राम हैं उनको पूरा करें। गांव की जो रेवेन्यू है उसमें से पूरा अधिकार गांव पंचायतों को दिये जाने चाहिये और राज्य सरकार की जो आमदनी है उसमें से भी २५ प्रतिशत भाग ग्राम पंचायतों को खर्च के लिए मिलना चाहिये तभी वे अपने लक्ष्य में आगे बढ़ सकेंगे।

दूसरा पहलू है। आज हम देखते हैं कि पंचायत समितियों में जो एक्सटेन्शन ऑफिसर्स होते हैं वे आज सिर्फ खाना पूरी ही करते हैं। जितनी भी प्रोग्रेस वे दिखाते हैं वह टेबल पर बनी हुई होती है, वे आंकड़े सब वहीं बैठ कर बनाये जाते हैं, फील्ड के आंकड़े वे नहीं होते हैं। जब पंचायतों को इस प्रकार का अधिकार देंगे तो पंचायत समिति में प्रसार अधिकारी समय के अनुसार पंचायतों में जाकर काम को देख सकेंगे और उसको आगे बढ़ा सकेंगे।

इसके साथ साथ दूसरी स्थिति जो जिला परिषदें महसूस करती हैं वह यह कि महीने में एक दिन इकट्ठा हो जाना और एक एडवाइज़री बोडी के तौर पर रोल अदा करना, इसके सिवाय उसके पास कोई काम नहीं। हमें यह मानना चाहिये कि जिला स्तर पर जितने भी विकास के कार्य हों, जितनी भी विकास योजनायें हों वह काम जिला परिषदों को दिया जाना चाहिये। हमारी राज्य सरकार को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिये कि वे अपनी शक्तियों में कर्टेलमेन्ट करें।

सभापति महोदय, जहां तक जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स का सवाल है हायर सेकेन्डरी एज्यूकेशन का सवाल है, ये भी जिला परिषद् को हस्तान्तरित किये जाने चाहिये। राज्य सरकार यह तय करे

(श्री नत्थीसिंह)

कि जिलेवार इतना इतना खर्च करना है, जन-स्वास्थ्य पर, एजुकेशन आदि पर, कहां औषधालय खोलने हैं, कौन सी सड़क बनानी है इसको तय करने की शक्तियां जिला परिषद् को हस्तान्तरित की जानी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये जैसा कि भरतपुर जिला परिषद् ने ३० मार्च की मीटिंग में यह प्रस्ताव पास करके भेजा है कि पिछले दो वर्ष से लगातार जिला परिषद् प्रस्ताव भेजती रही है कुछ औषधालयों के बारे में, स्कूलों के बारे में उनको राज्य सरकार द्वारा मन्जूरी नहीं दी गई। लेकिन दूसरे क्वार्टर से मिनिस्टरों तक जब एप्रोच की जाती है तो वे योजनायें ऊपर से ऊपर मन्जूर हो जाती हैं। लेकिन जब हम सुनियोजित आधार पर विकास करना चाहते हैं तो हमें जिला परिषद् आदि की सिफारिशों पर ध्यान देना होगा। आप यदि वास्तव में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण चाहते हैं तो ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार देकर उनको बलशाली बनाना चाहिये। अगर पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कोऑर्डिनेशन करना है तो वास्तव में जिले के लिए बननेवाली योजना में जिला परिषद् का सहयोग लेना आवश्यक होना चाहिये, तभी जाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो सकेंगे, नहीं तो नहीं। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सभापति महोदय, इस मांग के उपर मेरे १५ कटौती के प्रस्ताव हैं और मैं आपकी आज्ञा से एक एक के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूं। पहला मेरा कटौती का प्रस्ताव है उसके अन्दर....

श्री सभापति : I hope each of the cut motions will not take more than five minutes.

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): That will mean 75 minutes for him.

श्री सभापति : I hope he will not take more than 15 minutes.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वह तो नहीं होगा। मैं अपने आपको लिमिट करने की कोशिश करूंगा। इसमें दो-चार कट मोशन्स ऐसे हैं जिनके बारे में हाउस के सामने प्रूफ रखना चाहूंगा।

श्री सभापति : १५ मिनट से अधिक न लें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सभापति महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव है उसमें मैंने यह लिखा है कि इस योजना के अन्दर काम के ऊपर कम खर्च किया जा रहा है और प्रकाशन के ऊपर अधिक खर्चा किया जा रहा है। यह योजना चुने हुए लोगों के द्वारा शासन के लिये बनायी गई थी। उसके अन्दर जिस तरह से इन योजनाओं के अन्तर्गत जिला परिषद्, पंचायत समिति और पंचायतों के अन्दर काम हो रहा है उसके अन्दर अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो यह मालूम होगा जहां पंचायत समितियों का सालाना बजट ४ लाख ७७ हजार रुपया है तो पब्लिक काम के लिये खर्च होता है और चार लाख रुपया प्रशासन

Page No 60

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

चलानेवाले लोगों पर खर्चा होता है । मैं उसके कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूँगा । पंचायत समिति के अन्दर एक वेक्सीनेशन डिपार्टमेन्ट है । उसके लिये पंचायत समिति के पास २६०) रुपये का बजट है । उस बजट में से दवाइयों के डिस्ट्रिब्यूशन के लिये एक वेक्सीनेटर को रखा जाता है, जिसका मासिक वेतन १२५) रुपया होता है। उसके साथ साथ एक फोर्थ क्लास सरवेन्ट रहता है जिसको ६५) रुपया मासिक तनख्वाह मिलती है । वहां २६०) रुपये की दवाई को डिस्ट्रिब्यूट करने के लिये २,३००) रुपये की तनख्वाह वाले आदमी को रखना पड़ता है और उसके साथ एक फोर्थ क्लास सरवेन्ट और रहता है जिसके पास सिर्फ एक पौन्ड से अधिक वजन इधर उधर ले जाने के लिए नहीं होता है । मैं समझता हूँ कि इतने से वजन को उठाने के लिये फोर्थ क्लास सरवेन्ट को रखने की आवश्यकता नहीं । लेकिन राज्य सरकार ने नियम बना रखा है जिसकी वजह से वे चुने हुए आदमी चाहते हुए भी कर नहीं पाते । उच्च अधिकारी उसमें इन्टरफियरेन्स करते हैं । इसके अलावा जितने भी प्रसार अधिकारी हैं और दूसरे अधिकारी लोग हैं उनके लिये अर्ज करना चाहता हूं जहां तक छाया खंडों का सवाल है वहां पर इतने अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है । बहुत से अधिकाकारियों के लिये नियम बना हुआ है कि उनको महीने में २५ रोज टूर करनी चाहिये उनको जा कर के अपने क्षेत्र में काम करना चाहिये । लेकिन वे २५ दिन की टूर नहीं करते और एक ग्रुप बना करके पंचायत समितियों में बैठ करके पार्टीबाजी को प्रोत्साहन देते हैं और वहीं पर बैठ कर आंकड़े बना देते हैं और उसी आधार पर २५ टूर का प्रोग्राम बना लेते हैं और उसका टी० ए०, डी० ए० उठा लेते हैं । इस तरह से प्रशासन पर जो खर्चा होता है उसमें ये लोग ज्यादा खर्च करते हैं । मैं इस बारे में बनेड़ा पंचायत समिति के बारे में खास तौर से निवेदन करूंगा । मैंने ये सब बातें उदयपुर में जब सेमीनार हुआ था रखी थी और राजस्थान के दूसरे दूसरे डिवीजनों के लोगों ने भी इस बारे में अर्ज किया था और वहां होने वाले दोनों सेमीनार्स में कुछ निश्चय किये गये लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके अन्दर जो भी मामूली परिवर्तन करने के निश्चय किये गये थे जिनका उत्तर सरकार द्वारा पंचायत समितियों के प्रधानों के पास भेजना चाहिये था वह नहीं भेजा गया है और अभी तक सरकार विचार ही कर रही है । संशोधन करने का जो विचार था करीब ११ महीनों से सामान्य डिसीजन पर भी कोई निर्णय नहीं ले पाये हैं, यह बड़े दुख की बात है और न इस बारे में कोई ठोस कदम उठाया गया है, जिसके अन्दर खास तौर से यह बताया गया हो कि इस काम के लिये प्रशासन पर होनेवाले खर्च में कटौती की जाय और ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां के डेवलपमेन्ट के लिये खर्च किया जाय । यह बात कही गई कि यह प्रश्न अभी तक सरकार के विचाराधीन है । वे विचाराधीन प्रश्न कब तक हल हो जायेंगे, इसके लिये कम से कम हाउस को सूचना देनी चाहिये और निश्चित तारीख बतायी जाय कि इस तारीख तक जितने भी प्रश्न उठाये गये हैं उनके बारे में फैसला कर दिया जायगा । पहले कटौती प्रस्ताव के बारे में

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रशासन पर खर्च कम किया जाकर ज्यादा से ज्यादा खर्चा लोगों की सुविधा और डेवलपमेन्ट के लिए किया जाना चाहिये।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव है बनेड़ा के बी० डी० ओ० के बारे में जो जो कारनामे उन्होंने किये हैं उनके बारे में। मैं इसको यहां कहना नहीं चाहता था, फिर भी सभापति महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रजातन्त्र के युग के अन्दर हम यह बात चाहते हैं कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वे छोटे अधिकारी हों या बड़े अधिकारी हों उनको निष्पक्ष होकर राज्य के काम को, अपनी ड्यूटी को अन्जाम देना चाहिये। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार के उच्च अधिकारी और ट्रेज़री बैन्चेज़ पर बैठने वाले मंत्री महोदय तक ने ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया, जिन्होंने हमारे राजस्थान की इस विकेन्द्रीकरण स्कीम के खिलाफ जनता के अन्दर प्रदर्शन किया और उसके खिलाफ प्रचार किया है। इसका नमूना राज्य के मंत्री मंडल के सामने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने, विकास विभाग के उच्च अधिकारियों के सामने मैंने पत्र लिख कर बताया है। बनेड़ा पंचायत समिति के बी० डी०-ओ० ने, वहां के अध्यापकों द्वारा २३-८-६१ को एक नाटक बनेड़ा के अन्दर खेला गया, उसमें विकेन्द्रीकरण की स्कीम को एक निकम्मी स्कीम बताया और सरपंचों को सड़े-पंचों के नाम से पुकारा गया। इस तरह से कि पंचायत समिति के जो प्रधान है, चुने हुए पंच हैं वे किस तरह से मिसयूज़ करते हैं कि किस प्रकार से रिश्वत लेते हैं, किस प्रकार का प्लान वे बनाते हैं और किस तरह से सरकारी अधिकारी उसको ना पसन्द कर देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिला कलेक्टर द्वारा जांच हो जाने के बाद भी और बी. डी. ओ. के खिलाफ रिपोर्ट होने के बाद और उनका ट्रांसफर ३० दिसम्बर, १९६१ को कर दिये जाने के बाद, भी यहां से एक टेलीग्राम द्वारा ऑर्डर दिया गया कि २४ घन्टों के अन्दर इनसे चार्ज ले लिया जावे और दूसरे को चार्ज दिलाया जावे, भीलवाड़ा के डिप्टी कलेक्टर बनेड़ा में आये और तीन दिन के बाद टेलीग्राम आया कि नहीं, इनको वहीं रखा जावे। जब इस तरह से उनको वहां रखा गया तो मेरा यह निवेदन है, आपकी मार्फत विकास विभाग के मन्त्रीजी से और इस विभाग के अधिकारियों से भी कि इस तरह के आदमियों को वे अगर इस तरह से प्रोत्साहन देंगे तो यह स्कीम जो उनकी चल रही है और जिसे वे चालू करना चाहते हैं, जिसका प्रभाव छोटे से छोटे नागरिक पर पड़ता है, आप पर ही नहीं पड़ता, उन पर भी पड़ता है तो ऐसे आदमियों को आप प्रोत्साहन देंगे तो यह स्कीम कामयाब नहीं हो सकेगी।

मेरे पास उनके लिखे हुए प्रमाण हैं। मैं वहां का प्रधान हूँ। उनसे कॉरेस्पोन्डेन्स हुई है। यह सारी की सारी कॉरेस्पोन्डेन्स मैंने विकास अधिकारीजी के सामने की है और ये सारे उनके जवाबात हैं। अगर सभापति महोदय, आप उनको देखना चाहें तो मैं उनको सदन की टेबल पर रखना चाहता हूं। उन्होंने कमिट किया है कि यह मिस्टेक मेरे से हुई है। यह मामला मैंने उच्च राज्याधिकारियों के सामने भी रखा, पर फिर भी इस मामले को दबाया

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

गया और सिर्फ इसलिए दबाया गया कि उस अधिकारी ने वादा किया था कि कांग्रेस की तरफ से खड़े होने वाले केन्डीडेट को वे दो हजार वोट दिलावेंगे । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं बताना चाहता हूं कि विकास विभाग के एक डिप्टी सेक्रेटरी महोदय १८ दिसम्बर, १९६१ को जब बनेड़ा पंचायत समिति के लिए आये थे, विकास अधिकारी भीमपुर गांव में थे । वहां पर चार पंचायत समिति के मेम्बरों को बैठा रखा था । तीन बोतलें शराब की वहां पड़ी थी, दो मुर्गे काट कर उनका मांस बनाया गया था, जिनको यहां के अधिकारी ने अपनी आंखों से देखा है और वहां बैठ कर यह षड़यन्त्र किया जा रहा था कि वर्तमान प्रधान को हटा कर उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव कैसे लाया जावे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : On a point of order, Sir, the point of order which I am entitled to raise is that I presume the correspondance which the Hon'ble Member has with him is a part and parcel of the Panchayat Samiti, office file, of which he is the Pradhan and for which he has taken an Oath of Secrecy. The position is whether it is a privileged communication and whether the Hon'ble Member can take those papers with him which are a part of the file of Panchayat Samiti. My presumption is that they have been transacted during the course of his duties as Pradhan of the Panchayat Samiti.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सभापति महोदय, जो कुछ कहा गया है उसके बारे में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैंने विकास अधिकारियों को लिखा है उनकी नकलें मेरे पास हैं, जो मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूं....

श्री सभापति: माननीय सदस्य ! यह जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर प्रस्तुत हुआ है इस विषय में है कि जो ऑफिशियल कार्यवाही एक प्रधान की हैसियत से आपके और बी. डी. ओ. के बीच में हुई, जिसको आप सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं, यह मैं समझता हूं कि आपके अधिकारों का अतिक्रमण है और इसलिये ऐसे डॉकूमेन्ट जो कि ऑफिशियली आप और बी. डी. ओ. के बीच में एक्सचेन्ज हुए हैं, उनको सदन के सामने प्रस्तुत करने का आपको हक नहीं है । साधारण शब्दों में एक बात कही जा सकती है कि इस प्रकार के डॉक्यु-मेन्ट्स सदन में, प्रधान एवं सदन के सदस्य के नाते ली गई शपथ की जिम्मेदारी को याद रखते हुए यहां नहीं रख सकते ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सभापति महोदय, यह जो पत्र हैं....

श्री सभापति : I hope you will not refer to them any more.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापतिजी, मैं एक थोड़ी जानकारी सदन के एक सदस्य के नाते लेना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी एक सदन के सदस्य के नाते अलग है । यह ठीक बात है और प्रधान की हैसियत भी रखते हैं, यह भी अलग बात है, पर यहां आते हैं हम जनता के प्रतिनिधि की हैसियत

(श्री मुरलीधर व्यास)

से और उस सम्बन्ध में अगर हम जनता के हित में उस सम्बन्ध में हुई पूर्व कार्यवाही की जानकारी को लेकर यहां कुछ कहना चाहें तो....

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir, the Chair has made certain observations and the speech that the Hon'ble Member is making amounts to canvassing of the ruling of Chair.

श्री मुरलीधर व्यास : Point of information, Sir, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरा....

श्री सभापति : मैं समझ पाया हूँ, आप जिस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं। लेकिन इस विषय में मेरे विचार से एक शपथ प्रधान की हैसियत से माननीय सदस्य ने ली और एक शपथ सदस्य की हैसियत से माननीय सदस्य

(११.० म. पू.)

ने ली। इस प्रकार आपकी दो प्रकार की जिम्मेदारियां हो जाती हैं और एक जिम्मेदारी से हट कर दूसरी जिम्मेदारी को अदा करना चाहें तो वह दोनों जिम्मेदारियों से वंचित होने के बराबर है! इसलिये मैं समझता हूँ कि इसका बराबर ख्याल रखते हुए आप इस सदन के सदस्य की सदस्यता के अनुकूल जिस बात को रेफर करना चाहें उनमें इन डॉक्यूमेन्ट्स को न लावें, यही उपयुक्त होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तो मैंने तो साहब, अर्ज किया था कि आपकी आज्ञा हो तो रखा जावे। मेरे अपनी तरफ से रखने का सवाल नहीं है। आप रखवाना नहीं चाहते हैं तो नहीं रखे जा सकते। पर मुझे कहने का अधिकार तो है और इसके लिए कहना पड़ेगा। तो एक बात अर्ज की, नाटक के सम्बन्ध में।

दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूं कि पंचायत समिति में एक रिज़ोल्यूशन इस तरह का पास किया गया कि सौ रुपये हर पंचायत से वसूल किये जावें और किसान सम्मेलन में उन्हें खर्च किया जावे। उसके लिए उस वक्त जो ६ पंचायतें थी उनमें से सात पंचायतों ने सौ, सौ रुपये दिये; पर आज दिन तक वहां की रोकड़ में वह रुपया जमा नहीं हुआ है। उनका क्या उपयोग हुआ, इसके बारे में कोई जवाब नहीं। पंचायत समिति का जो मकान बनाया गया उसका १८ हजार का ठेका दिया गया। उसके लिये किसी से भी न पूछा गया, न ओपन टेन्डर किया गया। इसी तरह से जितना भी वहां डिपार्टमेन्ट में अलग अलग सामान खरीदा गया पांच-पांच, छः-छः और सात, सात हजार का एक साथ में, जिसका कोई अधिकार उनको अकेले को खरीदने का नहीं था, वह भी खरीदा गया और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सारी सूचनाएं कलेक्टर महोदय, जो जिला विकास अधिकारी भी हैं, उनको भी दी गई। उन्होंने इसकी जांच की। जांच की रिपोर्ट विकास विभाग में आ गई है और उनका ट्रान्सफर भी उसी आधार पर हुआ। पर यह उस आधार पर रोक दिया गया कि पार्टीबाजी में पड़ कर कांग्रेस के केन्डीडेट को वोट दिलायेंगे वे और मैं माननीय सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि आज भी वे वहां मौजूद हैं और

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

वे की वे हरकतें उनकी आज भी चल रही हैं।

तो अगर इस सारी की सारी लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की पद्धति को हम बहुत ही शुद्ध और जनता के लिये चलाना चाहते हैं अभी भी जो पंचायती राज के लिये गोष्ठी हुई थी उसमें भी साफ कहा गया था कि इसमें पार्टीबाजी नहीं आनी चाहिए, तो पार्टीबाजी की बात जो सरकारी अधिकारी करते हैं उनको डिसमिस करके उनको इसके लिये सजा देनी चाहिये। तो जो मैं उसके काम आपके सामने रख रहा हूं उसकी जांच कराई जानी चाहिये और इसके बाद उसको सजा देनी चाहिये।

इसके अलावा जो बी० डी० ओज़० २ अक्टूबर, १९५९ के दिन तहसीलदार थे उनको बी० डी० ओ० बनाया, और भी उसी जगह बनाये गये जहां कि वे पहले तहसीलदार थे और इस जगह पर ट्रान्सफर करने के लिए उनको ८०) रुपया माहवार इन्क्रीमेंट दिया गया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि यह ८०) रुपये का भार हमारे इस डिपार्टमेंट के ऊपर नाजायज़ है, क्योंकि जो शख्स एक ही ग्रेड में हैं और जिस जगह तहसीलदार थे उसी जगह बी० डी० ओ० हो गये हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको ८०) रुपये ज्यादा दिये जायं और इस तरह से जितने लोगों को तहसीलदार से बी० डी० ओ० बनाया गया उनको ८०) रुपया एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलती है, वह नहीं मिलनी चाहिए। यह प्रदेश के ऊपर जो भार बढ़ाया गया है यह नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। पंचायतों को ग्राम स्वच्छता के लिए अधिकार दिये गये हैं किन्तु क्या पंचायतों और पंचायत समितियों के लिए कोई पैसा, मंत्री महोदय ने मंजूर किया ताकि जो आर्थिक अभाव है उसकी पूर्ति होकर यह जो चीज है कि स्वच्छता हो, इस ओर कुछ काम हो? गांवों के अन्दर यूरिनल्स का इन्तजाम होना चाहिए जिसकी वजह से खाद पैदा किया जा सकता है और इस चीज को हर पंचायत और पंचायत समिति बनाना चाहती है, पर अफसोस इस बात का है कि इस काम को करने के लिए पैसा नहीं है और मैं यह नहीं चाहता कि इस काम के लिए अनुदान दिया जाये। पर जो पंचायत और पंचायत समितियां इस तरह का काम करना चाहती हैं जिससे कि स्वच्छता के साथ साथ खाद पैदा करने का भी काम होगा और जो पंचायतें और पंचायत समितियां इस काम को करने के लिए राज्य सरकार के विकास विभाग से पैसा उधार लेना चाहती हैं उनको जरूर इस काम के तहत पैसा उधार दिया जाना चाहिये, जिससे हमारे यहां खाद का भी उत्पादन होगा और हमारे अन्न का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा और गांवों की सफाई भी हो जायेगी। पंचायत समितियों के अन्दर कृषि के लिए और सिंचाई के लिए जो पैसा अनुदान में दिया जाता है, माननीय सभापति महोदय, यह एक ऐसी राशि है कि जो यहां विकास विभाग से बैठ कर हर पंचायत समिति को अलॉट कर दी जाती है। उस समय में यह नहीं देखा जाता कि कौनसी पंचायत समिति का एरिया ऐसा है कि जहां एक कुंए को बनाने में ६–७ हजार रुपया लगता है और कौनसा ऐसा एरिया है कि जहां ऐसी जमीन है कि १ हजार में ही कुआ बन जाता है और समान आधार पर जो धनराशि बांट दी जाती है उसका असर यह होता है कि जो आदमी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर और तृतीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर अपने क्षेत्र में जिस तरह से इस काम की योजना बनाकर काम करना चाहते हैं वह काम धनाभाव के कारण नहीं हो पाता और जहां ज्यादा पैसा दिया जाता है वहां फालतू पड़ा रहता है और उसी का कारण है कि साल के आखिर में बहुत सारा पैसा विकास विभाग की तरफ से पंचायत समिति को अलॉट किया जाता है और वह उस वित्तीय साल में खर्च नहीं कर पाते और उस तरह से पैसा देने से बहुत नुकसान होता है । इसलिए स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए ही विकास विभाग की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब आप एक मिनट से अधिक न लें ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अभी तो ४ ही हुए हैं ।

श्री सभापति : आपके वायदे के अनुसार १५ हो चुके हैं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जो बीच में गड़बड़ी हुई उसका समय तो अलग होना चाहिये ।

श्री सभापति : दूसरे सदस्यों के प्रति भी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि रखी जाये ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कोशिश करूंगा ।

फण्ड के लिए मैंने कल अर्ज कर दिया था और आश्वासन भी मिला है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा । पंचायत और पंचायत समिति को दिये जाने वाला अनुदान है उसके बारे में कल काफी बहस हो चुकी है और आज जैसा कि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं तो उस बात को भी छोड़ देता हूं ।

पंचायत समितियों के अन्दर शिक्षा और सहकारिता विभाग के बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक इस विभाग को पंचायत समिति के अन्दर देने का प्रावधान एक्ट के अन्दर है उससे यह साफ जाहिर होता है कि प्रधान और विकास अधिकारी जो भी सहकारी समिति बनाते हैं उनको जो लोन दिया जाता है, उनकी जो लोन एप्लीकेशन तैयार की जाती है उसके बारे में कोई इन्टरफियरेन्स नहीं कर सकते, उनके रेकॉर्ड को नहीं देख सकते और जिस समय इन सरकारी समिति में ओवरड्यू हो जाता है तो उन्हीं लोगों को लिखा जाता है कि इसको इकट्ठा किया जाये । इस तरह से लाखों और करोड़ों रुपया पंचायत समिति के अन्तर्गत जितने सहकारी समितियों के ओवरड्यू हैं वह वसूली नहीं हो पाते । इसका खास कारण यह है कि वहां दुहरा प्रबन्ध है । यह तो नाममात्र के लिए पंचायत समितियों के अन्दर डिपार्टमेंट है और उसका सारा का सारा संचालन सहकारी विभाग द्वारा होता है । तो मेरा निवेदन है कि पंचायत समितियों के प्रधान पंचायत समितियों की सिलेक्ट कमेटी और वहां के बी० डी० ओ० को सहकारी समितियां जो वहां बनती हैं उनके हिसाब-किताब को देखने के, उनको सुझाव देने के अधिकार देने

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में ही समाप्त कर देता हूं। एक बहुत बड़ी बात पंचायत समिति में जो सामान खरीदा जाता है उसके बारे में है। वह यह है कि पंचायत समितियों के अन्दर बहुत सारे कारीगर लेते हैं तो स्वतः बहुत सारा फर्नीचर तैयार करते हैं और दूसरा काम बनाते हैं। पर पंचायत समितियों को यह ऑर्डर है कि जो सामान पंचायत समितियों में खरीदा जावे वह जो गवर्नमेंट की एप्रूव्ड शोप्स हैं उन्हीं के द्वारा खरीदा जाना चाहिये। ऐसा करने से स्थानीय लोग जो कि वहां काम करते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उनका सामान नहीं खरीदे जाने से उनको तरक्की नहीं मिलती और उसका सामान नहीं बिकता और बाहर से सामान आने पर पंचायत समिति को ज्यादा खर्चा उठाना पड़ता है।

उद्योगों के लिए अर्ज करूं कि पंचायत समितियों के अन्दर जो छोटे छोटे उद्योग धन्धों को तरक्की देने का सवाल है मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक सहकारी समितियां बनायें, वहां के जो स्थानीय उद्योग हैं उनको पनपाना चाहिये और उसके लिए जो भी अधिकार पंचायत समितियों के पास नहीं हैं वह उनको दिये जाने चाहिए, ताकि वहां के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वे ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह पनप सकें, उनकी व्यवस्था की जा सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वैसे घन्टी बहुत बज रही है और इसके ऊपर बहुत कुछ कहना था और बहुत कुछ कहा गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा कि इसमें जितनी भी बातें हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिये और हम जिस काम को करने की शुरुआत कर रहे हैं उसमें कुछ गलतियां भी रह सकती हैं पर उनको हम दूर करने की कोशिश नहीं करें तो वह ठीक नहीं होगा। यही मैं आपसे अर्ज करके यह कहना चाहता हूँ कि इन सारी बातों के ऊपर अच्छी तरह से विचार करके इस काम को किया जाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सभापतिमहोदय, आज इस सामुदायिक विकास योजना का जिस प्रकार से हमारी राजस्थान सरकार ने एक आदर्श उपस्थित किया है वास्तव में यह भारतवर्ष के लिए महान् बन गया है, किन्तु साथ ही हमें यह सोचना है कि सामुदायिक विकास के नाम पर कहीं हमारे धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारी पंचायत समितियों में भ्रष्टाचार और पक्षपात तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं जनता में आपसी रागद्वेष तो नहीं पनप रहा है जिसके द्वारा हम जो सामुदायिकता के द्वारा खुशहाली लाना चाहते हैं वह बरबाद हो जायगी। हमारे जो फसल अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी हैं वे वास्तव में जनता का हित करने का जो उनका मुख्य उद्देश्य है क्या उसकी ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं ? मैं यह सोचता हूँ कि कृषि

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

अधिकारी जितनी भी सुविधायें हैं वे बड़े आदमियों को ज्यादा देते हैं । मैं आपको एक उदाहरण देता हूं । बूंदी में नमाना फार्म है । वहां तापड़िया सेठ हैं उनको हजारों रुपया तकावी का बांटा गया है, खाद दी गई है और उनसे वसूली नहीं होती । इसी प्रकार से एक काश्तकार का उदाहरण लीजिये । पाटन पंचायत समिति में बैलों के लिये तकावी बांटी गई । मैं समझता हूं कि सदन इस बात को जानता है कि आज करीब ५००) रु० से कम में अच्छा बैल नहीं आ सकता वहां उनको ५०) रु० बैलों के नाम पर दिये गये हैं और इस प्रकार से किसानों के लिए दिये हुए धन का दुरुपयोग किया जाता है ।

सभापति महोदय, जहां हम योजना बनाकर तरक्की करने की बात सोचते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बूंदी जिले में पाटन चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में है । वहां नहरें आ गई हैं और नहरों में पानी भी शुरू हो गया है, लेकिन मेरा और किसानों का अनुभव है कि जिन किसानों ने नहरों का पानी लिया है उनमें उन सालों के बजाय इस साल में फसलें कम हुई हैं । इसकी वजह यह है कि उनको खाद नहीं मिलता है । नहरों के पानी का उपयोग किस प्रकार से करें, यह अधिकारी नहीं बताते हैं । वे अपने सैर-सपाटे में रहते हैं और जितने साधन उनको दिये गये हैं उनसे ऐश होता है, उनसे मौज होती है । इसी प्रकार से पाटन पंचायत समिति के जो विकास अधिकारी हैं उनके अन्तर्गत ६ चपरासी हैं जिनमें से ४ उनकी अर्दली में रहते हैं और २ चपरासी मुश्किल से काम करते हैं । वे जो अधिकारी हैं उनकी क्या हालत है कि पाटन तहसील में कई स्थानों पर जैसे दड़खेड़ी, चांची, नातोड़ा, कापरेन के गांवों के कुओं में कीड़े पड़ रहे हैं और पंचायत समिति की बैठक में ग्रामवासी और सरपंच थे उसमें इस बात की ओर उनका ध्यान दिलाया गया कि आप उसकी व्यवस्था कीजिये । सभापति महोदय, दुबारा भी मीटिंग हुई और उसमें जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने पूछा कि सरपंच कह रहे हैं कि पानी का सुधार किया जाय, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं.। उससे बीमारी होगी और जनता को इससे नुकसान होगा तो उन्होंने कहा कि हैल्थ ऑफिसर साहब को तो पत्र नहीं लिखा और मुझे जवाब दिया कि उनको दवा दे दी है । तो मैंने प्रश्न किया कि कौन सी दवा दे दी तो उन्होंने एक सफेद पाउडर और चूना भेज दिया । इस प्रकार से वहां के सरपंच शिक्षित नहीं हैं, प्रधान शिक्षित नहीं होते हैं । वे जनता के सेवक होते हैं । वे भावना को लेकर चुन लिये जाते हैं, परन्तु आज वे अधिकारी उनकी शिक्षा के अभाव का नाजायज़ फायदा उठाते हैं । वे उनमें आपस में टकराने और भेदभाव फैलाने की इस प्रकार से कोशिश करते हैं कि सामुदायिक विकास आगे तरक्की नहीं कर सकता है । इसी प्रकार से जब यह योजना उनके सामने रखी जाती है तो पार्टी के आधार पर काम किया जाता है । सभापति महोदय, मैं यहां तक बताऊं कि सर्विसेज़ के बारे में भी पार्टीबाजी, टीचर्स की सर्विसेज़ के बारे में भी पार्टीबाजी का आधार लिया जाता है ।

खास तौर से निवेदन करने का मतलब यह है कि चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में पाटन

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

विकास का एक बहुत बड़ा केन्द्र है और आगे चल कर एक बहुत बड़ा सिंचाई का केन्द्र बनेगा। उसके अन्दर एक ब्लॉक कायम किया जाना चाहिये। जिस प्रकार की अव्यवस्था, जिस प्रकार का पक्षपात, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार पंचायत समितियों और उनके अन्दर आने वाले महकमों में फैल रहा है उस पर रोक लगाई जाय। इस बात का ध्यान रखा जाय कि जो आपके अधिकारी आते हैं वे ऐशोआराम की जिन्दगी नहीं बिताएं और वहां के ग्रामीणों की सेवा करने का उनका काम है तो वे किस प्रकार से उन ग्रामीणों की सेवा कर रहे हैं,

(समय-समाप्ति--सूचक घंटी)

किस प्रकार की स्वच्छता का वे प्रसार वहां करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने ग्रामीणों में सफाई की है और खास तौर से ग्राम सभाओं में जिसकी कि हमारे बूंदी के कलेक्टर साहब ने और प्रमुख ने इस बात की रूपरेखा बनाई है उस प्रकार से उनको प्रोत्साहन दिया जाय। आज की पंचायतें खोखली हो गई हैं। उनके पास फण्ड नहीं हैं। वे पैसे के लिए दौड़ती हैं और उनको छोटे छोटे मामलों पर टैक्स लगाने पड़ते हैं। उनके सामने बहुत बड़ी परेशानी है। हमारी सामुदायिक विकास जिसका कि सारे हिन्दुस्तान में डंका बजाया कि समाज का कल्याण करना चाहते हैं विकेन्द्रीकरण के द्वारा, सारी सत्ता पंचायत समितियों ने हस्तगत कर ली है। मैं समझता हूं कि सारी सत्ता प्रधान के हाथ में नहीं होती है वह सरकारी अधिकारियों के हाथ में होती है। यह आपको सोचना है और सावधान करना है कि प्रसार अधिकारी धन का दुरुपयोग नहीं करें। उनको प्रशिक्षण देना है कि जनता के प्रति जिम्मेदारी से रहें, जनता की सेवा में उत्साह लें और जनता की सेवा करें। इसी कटमोशन के ऊपर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदय, मेरे ४ कटौती प्रस्ताव हैं लेकिन मैं उनको संक्षेप में ही प्रस्तुत कर रहा हूं। जो मेरे कटौती प्रस्ताव ४ हैं उसका परस्पर संबंध जोड़कर साथ में समाप्त करने की कोशिश करता हूँ।

सबसे पहले जो सामुदायिक विकास योजना है यह असफल हो रही है, इस संबंध में कटौती प्रस्ताव रख रहा हूं। हमारे देश में जो सामुदायिक विकास योजना है, जो देश का हमें योजना-बद्ध विकास करना था इसी आधार पर उसका निर्माण हुआ और योजना बना कर विकास करने में समाज का सहयोग मिले और साथ ही साथ जो विकास होता है वह भी समाज के प्रत्येक अंग तक पहुंचे, प्रत्येक समुदाय तक पहुँचे यह बुनियादी उद्देश्य लेकर सामुदायिक विकास योजना का प्रारम्भ हुआ है। यह सन् ५२ से प्रारम्भ हुआ परन्तु धीरे धीरे यह अनुभव हुआ कि न समाज के प्रत्येक अंग को इसमें लाभ मिल रहा है, न समाज का प्रत्येक अंग एक समुदाय के रूप में इस प्लानिंग को सफल बनाने में सहयोग दे रहा है। यह सारा अनुभव करने के बाद में नया परिवर्तन करने की बात आई और वह परिवर्तन इस आधार पर किया गया कि समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसमें सहयोग मिले। वह सहयोग

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसलिये नहीं मिलता है क्योंकि योजना ऊपर से लादी जाती है और हम नीचे से लेना चाहते हैं। इसलिये फिर लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के नाम से यह नई योजना प्रारम्भ हुई और जनता के जरिये योजना बना कर वह जनता के लिए कामयाब हो, इसलिये लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हुआ। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण होने के बाद में २-३ वर्षों में कुछ न कुछ अनुभव किया कि वाकई में जो हमारा मूलभूत लक्ष्य था कि हम समाज के ज्यादा से ज्यादा अंगों का, जनता के बेकार हाथों का और ऐसे साधनों का उपयोग इसमें प्राप्त कर सके हैं या नहीं। मैं जहां तक सारी वस्तुस्थिति को देख पाया हूँ और इसके मूल्यांकन करने की कोशिश की है और अपनी तरफ से ही नहीं, जो राज्य ने एक मूल्यांकन समिति बनाई थी उसने जो रिपोर्ट दी उसको देखने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि जो हमारे मूलभूत उद्देश्य थे, जिस चीज को लेकर सारा खर्चा कर रहे हैं और इस योजना का जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं मानता हूं कि इससे कुछ प्रेरणा मिली है। प्रारम्भिक समय है। कुछ खामियां भी इसमें हैं और उसके कारण से कुछ हमारे सामने कठिनाइयां भी हैं। परन्तु इन सारी कठिनाइयों को नहीं देखें, इनकी खामियों का फिर से मूल्यांकन नहीं किया गया और इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया गया तो नतीजा यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार सन् ५२ में सामुदायिक विकास योजना के जन्म पर कार्य प्रारम्भ किया उसमें नाकामयाब रहने के कारण लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण लाये और उसके बाद भी अगर आज कामयाबी नहीं मिले तो इसमें क्या खामियां हैं और किन खामियों को दूर करना हैं, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि सामुदायिक विकास योजना और लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण परस्पर संबंधित अंग हैं और उसी आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अब इसका जो स्वरूप है उसके अन्दर कुछ न कुछ देखना पड़ेगा।

आज पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों और इनके मार्फत जो विकास समितियों का काम होता है उनमें क्या खामियां हैं ? मैं जहां तक समझ पाया हूं मैं यह देख रहा हूं कि इसमें भी वे ही बातें आ रही हैं। प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत स्वार्थों की, एक सीमा तक काम करने की, कुछ राजनैतिक दृष्टिकोण इसके अन्तर्गत काम करते हैं। इनको बड़ी गम्भीरता से देखना चाहिए। राजनैतिक दृष्टिकोण का मतलब हर पार्टी से है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सोशियलिस्ट पार्टी हो, चाहे और पार्टी हो। उसमें यह होता है कि हमारी पार्टी के लोग इसमें हैं और उसकी सीमा पार्टी से होती है। वह गांवों से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद् में हों वे एक सीमा के अन्दर बंध गये हैं। आज सहयोग सब देना चाहते हैं, लेकिन चुनाव का ढंग आज इस प्रकार का बन गया है जिसमें पंचायतों का सरपंच सोचता है, पंचायत समिति का प्रधान सोचता है, जिला परिषद् का प्रमुख सोचता है उसकी सीमा उस प्रतिनिधित्व तक रहती है कि उसका सहायक कौन रहा। पंचायत समिति का प्रधान यह सोचता है कि वह पंचायत समिति का प्रधान बना है वह किनके सहयोग से बना है, उनको सहयोग देना है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

किस सरपंच ने सहयोग दिया है और किसने नहीं दिया है, यह वस्तुस्थिति बन गई है। और उन पंचायतों को जिन्होंने सहयोग दिया है उनको जो साधन दिये हैं वे चाहे सहकारिता के जरिये हों, चाहे वह लोन के जरिये हों, चाहे प्रतिनिधित्व के जरिये हों, वह नतीजा यह हो रहा है कि उन लोगों को इनका लाभ मिलता है जो उसके सहायक थे और जो उसके विरुद्ध थे उनको वह लाभ नहीं मिलता है ।

यह एक बड़ी भारी खामी है। इस खामी को कैसे दूर करना, कैसे नहीं, क्योंकि हमारे करोड़ों रूपये इसमें खर्च हो रहे हैं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए । मैं जहां तक समझ पाया हूं, यह अर्ज करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों की जो स्टेन्डिंग कमेटियां हैं उनके अन्तर्गत हम यह देखते हैं कि वे किसी प्रकार का तकावी लोन का पैसा बांटने में, स्कूलें बनाने में, प्राथमिक सेन्टर खोलने में या और कोई सवाल आता है उसमें प्रतिनिधित्व के आधार पर तय करते हैं । लोन किसको दिया जाय, स्कूल कहां खोली जाय, सहकारी समिति को देना है तो किसकी सिफारिश की जाय इसमें सारी पार्टीबाजी काम कर रही है। यह जो नीचे से ऊपर तक चल रहो है उसमें किस तरह से परिवर्तन लाया जा सकता है, इस संबंध में तो मन्त्री महोदय सोचेंगे। मेरा एक सुझाव है कि लोकतन्त्र में हमने एक परिवर्तन किया है, हमारी जो बुनियादी पंचायत है उसको स्वशासित और स्वावलम्बी बनाना चाहिये। पंचायत अगर स्वशासित और स्वावलम्बी नहीं है तो उसको पंचायत समिति की ओर देखना पड़ता है, उसके जरिये से सहायता मिल सकती है। अभी पंचायतों के सम्बन्ध में मन्त्रीजी ने कहा था कि वाकई उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। २५०) रु० से कैसे पंचायत चल सकती है, ७००० पंचायतें हैं ? हम किस प्रकार उनकी व्यवस्था करें । समझ लें कि आपने १,०००) रु० भी एक पंचायत को दिये तो वह काम तो कर सकती है। सब मिला कर आपको ७० लाख रूपये देने पड़ेंगे लेकिन पंचायतें स्वशासित और स्वावलम्बी तो होंगी । दूसरी तरफ किसी की सिफारिश पहुंचती है जो पार्टी-बाजी चुनाव के आधार पर पहुंच गई उन पंचायतों को लाभ मिलता है, बाकी को नहीं मिलता। मैं समझता हूं, पंचायत समिति में प्रतिनिधित्व के आधार पर सोचा जाता है, कहां आवश्यकता है, कहां नहीं है; इस आधार पर नहीं सोचा जाता, प्रतिनिधित्व के आधार पर नीचे से ऊपर तक सोचा जाता है-पंचायतों में भी और एसेम्बली में भी । कहां स्कूल बनानी है, कहां युनिवर्सिटी बनानी है, कहां कुछ काम करना है तो यह देखा जाता है कि हमारी केबिनेट में किसका प्रतिनिधित्व ज्यादा है, जोधपुर का ज्यादा है तो उस हिसाब से काम होगा, उदयपुर का प्रतिनिधित्व ज्यादा है तो उस हिसाब से होगा। जिनका प्रतिनिधित्व कम है वे बेचारे वैसे ही रह जायेंगे। तो प्रतिनिधित्व का नीचे से ऊपर तक ढांचा चल रहा है। हम लोकतन्त्र चाहते हैं। एक तरफ एकतांत्रिक साम्यवादी चुनौती दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी नाकामयाब हो रही है उसका उत्तर हमें देना है और वह तभी दे सकते हैं जब बड़ी से बड़ी कठिनाइयां हमारे सामने आवें तो व्यक्तिगत बातों को छोड़ कर, राजनैतिक बातों से दूर रह कर समाज की भलाई सोचेंगे तो हम कामयाब होंगे। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि

[redacted]

(श्री मुरलीधर व्यास)

पंचायतों को स्वावलम्बी बनाइये । जो कुछ तकावी आपको देनी है, सहायता देनी है तो पंचायत की मार्फत दिलवाइये । पंचायत के सरपंच हैं, पंच हैं उनके आपस में खुली मीटिंग में चर्चा हो, किसको जमीन देनी है, किसको सहायता देनी है, किसको तकावी देनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है उसको किस प्रकार लेना है । सबको बुला कर पंचायत सब की राय से काम करने लगेगी तो पूर्ण स्वतन्त्रता होगी, हर आदमी महसूस करेगा कि जो कुछ हो रहा है हमारे जरिये हो रहा है, इसलिये मैं परिवर्तन चाहता हूं । इनको स्वावलम्बी बनाया जाय....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, २ मिनट में समाप्त करता हूं । मेरे चार कटौती के प्रस्ताव हैं, दो,-चार बातें कहना चाहता हूं । आप समझते हैं कि फाइनेन्सेज़ का मिस यूज़ नहीं हो सकता, मैं कई उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं । अलीगढ़ के बारे में मेरा कटौती प्रस्ताव है । अलीगढ़ में क्या हुआ कि पंचायत के पास ५ हजार रुपये थे । चुनाव के टाइम ट्रेज़री से ये रुपये लिये गये, चैक के नम्बर मेरे पास मौजूद हैं । सड़क बनाने के लिये यह पैसा पड़ा था, चुनाव के टाइम पर यह पैसा ले लिया । सड़क नहीं बनाते हैं तो पैसा वापिस पोस्ट ऑफिस में जमा होना चाहिये था, पर जमा नहीं कराया और गाड़ी खरीद कर चुनाव में मदद दी । तो जो पैसा है उसको हमने इन साधनों में लगा दिया तो विकास किस प्रकार होगा ?

सुखाड़ियाजी ने खुद ने एक पंचायत समिति की कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्घाटन किया था । भीलवाड़ा का एक गांव है जिसका नाम भी मैं रखूंगा । गौरवाड़ी गांव है । उसमें २०,०००) रु० की सहायता कृषि सहकारी समिति को दी गई लेकिन आज वहां पर कृषि के विकास के लिये न खेत है, न हल है, न हाली है लेकिन पैसा ले लिया ।

इसी प्रकार से ओसियां में मार्केटिंग सोसाइटी को ४०,०००) रुपये दिये गये । वे रुपये कहां लगे, कहां नहीं उसका कोई हिसाब नहीं है । जहां पर मन्त्रीजी देख-रेख करें, उद्घाटन करें, वे लोग उसमें हां और उसके बावजूद भी पंचायतों के पैसे का मिसयूज़ हो, दुरुपयोग हो । हिंडोली में तहसीलदार के सारे परिवार ने तकावी ले ली, अफ़सर के परिवार ने तकावी ले ली । यह ढांचा सुधारना है तो नीचे की पंचायत को अधिकार देना पड़ेगा । उनका लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण ही नहीं; बल्कि आर्थिक विकेन्द्रीकरण भी करना पड़ेगा । इसके सिवाय यह कागज की चीज है । समाज को ऊंचा उठाना है । इसलिये सुझाव देता हूं कि पंचायतों की बुनियादी इकाई और आर्थिक विकेन्द्रीकरण करें तभी समाज की उन्नति पूरी तरह से हो सकेगी ।

श्री सभापति : श्री श्योपतसिंह ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय सभापतिजी,........

श्री सभापति : You please confine your discussion to five minutes only.

श्री श्योपतसिंह : सभापति महोदय, हमारी राजस्थान सरकार ने लोकतान्त्रिक

(श्री श्योपतसिंह)

विकेन्द्रीकरण में आस्था रखते हुए देश के दूसरे प्रदेशों की अगुवाई की। हमें इस सिद्धान्त में विश्वास है। इसके साथ साथ जहां इतना यश हासिल किया है सरकार ने इसकी अगुवाई करके पंचायत के जरिये, पंचायत समितियों के जरिये राजस्थान के गांव गांव में जो डेवलपमेन्ट करना है, गांवों की तरक्की करनी है, वहां मैं इस बात का अन्देशा देखता हूं कि कहीं यह एक्सपेरिमेन्ट, जिसमें हमारी सरकार अगुवाई कर रही है, फेल न हो जाय और हमारे मुंह पर कहीं कालिख नहीं पुत जाय। सभापति महोदय, मैं इस नतीजे पर क्यों पहुंचा हूं इससे पहले भी इसका कारण मेरे पूर्ववक्ता साथियों ने भी सदन के सामने उपस्थित किया है। आज हमें यहां पर पंचायत समितियों और पंचायतों के जरिये राजस्थान के गांवों की काया पलट करनी है, राजस्थान के गांवों में तरक्की लानी है वहां पर यह भी देखना है कि इसके जरिये जो फिजूल खर्चा हो रहा है, कमियां आ रही हैं इस एक्सपेरिमेन्ट को कामयाब करने के लिये हमें इन कमियों को, फिजूल खर्चियों को दूर करना होगा। अगर फिजूल खर्ची और कमियों को दूर नहीं किया तो राजस्थान का जो एक्सपेरिमेन्ट है पंचायतों के जरिये और पंचायत समितियों के जरिये डेवलपमेन्ट करने का उसके नाकामयाब होने से बहुत बुरी बात होगी।

सभापति महोदय, मुझे एक सबसे अधिक खटकनेवाली बात जो नजर आई, पंचायत समितियों में जिनको जीप दी गई है, वहां के प्रधान चाहे कांग्रेस की तरफ के थे, चाहे कांग्रेस के खिलाफ आये हुए थे उन सब ने इन चुनावों के दौरान जीपों का खुल कर प्रयोग किया। करोड़ों रुपये इन जीपों के खर्चे के हमको सहन करने पड़ते हैं और वे लोग इन जीपों का प्रयोग गांवों के डेवलपमेन्ट में न करके, विकास में न करके पंचायत चुनाव में और जनरल चुनाव में खुल कर करते हैं। इसको कोई चेक करनेवाला नहीं था, देखने वाला नहीं था। इसी तरह से हमारे यहां विकास होता रहा तो मुझे विश्वास नहीं कि यह जो एक्सपेरिमेन्ट करने जा रहे हैं वह कामयाब होगा।

इसके साथ ही एक पर्टिकुलर केस जो प्रधान, पंचायत समिति लूणकरणसर ने कुछ अवैधानिक कार्यवाहियां की हैं वह रखूंगा। अगर इस तरह की अवैधानिक कार्यवाहियों को न रोका गया तो बहुत गलत परिपाटी होगी। जिस तरह प्रधान चाहेगा, जिस प्रधान को जिन सरपंचों ने इमदाद की है, विकास कार्य उनके गांवों में ही होगा। मैं थोड़ा इसके बारे में आंकड़े भी पेश कर दूं कि ४-१२-६१ को लूणकरणसर के प्रधान की अवैधानिक कार्यवाही के खिलाफ वहां के निलम्बित सदस्य ने बीकानेर के कलेक्टर को एक इत्तला दी और उसके खिलाफ जांच करने के लिए कहा, लेकिन आज तक उसके बारे में कुछ नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मन्त्रीजी से गुजारिश करना चाहूंगा कि ८-५-६० को बैठक वहां हुई, जिस बैठक में कोरम पूरा नहीं था, सिर्फ ५, १० सदस्य मौजूद थे लेकिन वहां पर २३ सदस्यों की हाजरी दिखाई उपस्थिति पंजिका में और ६० हजार रुपये बांट दिये। उसके बाद जो बैठक हुई उस बैठक के समय बी. डी. ओ. छुट्टी पर गए हुए थे।

(श्री श्योपतसिंह)

जब वे छुट्टी पर से आये और उसने उपस्थिति पंजिका में देखा कि पांच-सात सदस्यों के नाम हैं और बाकी के सदस्य गैर हाजिर थे उसने वहां टिक मार्क किया और उन्हें एब्सेन्ट मार्क कर दिया (घंटी)....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : Only two minutes.

श्री श्योपतसिंह : अभी दो मिनट में। तो ७-१०-६१ की बैठक की पिछली कार्यवाही अवैधानिक करार दी गई और बी. डी. ओ. की रिपोर्ट दी गई कि सदस्यों का कोरम पूरा नहीं है इसलिये जो पिछली कार्यवाही की गई है वह अवैधानिक है और ७-१०-६१ की बैठक की पिछली कार्यवाही को अवैधानिक करार दे दिया गया। उसके बावजूद करीब ६७ हजार रुपया उन प्रधान महोदय ने, वे जिन लोगों को चाहते थे उनको दिया और इस तरह से अवैधानिक कार्यवाही वहां हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि उन प्रधान महोदय ने उस बी. डी. ओ. के खिलाफ वहां पर एक प्रस्ताव पास कराया उन सदस्यों से कि यह बी. डी. ओ. ठीक नहीं है और उसका तबादला कराया गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह प्रधानों को इजाजत दी इस तरह की अवैधानिक कार्यवाही करने की और जीपों का खुल कर प्रयोग करने की अपने स्वार्थों के लिए और राजनैतिक कारणों के लिए; तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, जो राजस्थान इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब करके हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों को रास्ता दिखाना चाहता है वह कहीं फेल न हो जाय। इस आशा को लेकर मैंने यह प्रस्ताव रखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस विभाग के जो कन्सर्न्ड मन्त्री महोदय हैं, वे इन बातों पर ध्यान देंगे और इस कमी को दूर करेंगे।

श्री सभापति : निर्धारित समय के अनुसार अब सरकारी पक्ष का उत्तर होगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : On a point of Order, Sir इस पर समय बढ़ाया जाय, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट डिमान्ड है।

श्री सभापति : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : बारह बजे तक समय बढ़ाया जाय।

श्री विजयसिंह झाला : एक घंटा बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : स्पीकर महोदय ने समय निर्धारित कर दिया है, रूल्स के अनुसार यह अधिकार नहीं है कि वह समय बढ़ाया जा सके।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, साढ़े ग्यारह बजे हैं और जवाब आधे घंटे में हो जायगा। उसके बाद एक घंटा बचता है....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): Government is being deprived from the benefit of his sugestions, Sir.

श्री नाथूराम मिर्धा (सामुदायिक विकास मंत्री): बारह बजे तक उत्तर होगा और उसके बाद बुलेटिन अप्लाई हो जायगी। इस तरह की व्यवस्था दी जा चुकी है सदन के सामने।

श्री मुरलीधर व्यास : वह करने के लिए काफी समय हमारे पास है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं अपना उत्तर चालू करता हूं। सभापति महोदय,....

श्री सभापति : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : सदन की कार्यवाही जल्दी समाप्त हो जायगी....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इस सिलसिले में........

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, आप इनको समझा दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समय बढ़ना चाहिए।

श्री सभापति : मैं आपका कोआॅपरेशन चाहता हूं इस विषय में। मैं इस विषय में बाध्य हूं। स्पीकर महोदय ने समय निर्धारित कर दिया है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जवाब में कितना समय आपका लगेगा और उसके बाद कितना समय लगेगा। अगर आप सदन को एक बजे से पहले समाप्त करना चाहें तो बात दूसरी है। नहीं तो दूसरे कट मोशन्स हैं, जिनके लिए समय का उपयोग करना चाहिये। मैं समझता हूँ कि आधा घंटा बच सकता है और उसमें मन्त्री महोदय को जवाब देना है, उनके लिए कई बातें आयेंगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति ने व्यवस्था दे दी है। अब आप इस बात को बीस दफा कहें तो भी उसमें अन्तर नहीं पड़ेगा। यह व्यवस्था हो चुकी है। इस तरह बार बार बढ़ेगा।........

श्री विजयसिंह झाला : समय बारह बजे से आगे नहीं बढ़ाया जायगा।

श्री सभापति : मुझे सहानुभूति है, लेकिन अब समय निर्धारित हो चुका है इसलिए मैं बाध्य हूं।

श्री विजयसिंह झाला : On a point of order, Sir....

श्री सभापति : अगर समय बढ़ाया जायगा तो सब के सब माननीय सदस्य नहीं बोल सकेंगे। इसलिए ऐसा मान लिया जाय कि यहीं बोलना बन्द हुआ और अब सरकारी पक्ष से जवाब होगा।

श्री विजयसिंह झाला : अभी साढ़े ग्यारह बजे हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, पांच–दस सुझाव और आ जायेंगे तो मन्त्री महोदय जवाब अच्छी तरह से दे सकेंगे। आधा घटा और बढ़ा दिया जाय और........

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके ऊपर कटौती प्रस्ताव १२० की तादाद में है........

श्री सभापति : व्यवस्था दी जा चुकी है।........

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इस तरह

(श्री नाथूराम मिर्धा)

समय बढ़ाते जायें तो शाम तक बैठना पड़ेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमें स्वीकार है ।

श्री विजयसिंह भाला : जो व्यवस्था दी गई है....

श्री सभापति : इस समय जो अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है उसके अनुसार चलने के लिए मैं बाध्य हूं । अब सरकारी पक्ष....

श्री विजयसिंह भाला : जो व्यवस्था दी गई है....

श्री सभापति : Order please !

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उस बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि सामुदायिक विकास योजनाओं के बारे में हमारी कुछ नीति है वह इस प्रकार की है....

श्री मुरलीधर व्यास : हम सब विरोधियों की अर्ज है आप लोगों से कि समय काफी बचा है और बाद में समय बचेगा । हम मन्त्री महोदय को सुनना चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं । लेकिन बहुत से कटौती प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए आप आधा घंटा दे दें, महरबानी करके आधा घंटा दे दें । हम बहुत थोड़े समय में समाप्त करने की कोशिश करेंगे । मेरी अर्ज यह है कि समय काफी है । हम प्रेस नहीं कर रहे हैं लेकिन आधा घंटा में आप जवाब दे देंगे तो उसके बाद एक घंटा बचता है....

श्री नाथूराम मिर्धा : गुलेटिन लगानी है । सारी डिमान्ड्स को बोलने में करीब पौन घंटा लगेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : जवाब देने में कितना समय लगेगा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप आधा घंटे बाद गुलेटिन लगायें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके भाषण देने से क्या फर्क पड़ेगा ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द): Time may be extended...

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत भाषण हो चुके हैं और जैसा माननीय अध्यक्ष ने....

श्री मुरलीधर व्यास : आधा घंटे का समय नहीं मिलेगा और मन्त्री महोदय का यह विचार है तो हम मन्त्री महोदय का भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ट्रेज़री बैंचेज़ को आप अपना भाषण सुनाइये ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप अपना भाषण सुनाना चाहते हैं तो खाली हॉल को आप सुनाइये और इन लफ्ज़ों....

श्री सभापति : मैं व्यवस्था दे रहा हूं, थोड़ा ठहरिये ।

(श्री सभापति)

क्या सदन की यह अनुमति है कि निर्धारित समय बढ़ाया जाय ?

('बढ़ाया जाय बढ़ाया जाय, की आवाज')

श्री निरंजननाथ आचार्य : It must be extended by one hour.

श्री सभापति : Beg your pardon, Sir.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : If it is likely to be extended, it must be extended by one hour at least.

श्री मुरलीधर व्यास : मंजूर है, मंजूर है, एक घंटा बढ़ाया जाय ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक घंटा समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री सभापति : ओवर टाइम बैठना चाहेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जी हां, बैठेंगे ।

('बैठ जायेंगे, बैठ जायेंगे' की आवाज)

श्री सभापति : केवल इस शर्त पर समय बढ़ाया जा सकता है...

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, केबिनेट मीटिंग का टाइम रखा हुआ है । सदन की कार्यवाही एक बजे समाप्त होने के बाद केबिनेट मीटिंग होगी । अगर समय का ध्यान नहीं रखेंगे और लगातार बढ़ाते-बढ़ाते जायेंगे तो शाम के पांच बजे तक समाप्त नहीं होगा । और हमारे प्रोग्राम बने हुए हैं....

श्री विजयसिंह झाला : एक घंटा केबिनेट मीटिंग को आगे बढ़ा दीजिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप चाहते हैं इसलिए बढ़ा दिया जाय । आपके कहने से काम नहीं चलता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदन का निवेदन है कि आप एक घंटे अपना प्रोग्राम बढ़ा दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका भाषण सुन लिया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : एक घंटा समय बढ़ाने की व्यवस्था हो गई है....

श्री सभापति : इस शर्त पर समय बढ़ाया जा सकता है कि चाहे जितने कट मोशन्स हों प्रत्येक माननीय सदस्य पांच मिनट ही बोलेंगे ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : How can you enforce it ? It will be beyond control, Sir.

श्री सभापति : It is for the convenience of the Hon'ble Members that they will confine their speeches to five minutes. If the Hon'ble Members don't agree to it, I am constrained to allow it.

श्री जोधसिंह (गिरवा) : मंजूर है ।

श्री सभापति : पांच मिनट से ।........

श्री जोधसिंह : पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे ।

Page No 77

श्री नाथूराम मिर्धा : बोलेंगे । आप फाइनल कर लें । नहीं तो आठ–दस घण्टे बोलेंगे !

श्री सभापति : Time has been extended by half an hour. I request for the co-operation from Hon'ble Members that they will not speak for more than five minutes.

Shri Ghasi Ram Yadava

(विराम)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

एक माननीय सदस्य : घासीराम हैं साहब ।

श्री सभापति : श्री घासीराम यादव ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : He has lost his chance, Sir.

श्री घासीराम यादव (बहरोड़) : सभापति महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव 'मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (विकास अधिकारियों पर नियन्त्रण रखने में सरकार की नीति पर बहस करने हेतु)' का है । हम लोग यह समझते हैं कि विकेन्द्रीकरण से पब्लिक को बहुत बड़ा फायदा होगा । पब्लिक आज यह महसूस करती है कि इससे जो फायदा उनको होना चाहिये वह नहीं हुआ और हमें इसमें यह देखना चाहिये कि इसमें क्या कमियें रही हैं, जिसके कारण जितना फायदा जनता को होना चाहिये वह नहीं हो रहा है । मैं यह ख्याल करता हूं कि यह तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया कि सरकार ने आम लोगों को पावर दे दी कि वे अपना काम खुद करें और तकावी आदि के लिये पहले पटवारी के पास और फिर तहसील में जाना पड़ता था उसकी जरूरत नहीं रही । यह तो बहुत अच्छी बात है । लेकिन फिर भी आपने पंचायत राज का जो कानून बनाया है उसमें लोग यह देखते हैं कि यह कानून ठीक तरह से लागू नहीं है । ऐसा लगता है कि कोई गवर्नमेंट के अन्दर गवर्नमेंट बन गई हो । विकास अधिकारी पर कोई ऑफिसर नहीं है । साल में जब टीचर्स की ट्रान्सफर होती है तो ट्रान्सफर के लिये इजाजत की जरूरत होती है । मैं नहीं समझता कि उसके लिये इजाजत की क्या जरूरत है । मगर इसमें अकेले विकास अधिकारी का कसूर नहीं है । जब कभी किसी टीचर को एपोइन्ट करना होता है और उसका इन्टरव्यू लिया जाता है तो उसमें फर्स्ट डिवीज़न या सेकिण्ड डिवीज़न के लोग नहीं लिये जाते और थर्ड और सप्लीमेंटरी वाले लड़कों को जगह दे दी जाती है । इसमें सरपंच और प्रधान भी जिम्मेदार हैं । कहने का तात्पर्य यह कि यह एक ऐसा महकमा है जिसमें कोई पूछनेवाला नहीं कि आप क्या करते हैं, दूसरे महकमों में जवाब तो पूछनेवाला होता है । आपने शिडयूल्ड क्लास के १२॥ प्रतिशत व्यक्तियों को लेने के लिये कानून बना रखा है कि १२॥ प्रतिशत व्यक्ति शिडयूल्ड कास्ट में से लिये जाने चाहिये । मगर वहां इस कानून की भी अवहेलना की जाती है । इसके अलावा सरपंच रुपया लेकर घर बैठ जाते हैं और उससे रुपया वसूल नहीं किया जाता और न कोई पूछने की हिम्मत करता है । एक सरपंच दो साल से रुपया लेकर बैठा है और कोई भी

(श्री घासीराम यादव)

विकास अधिकारी उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करता, न कोई क्वेश्चन करता है, सभी लोग डरते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें किसी भी हालत में उनके साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरतनी चाहिये। होना तो यह चाहिये कि सरपंच को और रुपया देना चाहिये, मगर उन्होंने वह रुपया भी नहीं दिया जो वे लाये। मैं समझता हूं कि ऐसी कई मिसालें हैं और मैं यह निवेदन करूंगा कि यह खराब बात है। मेरा ख्याल यह है कि आज जो हालत चल रही है वह इस प्रकार की है कि जो विकास अधिकारी काम कर रहा है अगर दो-तिहाई मेजोरिटी चाहे तो उसकी ट्रान्सफर हो जाती है। मैं समझता हूं कि ऑफिसर की ट्रान्सफर की बात भी कानून में आए, ऐसा हिन्दुस्तान भर में कोई इन्सटान्स नहीं है। यहीं पर यह एक ऐसा कानून बना दिया गया है कि ऑफिसर की ट्रान्सफर गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। इसका नतीजा यह होता है कि आज विकास अधिकारी यह देखता है कि कौन कौन सरपंच मेरे साथ रहते हैं और कौन कौन मेरे खिलाफ हैं। इसलिये वह उनको खुश करने की कोशिश करता है और अपने मकान पर खाना खिलाता है। इसके अलावा जो काम सेक्रेटरी को करना चाहिये वह विकास अधिकारी करता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, प्रधान भी सरपंचों द्वारा चुने जाते हैं और वे भी उनके साथ लगे रहते हैं। वे भी उनसे डरते रहते हैं और सरपंच के खिलाफ रुपया निकलता है तो वे मांग नहीं सकते। उनको चाहिये तो यह कि उसको ठीक करते, लेकिन वे डरते हैं। इसलिये मेरा विचार यह है कि प्रधान आम जनता द्वारा चुना जाना चाहिये, ताकि उस पर सरपंचों का प्रभाव न रहे। अगर पंचायत समिति का प्रधान पंचों और सरपंचों द्वारा चुने जाने के बजाय आम जनता द्वारा चुना जावेगा तो वह सरपंचों से डरेगा नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरपंच है उसके लिये ऐसी एनोमोली है कि उसको पंच हटा सकते हैं नो कॉन्फिडेन्स ला कर। मैं यह कहता हूं कि वह पब्लिक से चुन कर आता है। पब्लिक फिर चाहे तो उसको चुन सकती है। इसलिये यह कानून गलत है। जब वह आम जनता से वोट लेकर आया है तो उसको फिर कैसे हटाया जाता है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप बार बार घन्टी बजा रहे हैं, अतः मैं इतना ही कह कर बैठ जाता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजना आदि पर मेरे ७–८ कटौती के प्रस्ताव हैं जिन पर मैं निर्धारित समय में बोलने का प्रयत्न करूंगा। माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि अक्टूबर, १९५२ से National Extension Survey की योजना आरम्भ हुई और विशेष तौर से ग्रामीणों के लिये, गांवों में खेतीबाड़ी के पिछड़ेपन को मिटाने के लिये, खेतीबाड़ी के आधुनिक साधनों को उपलब्ध कराने और सम-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

भाने के लिये, श्रम से काम करने व कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ बना कर काम करने और ग्रामों का विकास करने, ग्रामों में शिक्षा का प्रसार करने आदि का मुख्य लक्ष्य इस योजना का था। इसका आरम्भ २ अक्टूबर, ५२ से हुआ था। बाद में बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के साथ १९५९–६० में परिस्थिति बदली और पिछली रिपोर्ट के आधार पर देखा गया कि २ अक्टूबर, १९५९ को हमने विकेन्द्रीकरण का उद्घाटन किया और उससे हमने यह आस्था रखी थी कि हम पब्लिक को इसके द्वारा ऊंचे स्तर पर ले जावेंगे और जन सहयोग, जन शक्ति द्वारा विकास के कार्यों में आगे बढ़ेंगे और जनता को ऊपर उठायेंगे। आज मुख्य रूप से जो कठिनाइयें इस सम्बन्ध में सामने आई हैं उन्हें मैंने कटौती के प्रस्तावों द्वारा आपके सामने उपस्थित करने की कोशिश की है। जिस प्रकार की विकास समितियों का गठन हो, उसमें पंचों और सरपंचों की राय है और जो रिपोर्ट आ रही है उसमें दो चीजें मुख्यत: सामने आती हैं। एक तो नौकरशाही उनके रास्तों में बहुत बड़ी अड़चन बन कर काम करती है और उनके काम में रोड़े अटकाती है। जो काम वे लोग करना चाहते हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी किसी तरह से मदद देने को तैयार नहीं है। वे लोग कभी यह नहीं चाहते कि लोग अपने फैसले खुद करें और लोगों पर दबाव डालने की जो उनकी नीति अंग्रेजों के युग से, सामन्ती युग से चली आई है उसका प्रयोग करके उन लोगों के रास्ते में बड़ा रोड़ा बनी हुई है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ यह यह है कि पंचायत समितियों, बी० डी० ओज़. आदि का एक बहुत बड़ा उपयोग राजनैतिक कार्यों में लिया जा रहा है। इनका सही तौर से डेमोक्रेसी में उपयोग नहीं लिया जा रहा है। इसका किस तरह से राजनैतिक रूप से उपयोग किया जाता है इसके सम्बन्ध में मैं कुछ मिसालें सदन के सामने पेश करना चाहता हूं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

यह मिसाल बनेड़ा समिति की है। बनेड़ा में विशाल किसान सम्मेलन हुआ, यह इश्तिहार है जो बनेड़ा से दीवार पर से उतारा गया है। इस किसान सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य मन्त्री, श्री सुखाड़ियाजी करेंगे। यह कार्तिक बदी ९ शुक्रवार, ता० १४-१०-६० का किस्सा है। इसको निकालनेवाले श्री कस्तूरचन्द जैन, अध्यक्ष, मण्डल कांग्रेस बनेड़ा हैं और इसमें सर्व श्री तेजमल बापना, एम. एल. ए. व कल्याणमल धाभाई, प्रधान, पंचायत समिति, बनेड़ा का भी नाम है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बनेड़ा ने दिनांक ८–१०–६० को समस्त सरपंच, ग्राम पंचायतों को लिखा १००) रुपये किसान सम्मेलन के कोषाध्यक्ष श्री कजोड़ जाट, उप-प्रधान, पंचायत समिति, बनेड़ा को देने हेतु और यह एक चिट्ठी है जो विकास अधिकारी ने सभी खंड, पंचायत समिति, बनेड़ा को भेजी है; जिसमें किसान सम्मेलन के अवसर पर उसकी व्यवस्था व अन्य खर्चे हेतु प्रति ग्राम पंचायत से १००) रुपये देने की सिफारिश की गई है। यह रुपया कजोड़, सरपंच ग्राम पंचायत, बरण के पास जमा करवाये जावें, इसका भी समर्थन बहुमत से किया गया है; लिखा है कि यह रुपया पंचायतें जुटावें।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

इससे अधिक उज्जवल मिसाल जिसमें स्वयं मुख्य मंत्री शामिल हों, मैं पेश नहीं कर सकता कि आज राजनैतिक रूप से विकास समितियों का उपयोग किया गया है ।

आज देखा जाय तो गांवों में विकास किया जा सकता है । विभिन्न आर्ट्स और क्राफ्ट्स और विभिन्न उद्योगों को पनपाने की कोशिश कीजिये, अवश्य विकास होगा । ठीक तरह से विकास करने के लिये यह सबसे पहले आवश्यक है कि विकास समितियों के, पंचायत समितियों के डाइरेक्ट इलेक्शन होने चाहिये । आज पंचायत समितियों का गठन है, वह इन्डाइरेक्ट इलेक्शन के जरिये हुआ है और पिछले चुनावों ने सिद्ध कर दिया है कि सरपंचों को बन्द कर दिया गया, उठा कर ले गये, छिपा कर रखा गया और जीप गाड़ियों में बैठा कर लाया गया । इसलिये यह आवश्यक है कि इनका चुनाव डाइरेक्ट इलेक्शन से हो । इन विकास समितियों में प्रिविलेज्ड क्लास के लोग न आकर किसान लोग आयें तो विकास समितियों का गठन अच्छा हो सकता है और विकास अच्छी तरह से हो सकता है । अभी यह होता है कि सब कमेटी पैसा वापिस बांट लेती हैं । मैं रायसिंहनगर की नजीर पेश करूं कि वहां पर ५०–५० हजार रुपया एम्बेज़ल कर लिया है और गांवों के स्तर पर यह विकास बिल्कुल नहीं पहुंच पाया है ।

मैं यह इश्तिहार सदन की मेज पर रखता हूँ ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : माननीय सभापति महोदय, यदि आप उचित समझें तो आप आज्ञा दे दें कि मेरी एवज में आचार्य साहब बोल लें ।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : ऐसा आपस में हो सकता है क्या ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य राजसमन्द): If the Hon ble Member desires...

श्री सभापति : This is a point of mutual adjustment.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): यह नहीं हो सकता....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : It is for the House to decide.

श्री सभापति : If he concedes he may.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : Let Shri Bhairu Lal 'Kalabadal' speak. The Opposition is not so lenient.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Because you are very lenient to the Opposition.

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : माननीय सभापति महोदय, विकास योजना पर मेरा कट मोशन है । हमारे देश में यह योजना नई योजना नहीं है । पहले से हमारे समाज के द्वारा समाज के विकास के लिये योजना प्रचलित थी । उसमें कमी थी, इसलिए नई आनेवाली सरकार ने विकास परियोजना के नाम से योजना चालू की, विकास में सारे साधन लगाने के लिये । इसमें यदि सरकार व

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

जनता सहयोग करेगी तो योजना अच्छी तरह चल सकेगी। सहयोग की भावना से यह योजना थी। मगर इस योजना में दूसरी योजनाओं को चलाया गया और दिल और दिमाग के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। यदि दिल और दिमाग के विकास के लिये ध्यान दिया जाता और दिल और दिमाग को विकसित किया जाता तो हमारी सामुदायिक योजनायें विकसित होतीं। पर दिल और दिमाग में विकास नहीं किया जाकर दूसरे, दूसरे काम शुरू किये गये। हमारे समाज में पहले ऐसा सहयोग था कि बिना सरकार के सहयोग के मदद करते थे। यहां तक हमारे समाज में व्यवस्था थी कि यदि धर्म स्थान पर, तीर्थ स्थान पर संग-साथ वाले मिल जाते थे तो जीवन भर भाईचारे को बनाये रखते थे। पर आज देखा जाता है विकास योजनाओं के प्रधानों के, विकास समिति के सदस्यों के व विकास अधिकारियों के आपस में अनबन रहती है। प्रधान चाहता है कि विकास आगे बढ़े पर विकास अधिकारी नहीं चाहते कि प्रधान की बात चले। इस तरह के कई दल गांवों में हो गये हैं। इसलिए विकास योजना बढ़ नहीं पाई है, विकसित हो नहीं पाई है। इसलिये आपस में भाईचारा बढ़े, इस प्रकार की व्यवस्था की जाय तो योजना आगे चल सकती है और इससे ठीक ढंग से विकास हो सकता है। इसलिए दिल और दिमाग का विकास होना जरूरी हो गया है।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ओर अधिक सक्रिय कदम उठायें और फिर योजनाओं के विकास की ओर कदम बढ़ायें, तभी हमारी योजनाएं कामयाब होंगी।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या २२ में सामुदायिक विकास परियोजना के सम्बन्ध में मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। सभापति महोदय, आज हम हमारी विकास योजनाओं को अपने देश को विकसित बनाने के लिए जिस रफ्तार से फैलाना चाहते हैं वैसे वह नहीं फैल रही हैं। इसका कारण यह है कि सरकारी अधिकारियों में और चुने हुए नुमायन्दों में आपस में मनमुटाव चलता है। साथ ही सरकार ने बी. डी. ओज़ को अधिकार दे रखे हैं कि पंचायत समितियों द्वारा प्रस्ताव पास करने पर भी बी. डी. ओ. चाहे तो रकम दे और नहीं चाहे तो नहीं दे, नोट लगा सकता है। तो सरकार ने विकास के कामों को आगे बढ़ाने में यह एक इस प्रकार की बाधा रख दी है। उदाहरण के लिये जो कृषि प्रसार अधिकारी है वह यदि टाइम से रिपोर्ट नहीं दे तो पंचायत समिति कितने ही प्रस्ताव पास कर दे, कितनी ही धनराशि मन्जूर कर ले पर कृषि प्रसार अधिकारी टाइम पर रिपोर्ट नहीं करे तो धनराशि मिल नहीं सकती और इस वजह से कार्य असफल रहता है और योजनाएं आगे नहीं बढ़ सकतीं। दूसरे, इन विकास के कार्यों में ओवरसियर बाधा पहुंचाते हैं, कृषि प्रसार अधिकारी या इर्रिगेशन की तरफ से रिपोर्ट हो जाती है तो ओवरसियर उसमें बाधा पहुंचाते हैं। पी. डब्लू. डी. के आधार पर इस तरह बाधा पहुंचाते जायेंगे तो हमारा कार्य नहीं होनेवाला है। इस तरह विकास अधिकारी और प्रधान के पंचायत समिति के सदस्यों के मनमुटाव के कारण टाइम गुजर जाता है और विकास के लिये मन्जूर की हुई रकम लेप्स हो

(श्री हीराभाई)

जाती है। इसके लिये यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि ओवरसियर यदि एक समिति में नहीं है तो दूसरी जगह से भेज कर फौरन जांच करवावें, एस्टिमेट करवावें। अगर ऐसा प्रबन्ध नहीं किया गया तो हमारे विकास कार्य असफल होंगे और जिस तरह कि अभी रकम लेप्स होती है उसी तरह वह लेप्स होती जायगी। जिनको रकम देते हैं वह भी इधर उधर हो जाती है, लोग खा जाते हैं। तो बी. डी. ओ. जो हैं उनको आदेश दिये जायं कि बिना समझे बूझे नोट लगा कर बाधा पहुंचाने की कार्यवाही नहीं करें और जल्दी से जल्दी निरीक्षण करके तत्काल विकास योजनाओं को लागू करने की कार्यवाही करें, तभी अच्छी तरह से काम चल सकता है वर्ना नहीं चल सकता। हमारे यहां पहाड़ी एरिया है। वहां पर यह स्थिति है कि कोई भी व्यक्तिगत कुंए खुदवाते हैं या सार्वजनिक रूप से कुंए खुदवाते हैं तो नीचे चट्टानें आ जाती हैं। उन चट्टानों को तोड़ने के लिये कई बार सरकार से निवेदन किये गये हैं कि उस एरिया में ब्लास्टिंग मशीन की व्यवस्था की जाय, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर भी विचार करके उस एरिया को जल्दी से जल्दी ब्लास्टिंग मशीन दी जाय जिससे कि हमारे अधूरे कार्य पूरे हों और विकास व निर्माण कार्य सफल हों।

श्री सभापति : अब सरकारी पक्ष की तरफ से जवाब होगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अभी समय बाकी है।

श्री सभापति : Time was extended by half an hour and the guillotine was to be applied at 12. Now the guillotine will be applied at 12. 30.; hence the Government reply will now start.

श्री विजयसिंह झाला : एक मिनट बाकी है।

श्री सभापति :Order ! Order Please !

(१२.० मध्यान्ह)

श्री नाथूराम मिर्धा (सामुदायिक विकास मन्त्री): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या २२–सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में इस सदन में माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्तावों के अनुसार कुछ बातें इस सदन में रखी उस बारे में मैं निवेदन करूंगा।

सामुदायिक विकास योजनायें वैसे हमारे देश में सन् १९५२ से शुरू हुई हैं और राजस्थान में भी सन् ५२ से इस योजना की शुरुआत हुई थी। कुल मिला कर हमने राजस्थान को २३२ विकास खण्डों में बांटा है और इन २३२ विकास खंडों में २३२ ही पंचायत समितियां हैं और हमारे जितने जिले हैं उतनी ही जिला परिषदें हैं और करीब ७,३०० पंचायतें हमारे सारे राजस्थान में बनी हैं। इन विकास खंडों का एक ही मकसद सामने था कि हमारे देश में योजनाबद्ध तरीके से गांवों में रहनेवाले लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाया जाय, वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता पहुंचाई जाय और उनके जरिये उनके उत्पादन के कामों में उनकी मदद की जाय। इस इरादे को हमने योजनाओं का एक बहुत बड़ा अंग माना है और इस प्रकार हमारे गांवों में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रहने वाली जनता को इस सामुदायिक विकास योजना के जरिए जहां पर हम विकास खंड चालू करते हैं पारसाल में १२ लाख रुपयों की विशेष धनराशि खर्च करके हम उन इलाके के लोगों को वहां के कृषि उत्पादन में, पशु–पालन में, नस्ल सुधार में, छोटी–मोटी सिंचाई योजनाओं में, सड़कों और शिक्षा पर यह धनराशि खर्च करके उनको मदद पहुंचाना चाहते हैं। इन योजनाओं में पहले एक्सटेन्शन ब्लॉक होते हैं, उसके बाद प्रि–एक्सटेन्शन स्टेज बनती है और फिर विकास खंड ? इस प्रकार से पूरी योजना बना कर पांच साल तक चलाते हैं। इन २३२ विकास खण्डों में अब लगभग ४८ ऐसे ब्लॉक रह गये हैं जो अभी तक शेडो ब्लॉक्स हैं और इनको इस साल के अक्टूबर के अन्त तक हम प्रि-एक्सटेन्शन स्टेज तक पहुंचाना देना चाहते हैं। २४–२५ छाया खण्डों को हम अक्टूबर से पहले ही प्रि-एक्सटेन्शन स्टेज तक पहुंचा देना चाहते हैं और अक्टूबर के अखीर तक तो राजस्थान में कोई शेडो ब्लॉक नहीं रहेगा और सारे के सारे विकास खण्ड बन जावेंगे। इसलिए माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के २३२ विकास खण्डों में सन् ५२ से लेकर अब तक काफी प्रगति के काम हुए हैं। अगर हम यह कहने लगें कि इन योजनाओं के जरिये कुछ नहीं हुआ है तो यह सत्य नहीं होगा। साथ ही साथ यदि यह कहें कि इन योजनाओं के द्वारा जो विकास के कार्य किये गये हैं उनमें कोई गलती नहीं हुई है तो यह भी एक अतिशयोक्ति होगी। इसमें कई प्रकार की कमियां हो सकती हैं और उनको ठीक किये जाने की बात हो सकती है।

अभी कटौती प्रस्तावों में कुछ नीति संबंधी बातें भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। उन्होंने कहा हमारे यहां राजस्थान में सन् १९५९ से विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था अपनाई गई है;·पंचायतें, पंचायत 'समितियां और जिला परिषदों का निर्माण हुआ है, जिला परिषदों के पास अख्तियार नहीं हैं। उनके पास थोड़ा काम है, पंचायत समितियों के पास ज्यादा काम है और उनका केन्द्रीयकरण कर दिया गया। ऐसी उनको फीलिंग है, वे महसूस करते हैं। वे यह भी फील करते हैं कि पंचायतों के जरिये विकास के काम कराने चाहिये और उनकी मदद करनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, जो विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था है, कानून इस सम्बन्ध में जो राजस्थान में लागू कर रखा है उसमें तीनों संस्थाओं के अलग अलग स्थान हैं और वे कानून के तहत अपने कर्त्तव्यों का पालन करती हैं। मैं स्वयम् इस बात को मानता हूं और शुरू से जब विकास योजनाओं का हमारे राजस्थान में लागू किया था हमने यह मद्दे नजर रखा था कि राजस्थान में पंचायतें की एक बुनियादी युनिट्स बने और वे स्वावलम्बी होनी चाहिये। यही हमारे पूज्य बापू का स्वप्न था। हिन्दुस्तान में सच्चा स्वराज्य तब ही कायम होगा जब ग्राम पंचायतें स्वावलम्बी होंगी, उस इलाके के काम में सहयोग करेंगी, व्यवस्था स्वयं चलावेंगी, उनके पास अर्थ की कमी नहीं होगी, उनमें सब काम करने की शक्ति होगी। इस बात को पूरा करने के लिए इस व्यवस्था को हाथ में लिया गया है। आज हम यह कह दें कि वह सारा का सारा पूरा कर दिया गया है और आनेवाले इन वर्षों में वह पूरा हो जावेगा, यह उचित नहीं होगा। हिन्दुस्तान के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

गांवों में रहनेवाली जनता को इस व्यवस्था के साथ जो अधिकार मिलने चाहिये यह हमने बुनियाद में इस योजना को लागू करते हुए सोचा था और निरंतर कोशिश करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं कि जिससे गांवों की पंचायतों के युनिट्स ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनें, शक्ति है वह ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायतों के पास हो और वे जो चुनिन्दा नुमाइन्दे और गांवों में रहनेवाले अलर्ट एडल्ट्स हैं सब तरह के काम-काज उनके हाथ से चलें। पंचायत समितियां और जिला परिषदों की जो व्यवस्था है उसको शुरू से ही अन्तरिम व्यवस्था मान कर चले हैं। पंचायत समितियों के लेवल पर हर गांव की पंचायत का सरपंच होता है। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वे जो जनता के प्रतिनिधि हैं वे तो स्पेश्यलाइज्ड क्लास के लोग हैं, आम लोगों के प्रतिनिधि नहीं हैं मैं समझ नहीं पाया उनकी इस बात को; जब कि गांवों के सब एडल्ट्स के द्वारा पंच, सरपंच चुने जाते हैं। उनको प्रिविलेज्ड पर्सन्स किस तरह से कहा जाय, यह मैं समझ नहीं पाया।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : उनका कहने का मतलब यह था कि थोड़े पंच होते हैं उनको उठा कर ले जाते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह अलग मुद्दा है, प्रिविलेज्ड क्लास की बात कहां आती है? गरीबों के अलग हों और सरपंच बहुत प्रिविलेज्ड क्लास के हों, मैं यह भी नहीं मानता।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मतलब कहने का यह था कि अनअोपोज्ड लाये जाते हैं और चुनाव नहीं कराते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : चुनाव लड़ने की आजादी है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जनता के साथ जैसा व्यवहार होता है वैसा हमारे साथ होना चाहिये। हमें उनसे अलग न समझें।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह ठीक बात है कि माननीय सदस्यों ने यह इशारा किया कि पंचायत समितियों में प्रधान का चुनाव होता है उसको लेकर कुछ इस प्रकार थोड़े और हिस्से बन जाते हैं जिससे पंचायत समितियों के काम-काज में कुछ पंचायतों को कुछ सहूलियतें मिलती हैं और कुछ का योजनाओं में काम-काज करने की इच्छा होते हुए भी जो दूसरे लोगों को मदद मिल सकती है वह उनको नहीं मिल सकती। चुनावों की जहां परम्परा होती है बहुत सी पंचायत समितियों में यह देखने को मिलता है। माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को, जिनका इन पंचायतों और पंचायत समितियों से काफी ताल्लुक है, निवेदन करूंगा कि उनको एक शिक्षण देने की आवश्यकता है। हम राजनीति को पंचायतों में, पंचायत समितियों में और जिलापरिषदों में डालना नहीं चाहते; लेकिन आज सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हम जिस युग में रह रहे हैं उस युग में अपने जीवन में हर साधारण नागरिक भी अपने आपको राजनीति से अलग नहीं रख सकता। राजनीति को हरेक को समझना है, उसमें रहना है और आज के युग में राज-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नीति को किस तरह से उपयोग में लाना है, यह समझने की आवश्यकता है। हमारी पंचायतों और पंचायत समितियों के जो चुनाव हुए हैं उनमें राजनैतिक दलों ने दल के रूप में भाग नहीं लिया। किसी भी पार्टी ने राजनैतिक आधार पर इनके चुनाव नहीं लड़े। यही कारण है कि किसी भी पार्टी ने पार्टी बेसिस पर पंचायतों और पंचायत समितियों में चुनाव में टिकट नहीं दिया। हम यह चाहते हैं कि गांव में इस प्रकार की पार्टियां, धड़े कायम न हो जायं जो चुनाव के दौरान में हो जाया करते हैं, जिनको वापिस पाटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिये पार्टी बेसिस पर ये चुनाव नहीं लड़े गये। हम चाहते हैं यही परम्परा आगे भी कायम रहे और रखनी चाहिये। पंचों और सरपंचों के चुनाव पार्टीबाजी के आधार पर न हों, यह जरूरी है। इसके साथ साथ पंचायत समितियों के चुनाव में जो परिपाटी चली आ रही है उसको चेन्ज करने की आवश्यकता है। इस बारे में जो तजुर्बा है, इसके लिये क्या संशोधन हो सकते हैं, इसके बारे में अलग से सरकार विचार करेगी और सदन के सामने उपयुक्त समय पर वह मसला भी आ जायगा। हम चाहते हैं प्रधान के चुनाव में या दूसरे प्रकार के चुनाव में किस प्रकार का परिवर्तन किया जाय, जिससे कम से कम कटुता पैदा हो और प्रधान का चुनाव हो जाय। जिस प्रकार की कमियां हमें देखने को मिली हैं, लोगों को इधर से उधर ले जाया जाता है, क्योंकि उसमें सीमित इलेक्टोरेटस् होते हैं। इस प्रकार की कई बातें गुजरती हैं इस दृष्टिकोण से चुनावों की विधि में परिवर्तन किया जाय, हेरफेर कीया जाय, इस पर विचार करेंगे और उपयुक्त समय पर वह मसला आपके सामने आयगा।

जिला परिषद् के बारे में भी कहा गया कि इनको बहुत कम काम दिया गया है इसलिये इनको और काम दिया जाय, शफाखानों का काम, हायर सेकिन्डरी स्कूल्स का काम दिया जाय। ये भी सुझाव आये। मैं आप से निवेदन करूं इस बारे में भी क्लीयर नक्शा हमारे सामने नहीं है! इस बारे में भी काफी विचार-विनिमय किया जा रहा है। पांच टायर सिस्टम पंचायतें, पंचायत समितियें, जिला परिषदें, लेजिस्लेचर और पार्लियामेन्ट इन सारे सिस्टम्स में अलग अलग काम का वितरण हो; उस वितरण में किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है, इस बारे में सभी तरफ से सोचा जा रहा है। महात्मा गांधी का स्वराज्य, जिसमें पंचायतों द्वारा ही सारे कार्य हों ये सारे के सारे कार्य ऊपर से लेकर नीचे तक बनने चाहिये। केन्द्रीय सरकार के लिए सोचना कि हमारे कार्य किस प्रकार स्टेट्स के पास जा सकते हैं उसी प्रकार राज्य सरकारों को भी सोचना है अपनी जो जिम्मेदारी है वह जिला स्तर पर और पंचायत समितियों के स्तर पर और पंचायतों के स्तर पर किस तरह से डाली जा सकती है। अगर हमें पंचायतों को मजबूत करना है तो इस सारे सिस्टम के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके बारे में देश के लोगों में मतभेद हो सकता है। कई लोग इस बात को पसन्द न भी करें लेकिन हमने यह इरादा कर रखा है कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति पंचायतों के पास पहुंचा दी जाये और जिला परिषदों को इतना मजबूत न बनाया जाय। पंचायत समितियों को जो मजबूती दी गई उससे कुछ लोगों को तजुर्बा हुआ कि पंचायतों के पास भी काम

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हो। तो ये सारे विषय ऐसे हैं जिन पर समय समय पर थिंकिंग, री-थिंकिंग चलती ही रहती हैं और चलती रहेंगी इस बारे में सम्मेलनों द्वारा, गोष्ठियों द्वारा और सेमीनार्स द्वारा चर्चा चलती रहती है। ये रोज बदलनेवाले विषय हैं।

हाउस में यह भी बात आयी कि कहीं हमारा यह एक्सपेरिमेन्ट फेल न हो जाय। इस बारे में हमारे मुख्य मन्त्री कई बार सदन में कह चुके हैं कि यह हमारा एक्सपेरिमेन्ट नहीं है, यह हमारा faith है। इसलिये इसमें फेल होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए इसमें जो कुछ भी खामियां रह गई हैं उनको देख कर निराश नहीं होना चाहिये, यह फेल हो जायगा, इस प्रकार की कोई बात नहीं।

जीपों का दुरुपयोग, फण्ड्स का डिस्ट्रिब्यूशन ठीक नहीं किया जाता, चुनावों में जीपों का उपयोग किया गया, आदि बात भी सदन में कही गई। यह तो सभी माननीय सदस्यों को मालूम है सरकार द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया था चुनाव के समय कि कम से कम १५ रोज पहले समस्त प्रधान अपनी जीपों को कलेक्टरस के पास जमा करा देवें। चुनाव के १५ दिन पहले सबसे जीपें ले ली गईं और कुछ जगहों पर महीने भर पहले, पच्चीस रोज पहले ही जीपें ले ली गई थीं। जहां तक जीपों के उपयोग-दुरुपयोग का प्रश्न है, जैसा कि सदन जानता है ये जीपें पंचायत समिति ने अपने फण्ड से खरीदी हैं, उसके उपयोग के लिए जिस प्रकार से अन्य जगहों पर कानून हैं, उनकी लोग बुक रखी जाती है, वे भी रख सकते हैं।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत राज जो चल रहा है ज्यादा से ज्यादा उसको बेसिक तरीके से मजबूत किया जाना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि पंचायत को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाना चाहिये। इसके अलावा माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि अलीगढ़ पंचायत प्रधान ने पांच हजार रुपया ले लिया और उसको चुनावों में काम में लिया। मैं समझता हूं उनकी यह गलत सूचना है। पांच हजार रूपया ड्रॉ किया था जो रकम खर्च की जा चुकी है। यह गलत सूचनाओं के आधार पर माननीय सदस्य ने बात कही है। यह बात जब माननीय सदस्य ने कट मोशन में रखी थी तो मैंने इसकी खास तौर से। जांच की उससे यह पता चला कि चार हजार रुपया तो रोड्स के लिए मन्जूर हुआ, ७००) रुपया हायर सेकिन्डरी स्कूल के लिए और ३००) रुपया ड्रिंकिंग वाटर के लिए....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह रुपया ट्रेज़री से कब लिया गया, यह बतला सकते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जैसा कि निवेदन किया रोड वर्क के लिए ४ हजार रुपया लिया गया, हायर सेकन्डरी के लिए ७००) रुपया और ड्रिंकिंग वाटर के लिए ३००) रुपया। यह उनको १८-१-६२ को दिया गया। इसके साथ साथ उसमें जो काम कर दिया गया है उसके अनुसार हायर सेकन्डरी स्कूल के लिए ३००) रुपया खर्च कर दिया गया, रोड वर्क के लिए २,५००) रुपया, Panchayat Ghar 1,400.37, Constrnc-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

tion of Sabji Mandi Rs. 382/-, Construction of Park Rs. 200/- and quarter for lady Worker Rs. 100/-. इस तरह से ४,६१६ रुपये ३७ नये पैसे खर्च किये जा चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : किस ट्रेज़री से लिया गया ? आज तक तो कोई सड़क नहीं बनी है फिर भी यह खर्च कैसे हो गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसी कि मेरे पास सूचना है, सड़क बन गई है और उसमें रोड वर्क का २,५००) रुपया बताया गया है और वह रुपया १८.१.६२ को लिया गया और इतना रुपया खर्च किया जा चुका है जिसका हिसाब मैंने आपको बता दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या आप यह कह सकते हैं कि रोड बन चुकी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जैसा निवेदन किया मैंने इस बारे में जानकारी की और जो मुझे सूचना मिली है वह मैंने आपको बताई। पंचायत ने अपने फंड में से पैसा खर्च किया है और पंचायत समिति को मांग कर रखी है। पैसे बगैर काम किया गया और पंचायत समिति से एड लेकर वह किया गया। इससे पंचायत घर बना है सड़कें बनाई हैं और उस रुपये को एड के रूप में पंचायत समिति ने सेंक्शन किया है....

श्री मुरलीधर व्यास : लेकिन सड़क तो बनी नहीं है।

या तो आप मान लीजिये कि सड़क बनी नहीं है। आखिर यह हमारा भी प्रिविलेज है। आप कह दीजिये कि सड़क बन चुकी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी तो यह सूचना है। अब कौन सी बनी है, कौन सी नहीं बनी, करीब करीब इसमें से २,५००)रुपये उसके बनाने में खर्च किया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो फिर आप स्पष्ट कहिये न कि सड़क बन चुकी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : रुपया खर्च हो गया, यह कहा है। यह थोड़े ही आपके पास सूचना है कि सड़क बन गई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कहता हूं कि २,५००) रुपया खर्च हो चुका है। अब वह सड़क पहले बना ली, यह जानकारी मेरे पास नहीं है, पर सड़क बनी है यह सूचना तो मेरे पास निश्चित है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो आप कहिये न कि सड़क बन गई है। आखिर पहले भी बनी हो तो भी होगी तो सही वहां पर। आप कहिये, बनी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, बनी है। नहीं बनी हो तो बराबर कार्यवाही करूंगा और गलत सूचना करने वाले के भी खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा कागजों में वह सड़क बनी होगी, जमीन पर नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : गलत सूचना तो आप और आपके अधिकारी दे रहे हैं, इसलिये आपके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। यह बहुत बड़ी बात कह दी आपने।

श्री नाथूराम मिर्धा : बनेड़ा पंचायत समिति के सिलसिले में एक तो यह कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा होता है, ऐसा कई माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव के समय में बहस करते हुए कहा । माननीय सभापति महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा घटता गया है । एस्टीमेट कमेटी ने भी आंकड़े बताये थे । मुझे पता नहीं इस कमेटी ने कितने ब्लॉकों के टोटल खर्चे का एवरेज निकाला है । पर अभी जो हमने केलकुलेट किया है हमारे जितने ब्लॉक्स हैं फर्स्ट स्टेज से या प्री-एक्सटेन्शन और शेडो ब्लॉक से लेकर सभी इसमें शामिल हैं । उन सारे ब्लॉक्स पर जो हमारा खर्चा होता है उसका परसेन्टेज जो हमने केलकुलेट किया है वह २० परसेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आता है । चालीस परसेन्ट उत्पादन योजनाओं पर और बाकी का चालीस परसेन्ट सोशियल एमिनिटीज़ पर खर्च होता है । हमने अपने इस परसेन्टेज का मुकाबला दूसरी स्टेटों से और केन्द्र से भी किया है । सारे हिन्दुस्तान का औसत २२–२३ परसेन्ट आता है, तो इसके मुकाबले में हमारा २० परसेन्ट ही आता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें टी. ए., डी. ए. का खर्चा आपने जोड़ा नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभी इसमें शामिल हैं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : २६०) रुपया आप रखते हैं वेक्सीनेशन की दवाइयों के लिए और २,८००) रुपया खर्च करते हैं आदमी पर ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिए वेक्सीनेटर रखना पड़ता है उसकी तनख्वाह का यह रुपया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : फिर ये एस्टिमेट कमेटी के आंकड़े गलत हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने उनको देखा नहीं है अभी, सम्भव है सारे राजस्थान के नहीं दिये हों ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपके विभाग ने तो विचार किया होगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, विचार करने के बाद ही तो कहता हूँ । सारे हिन्दुस्तान के मुकाबले हमारे यहां २० परसेन्ट आता है एवरेज ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एस्टिमेट कमेटी ने तो ३७ परसेन्ट कहा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ३३ है । इसमें सभी शामिल हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने शायद सभी शामिल नहीं किये हैं, टी. ए., डी. ए., बी.डी.ओज़. के खर्चे ; नहीं तो एस्टीमेट कमेटी के आंकड़े फिर गलत हैं । वे भी तो आपके विभाग ने ही दिये हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : बी. डी. ओज़. वगैरह के सारे टी.ए., डी.ए. मिला कर हमारा एवरेज २० परसेन्ट है । इसलिये बहुत बहुत आप कहते हैं न, तो उसको भी समझ लें ।

अब वेक्सीनेटर की बात कही । फिर उसके लिए सवाल भी है उसका खर्चा भी होता है । उसको बहुत देहात में दूर दूर तक जाना होता

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है ऊंट आदि की सवारी भी जरूरी होती है। अब दवाई जरूर २६०) रु० की है। अब वेक्सीनेटर का काम एक आदमी करेगा, उसको रखना ही पड़ेगा। उसे तीन टीके एक व्यक्ति के लगाने पड़ते हैं। दवाई सस्ती बहुत है। इसमें इतनी सी शीशी होती है (हाथ के इशारे से शीशी का साइज बताकर) वह २००-३०० आदमियों को लगा सकता है और वह शीशी बहुत सस्ती है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें खर्चे का एवरेज ३६.२ दिया है। आपने ३३ फरमाया, इसमें ३६.२ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मैंने देखा नहीं है, इसलिये कह नहीं सकता। पर मैं तो सारे राजस्थान के टोटल खर्चे का हिसाब बता रहा हूं। अब एस्टिमेट कमेटी इस नतीजे पर कैसे पहुँची, यह देख कर ही कह सकता हूँ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : Point of infromation, Sir. मैं बताना चाहता हूं कि वह वेक्सीनेटर सिर्फ एक महीने काम करता है और दस महीने बैठा रहता है। हॉस्पिटल का एक कम्पाउन्डर भी इस काम को कर सकता है और इस पैसे को बचाया जा सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वेक्सीनेटर हैल्थ डिपार्टमेन्ट में रहता है और एक आदमी इस काम के लिये रखना जरूरी है। अब दवाई के लिये मैंने बताया कि वह सस्ती होती है। अब अगर वह कम पड़ती हो तो यह हो सकता है कि हम उसको बढ़ा दें। अगर जरूरत होगी तो बढ़ा देंगे। पर आपने जो मिसाल दी है मेरे ख्याल से वह बुद्धिमानी की मिसाल लगी नहीं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : On a point of information, Sir. छायाखण्ड का तीन लाख का एस्टीमेट होता है। इसमें एक लाख से ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च किया जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको समझा तो दिया। आप बार बार कहते रहेंगे तो क्या कहूंगा ?

श्री विजयसिंह झाला : आपके आंकड़ों को सही मानें या एस्टीमेट कमेटी के आंकड़ों को ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी मर्जी आए तो मानें।

श्री विजयसिंह झाला : मर्जी तो आपकी है न मेरी है।

श्री मुरलीधर व्यास : एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट आपको भी माननी पड़ती है और हमें भी।

श्री नाथूराम मिर्धा : आगे बी.डी.ओ. से नाराजगी जाहिर की, एक माननीय सदस्य ने। वे वहां के प्रधान हैं। मेरे सामने तो यह मामला आया नहीं। इसलिये पूरी जानकारी नहीं। मैं सारे मामले की जानकारी करके वाजिब कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा, देखूंगा क्या किया जा सकता है। मुझे इस बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ६०-६१ की एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट है। उसमें लिखा है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि इसमें प्रशासनिक खर्चा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसे दो वर्ष हो गये, आपने उस पर अभी तक विचार भी नहीं किया मालूम होता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस पर विचार करते हुए ही तो मैं कह रहा हूं कि इसे हमने घटाया है। पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसर की पोस्ट तोड़ी है, एस०ई०ओज़० को घटाया है; इसलिये खर्चा घट रहा है। और भी क्या कमी हो सकती है, यह हम सोच रहे हैं। आज खर्चा हमारा २० परसेन्ट है। इसे फिर घटायेंगे। आप चिन्ता मत करिये; जनता की भलाई के लिये इस खर्चे में कमी होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरी समझ में नहीं आया कि एस्टीमेट कमेटी कुछ और कह रही है, आप कुछ और।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी समझ में नहीं आता कुछ, तो मेरे पास कोई इसका इलाज नहीं। कोई बात आपकी समझ में आती नहीं और मेरे ख्याल से सबसे कम आपके समझ में आती है कोई बात।

माननीय सभापति महोदय,....

श्री मुरलीधर व्यास : कोई दो-चार अफसरों को कम करने से २० परसेन्ट कैसे हो सकता है?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक माननीय सदस्य ने कुओं के बारे में तकावियां दिये जाने का जिक्र किया। कहीं पर कुआ एक हजार में बन जाता है, कहीं पर सात हजार में बनता है। तो इस बारे में जैसा मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा तीन हजार तक की तकावी के बारे में व्यवस्था हर पंचायत में मौजूद है। जहां कम में बने वहां अधिकार है प्रधानजी को और उनकी स्टेन्डिंग कमेटी को वे जैसा उचित समझें कर सकते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तकावी के लिये नहीं कहा। पीने के पानी के कुंए खुदाने के लिये कहा था।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिये कोई लिमिट नहीं है। श्रमदान से इसे कवर किया जा सकता है। जनरल वर्क्स में स्कूल बिल्डिंग के बनाने में ५० परसेन्ट उनका है तो ५० परसेन्ट अनुदान है।

अब सब पंचायत समितियों को बराबर कर दिया जाता है, इसके बारे में ऐतराज है। फंड सिंचाई का कम-ज्यादा दे दिया जाता है, यह भी कहा गया। मेरे ख्याल से राजस्थान के अन्य भागों की जानकारी उनको नहीं है। अपनी पंचायत समिति की मांग के बेसिस पर कहा है। अपनी पंचायत समिति में वे ज्यादा चाहते होंगे और ज्यादा नहीं मिला होगा। जहां सिंचाई कुओं की तकावी का लोन पंचायत समिति वाइज़ डिवाइड करते हैं, उनके लिये डेज़र्ट हिस्सों में कम बनाये जा सकते हैं तो वहां कम रखा जाता है और जिन हिस्सों में अधिक बनाये जा सकते हैं उनको ज्यादा रखा जाता है। इसलिये इस बात को मानकर चलने की आवश्यकता नहीं। यह ठीक है कि कुओं की तकावी के बारे में मांग बहुत ज्यादा है। इसलिये हम सब की डिमान्ड्स को पैसे के अभाव में एक साथ पूरी करने में असमर्थ हैं। इसलिये जितनी आवश्यकता है उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि पंचायत समिति........

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में दखल न दें। मुखबन्ध लगने वाला है और इनको समाप्त करना है।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूँ। सीमा निर्धारण के सिलसिले में कई कटौती के प्रस्ताव थे और माननीय सदस्य उसके लिए बहुत उत्सुक थे। मैं इतना निवेदन ही करना चाहता हूं कि पंचायत और पंचायत समितियों के सीमा निर्धारण के बारे में कई जगह के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस प्रकार के डिस्प्यूट्स को हल करवाने के लिए क्या कोई कमीशन गठित किया जाय या कैसे सुलझाया जाये; इसके बारे में सोच-विचार कर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ज्यादा निवेदन नहीं करना है। जो कटौती के प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे, उनके बारे में जो मुद्दे उठाये मैंने उनका उत्तर देने की कोशिश की है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या ग्राम स्वास्थ्य का कुछ पैसा बढ़ा दिया जायेगा ?

श्री सभापति : Order please !

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में दिये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,४१,९६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

शेष मांगों पर मुखबंध

अब इसके पश्चात् अन्य मांगों के लिए मुखबन्ध का प्रयोग किया जाता है और एक एक करके मांगें सदन के सामने रखी जायेंगी।

मांग संख्या १४—वैज्ञानिक विभाग

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४९,३४,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या १६—चिकित्सा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,०१,२९,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या १७—जन स्वास्थ्य

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,२५,४१,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या १०—न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४८,०१,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ९—सामान्य प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,३५,२०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : No Sir.

श्री सभापति : I will again put it to voice vote.

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,३५,२०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : No Sir.

श्री सभापति : जो विपक्ष में हों वे अपने आसन पर खड़े होने का कष्ट करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): खड़े होने का नियम नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इसके पहले आप बुला लीजिए, कभी उधर कोई रह न जाये। उधर बहुत कम हैं इसलिए अभावपूर्ति हो जाये।

श्री सभापति : केवल बुलाने के लिए करना है तो अलग बात है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : देखिये, आ रहे हैं।

श्री सभापति : You want a division. It is also according to the rules that Members can be asked to stand up if they want a division.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इतनी मांगें स्वीकार हो गईं तो एक के लिए क्या करना है ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,३५,२०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २७–सार्वजनिक निर्माण कार्य इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य; ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयन्त्र पर व्यय, एवं ५२–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,३६,०८,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५–अन्य कर तथा महसूल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३–अन्य कर और महसूल के संबंध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७,४०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६–स्टाम्प्स

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १४–स्टाम्प्स के संबंध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,६८,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ७–पंजीयन शुल्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७, मुख्य शीर्षक १५–पंजीयन शुल्क के संबंध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,२५,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या ८-संसद तथा राज्य विधान सभा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक १८-संसद तथा राज्य विधान सभा के संबंध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३५,४६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ११-कारागार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार के संबंध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३७,५१,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या १३-विविध विभाग

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-विविध विभाग के संबंध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८६,०४,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-१८ कृषि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८२,८८,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या १९-पशु-पालन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशु-पालन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,२२,५६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २०-सहकारिता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता के संबंध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८०,३७,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या २३-श्रम और नियोजन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन के संबंध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४६,४८,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या २४-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,७५,०२,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २५-बहु प्रयोजन नदी प्रयोजन

प्रश्न यह है कि मांग संख्य २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४३,८५,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २६-सिंचन, नौचालन इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) तथा ४४-सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) एवं सिंचन, (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,३९,९२,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २८-सड़कें और जल परिवहन योजनाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७-सड़कें और जल परिवहन योजनाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६८,-३०,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २९-दुर्भिक्ष सहायता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में

(श्री सभापति)

३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३१,०८,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३०-अधिवार्षिक, भत्ते निवृत्ति लाभ इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३०, मुख्य शीर्षक ६५- अधिवार्षिक भत्ते और अन्य निवृत्ति लाभ तथा मुख्य शीर्षक ७२-निवृत्ति-वेतनों का एक मुश्त दान के संबंध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९७,१४,०००) रु० तक की राशि प्रधान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३१-प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६६-प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के संबंध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३२-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १३ करोड़ ७० लाख रु० तक की राशि प्रदान की जावे। जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें।

(राज्य पक्ष की ओर से हाँ की आवाज)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : १३ करोड़ नहीं है।

श्री सभापति : १३ लाख।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इनके लिए तो १ अरब दे दें तो ये तैयार हैं।

श्री सभापति : I will read it out agian.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १३, ७०,०००) रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

('हां' व 'ना' के पश्चात्)

श्री मुरलीधर व्यास : पहले १३ करोड़ में 'हां' भरी थी।

Page No 97

श्री रामानन्द अग्रवाल : We Claim division, Sir.

श्री मुरलीधर व्यास : पहले १३ करोड़ कहा गया उसका क्या हुआ ?

श्री सभापति : According to Rules, the Chair can ask the Hon'ble Members to stand up. I will have to take recourse to it.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, पहले १३ करोड़ बोला गया उसमें भी 'हां' हो गई थी तो उसमें 'हां' मानी जायगी या १३ लाख में 'हां' मानी जायगी ?

श्री सभापति : १३ लाख के लिए मानी जायगी। I again put it to voice vote:

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के संबंध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,७०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(पुनः 'हां' व 'ना' के पश्चात्)

श्री रामानन्द अग्रवाल : We want that everybody's vote should be registered. We want that it should be in writing as to who vote for it and against it. It is a question of principle.

(विभाजन घन्टी)

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द): The Chair can ask the Hon'ble Members to ries in their seats.

श्री मुरलीधर व्यास : १३ करोड़ मन्जूर हो चुके है, उसको आपने एक्सपन्ज करने के लिए नहीं कहा। १३ करोड़ मंजूर हो चुके हैं, इसलिए जब तक यह नहीं किया जाय उसको कैसे ले सकते हैं ? यह बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले १३ करोड़ रुपये मन्जूर कर लिए हैं। तो १३ करोड़ मान कर....

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

श्री सभापति : We can talk after the bell.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : १३ करोड़ की बात हो चुकी थी। उसमें सुधार करने के पश्चात् इस मामले में आगे बढ़ें।

श्री सभापति : Order ! Order Please !!

सदन में १ करोड़ की मांग स्वीकार हो गई थी; 'हां' जरूर हुआ लेकिन मैंने डिक्लेअर नहीं किया कि 'हां' पक्ष जीता। इसलिये स्वीकृत नहीं मानी जा सकती।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलना)

श्री सभापति : It was not declared. I now request the Hon'ble Members who are opposed to this demand, to rise in their seats.

श्री रामानन्द अग्रवाल : First you must have voice vote.

श्री सभापति : It is quite clear that the demand has been voted.
और हां पक्ष जीता।

Page No 98

श्री मुरलीधर व्यास : यदि इस तरह से होगा तो हम सदन से वॉक आउट कर देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Procedure should be followed.

श्री सभापति : जो 'ना' पक्ष में हैं वे 'ना' की गेलेरी में जावें........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, as a matter of fact, what has happened......

श्री रामानन्द अग्रवाल : We want to know your ruling first.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir, आपने रूलिंग दे दी, उनको खड़े होने को कहा, वे खड़े हुए; आपने देख लिया कि सब खड़े हुए थे, फिर कैसे डिविज़न क्लेम कर रहे हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : ऐसी गलत बात नहीं होनी चाहिये ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह गलत बात है । उसका विरोध करने के लिये खड़े हुए थे ।

श्री सभापति : I can arrange the division, but it was quite apparent from......

श्री रामानन्द अग्रवाल : रूलिंग से पहले सुना जाय ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : सभापति महोदय, यदि सदन के कुछ माननीय सदस्य डिविज़न लोबीज़ में जाकर कराना चाहते हैं तो जहां तक इस पक्ष का सम्बन्ध है, हमें कोई ऐतराज नहीं है । We are in the hands of Chair.

श्री सभापति : मैं फिर माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जितने माननीय सदस्य खड़े हुए थे उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि मांग का विरोध गिर गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We protest, Sir.

श्री सभापति : Now those who are against the demand may go to 'Noes' lobby and those who are in favour of it may go to 'Ayes' lolby.

(१.२. म. प.)

[विभाजन के अनुसार 'हां' व 'ना' पक्ष के सदस्य :]

'हां' पक्ष

१ श्री अभयसिंह
२ श्री अलदाराम
३ श्री अमृतलाल
४ श्री आनन्दसिंह
५ श्री बालकृष्ण
६ श्री भगराज
७ श्री भरतलाल
८ श्री भवानीशंकर नन्दवाना
६ श्री भीखाभाई
१० श्री भैरवलाल "कालाबादल"
११ श्री भीमसेन
१२ श्री बृजेन्द्रपाल
१३ श्री बृजसुन्दर
१४ श्री चतुर्भुज उपाध्याय

Page No 99

(श्री सभापति)

१५ श्री छोटू
१६ श्री छुट्टनलाल
१७ श्री चौसरसिंह बाबेल
१८ श्री दौलतराम
१९ श्री देवेन्द्रकुमार
२० श्री देवीलाल
२१ श्री धर्माराम
२२ श्री दिनेशराय
२३ श्री डुंगाराम
२४ श्री गणेशलाल
२५ श्री गंगाराम
२६ श्री गंगासिंह (हिंडोली)
२७ श्री गणपतिलाल
२८ श्रीमती गौरी पुनिया
२९ श्री घासीराम
३० श्री गिरधारीलाल
३१ श्री गोकुलचन्द
३२ श्री गोकुलप्रसाद
३३ श्री गोविन्दसिंह
३४ श्री हनुमानसिंह
३५ श्री हरिभाऊ उपाध्याय
३६ श्री हरिदेव जोशी
३७ श्री हरिकिशन
३८ श्री हरिप्रसाद (मंडावर)
३९ श्री हरिराम (सिवाना)
४० श्री हरिश्चन्द्र
४१ श्री हरलाल
४२ श्री जगनसिंह
४३ श्री जयकृष्ण
४४ श्री जयनारायण
४५ श्री जेठमल
४६ श्री जुझारसिंह
४७ श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
४८ श्री काना
४९ श्री किशनसिंह
५० श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
५१ श्री मखलिस खां
५२ श्री मनफूलसिंह
५३ श्री मानसिंह महार (आमेर)
५४ श्री मथुरादास माथुर
५५ श्री मोहनराज
५६ श्री मोतीलाल
५७ श्री मुक्तिलाल मोदी
५८ श्रीमती नगेन्द्रबाला
५९ श्री नाथूलाल करोल
६० श्री नाथूराम (बागीडोरा)
६१ श्री नाथूराम मिर्धा
६२ श्री निरंजननाथ आचार्य
६३ श्रीमती निर्मला देवी
६४ श्री परसराम मदेरणा
६५ श्री पोहूमल
६६ श्रीमती प्रभा मिश्रा
६७ श्री रघुनाथ विश्नोई
६८ श्री रामदेवसिंह
६९ श्री रामप्रसाद लड्ढा
७० श्री रविशंकर
७१ श्री रावतराम
७२ श्री सावलियाराम
७३ श्री शंकरलाल जाट
७४ श्रीमती सुमित्रा
७५ श्री स्वरूपनारायण
७६ श्री तेजाराम
७७ कुमारी उमा माथुर
७८ श्री विरदाराम

'ना' पक्ष

१ श्री अब्दुलजब्बार

(श्री सभापति)

२ श्री बालूराम
३ श्री भैरोंसिंह
४ श्री दयाचन्द
५ श्री हरिप्रसाद (पाटन)
६ श्री हरिराम (तिजारा)
७ श्री हरिशंकर
८ श्री हीराभाई
९ श्री जयलाल
१० श्री केदारनाथ
११ श्री कृष्णकुमार
१२ श्री कुमारानन्द
१३ श्री मानिकचन्द सुराणा
१४ श्री मुकुटबिहारीलाल
१५ श्री मुरलीधर व्यास
१६ श्री नाथीसिंह (गोविन्दगढ़)
१७ श्री नाथीलाल
१८ श्री नाथीसिंह (भरतपुर)
१९ श्री रामानन्द अग्रवाल
२० श्री रामकिशन
२१ श्री सतीशकुमार
२२ श्री श्योपतसिंह
२३ श्री उमरावसिंह ढाबरिया
२४ श्री विजयसिंह झाला
२५ श्री विट्ठल
२६ श्री योगेन्द्रनाथ हांडा]

श्री सभापति : Order please. !

अब करीब करीब समय समाप्त हो रहा है इसलिये सदन का समय पन्द्रह मिनट के लिए और एक्सटेण्ड किया जाता है और आवश्यकता हुई तो उसके आगे और किया जाएगा।

श्री मुरलीधर व्यास : एक बज चुका है और एक बजते ही सदन की कार्यवाही समाप्त होनी थी। अब टाइम और ज्यादा हो गया है।

श्री सभापति : It has been extended with retrospective effect.

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल पर छोड़िये ना।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सब मांगों को एक साथ ले लें।

श्री सभापति : निर्णय इस प्रकार है, हां पक्ष ७८........

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितने ?

श्री सभापति : हां पक्ष ७८ और ना पक्ष २६ वोट हैं।

'Ayes' have it.

श्री मुरलीधर व्यास : डिविज़न के समय नाम चाहे थे। इसलिये नाम बतादें कि इधर कौन गये और उधर कौन गये; मालूम तो पड़े।

श्री सभापति : सदन की यह परम्परा नहीं है।

'Ayes' have it. The demand has been voted. मांग संख्या ३२ पारित हुई।

मांग संख्या ३३-लेखन सामग्री तथा मुद्रण

प्रश्न यह है....(व्यवधान) ऑर्डर प्लीज़।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के

(श्री सभापति)

सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६६,०४,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ३४ वन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६१,७२,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ३६–अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ७६–अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४५,५४,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

. मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ३७-असाधारण व्यय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३७, मुख्य शीर्षक ७७-असाधारण व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,५०,०००) रु० हजार तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या ३८-भूमिधारकों इत्यादि सम्बन्धी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ९२–भूमिधारकों इत्यादि को जागीर-दारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप हानि पूर्ति देय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,००,००,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

(हां और ना की सम्मिलित आवाजें)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): 'ना' पक्ष जीता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): 'ना' पक्ष जीता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : 'ना' पक्ष जीता ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : 'Noes' have it Sir.

श्री सभापति : Do you claim division ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : हां साहब, डिवीजन हो ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : Point of order, Sir.

Page No 102

श्री मुरलीधर व्यास : डिवीजन होना चाहिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : We claim division.

श्री सभापति : One at a time please.

श्री रामानन्द अग्रवाल : We claim division, Sir, on this question.

श्री सभापति : If the Hon'ble Members co-operate I would like again to ask them to rise in their seats.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : डिवीज़न होना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डिवीज़न होना चाहिये, we claim division, Sir.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : Point of Order, Sir., if a division is claimed the Ohair puts the question once again.

श्री सभापति : इसके पहले, पन्द्रह मिनट और अधिक बढ़ाये जाते हैं यानी आध घंटा तक समय बढ़ाया जाता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : खड़े होकर ठीक रहेगा, साहब।

श्री सभापति : Order please ! I will once again put it to voice vote.

(मत-विभाजन घंटी)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६२-भूमिधारकों इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप हानि पूर्ति देय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३ करोड़ रुपयों तक की राशि प्रदान की जाय ?

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : No, Sir.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 'Noes' have it, Sir.

श्री मुरलीधर व्यास : डिवीज़न करके देख लीजिये। है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इधर से भी कइयों ने 'No' किया है।

श्री मानसिंह महार : डिवीज़न होना चाहिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : The Hon'ble Members should be asked to stand in their chairs.

श्री मुरलीधर व्यास : हम तो डिवीज़न चाहते हैं।

श्री सभापति : Order please. !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बहुत से लोग इधर से शरमाते हैं।

श्री सभापति : It is within the discretion of the Chair that if it thinks that Hon'ble Members are claiming divi-

(श्री सभापति).

sion unnecessarily the chair can ask the Members to rise in their seats. Hence; I would request those Members who are opposed to this demand to rise in their seats.

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने के पश्चात्)

From this rising it is apparent that 'Ayes' have it. मांग संख्या ३८ स्वीकृत ।

मांग संख्या ३६-जन-स्वास्थ्य

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६४-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३५,६०,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४०-कृषि उन्नति इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १५,६०,००० रुपये तक की राशि प्रदानकी जाये ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४१—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८८,५८,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक :

६८-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत,

६६-सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक)

के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १६,५४, १२,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार को गई ।

मांग संख्या ४३-सार्वजनिक निर्माण पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४३, मुख्य

(श्री सभापति)

शीर्षक १०३ सार्वजनिक निर्माण पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१-मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,६२,६५,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४४-अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०९ अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,५२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४५-सड़कों तथा जन-परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक ११४-सड़कों तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५२,२९,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४६-निवृत्ति वेतनों के लिये एक मुश्तदान का भुगतान

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२०-निवृत्ति वेतनों के लिये एक मुश्तदान का भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,४०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४७-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,४७,५९,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४८-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४८, मुख्य शीर्षक आ-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को

(श्री सभापति)

समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,८४,२६,-०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई)

(१.१८ म.प.)

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२

(पुरःस्थापन)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान एप्रोप्रिएशन (नम्बर २) बिल, १९६२ को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रिएशन (नम्बर २) बिल, १९६२....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): (श्री वित्तमंत्री से) आपने नम्बर २ नहीं बताया ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने कहा है ।

श्री सभापति : पुरःस्थापित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित किया जावे ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): सभापति महोदय, क्या इस पर अभी बहस प्रारम्भ होगी या कल ?

श्री सभापति : मेरे खयाल से बहस कल चालू हो सकती है ।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही म. प. १.२० बजे दिनांक २१ अप्रेल, १९६२ के ८ बजे प्रातः तक के लिये स्थगित हुई ।)

संक्षिप्त–विवरण

(शुक्रवार, २० अप्रेल, १९६२)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	४६७४	पत्थर के ठेके।	
राजकीय माध्यमिक शालाएँ।		चल-पुस्तकालय।	
उदयपुर जिले में चोरियों आदि के मामले।		निम्बाहेड़ा हाई स्कूल।	
बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ एकत्रित की गई धन राशि।		बीकानेर जिले के रेवेन्यू इन्सपेक्टर्स को ऊंट सवारकी सुविधा।	
प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन।		बिजली की इन्सपेक्शन फीस।	
		किश्तों की वसूली के सम्बन्ध में सहूलियत, आदि।	
तांबे का वितरण।		**अल्प काल सूचना प्रश्न**	
बस स्टेन्ड आदि बनाने की योजना (नाथद्वारा नगरपालिका)।		ग्राम शिराना (तहसील नीम का थाना) में लगी आग से क्षति।	
चारागाह की जमीन का सिवाय चक में परिवर्तन।			
विस्थापित परिवारों को ऋण।		**प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थान के लिये समय की वृद्धि**	४७३०
प्रधानों से परामर्श बिना स्थानान्तरण।			
लड़कियों के लिए कॉलेज।		श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री के प्रस्ताव पर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को दिनांक ३ मई, १९६२ तक बढ़ा दिया गया।	
टोंक में उद्योग स्थापन			
बसें।			
अकालग्रस्त क्षेत्रों में दी गई छूट की वसूली।			
विकास प्रदर्शनी पर व्यय।		**आय-व्यक, १९६२-६३**	

स्कम्भ

द्वितीय अवस्था--अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध ४७३१

उपरोक्त मांग पर बहस का उत्तर सरकार की ओर से श्री बरकतुल्ला-खां, स्वायत शासन मन्त्री, श्री परसराम मदेरणा, उप-मन्त्री, शिक्षा एवं श्री नाथूराम मिर्धा, मन्त्री, पंचायत विभाग द्वारा दिया गया। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

(२) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य ४७७३

उपरोक्त मांग श्री नाथूराम मिर्धा, सामुदायिक विकास मन्त्री द्वारा प्रस्तावित की गई। इस मांग पर ३४ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। सामुदायिक विकास मन्त्री के उत्तर के पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

मुखबंध ४८५५

तदुपरान्त मुखबंध (Guillotine) का प्रयोग किया जाकर निम्नांकित मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गईं:—

स्कम्भ

क्र. सं.	मांग सं०	मुख्य शीर्षक
१	२	३
१	१४	२७-वैज्ञानिक विभाग
२	१६	२६-चिकित्सा
३	३७	३०-जन-स्वास्थ्य
४	१०	२१-न्याय प्रशासन
५	६	१६-सामान्य प्रशासन
६	२७	५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य
		५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयन्त्र पर व्यय
		५२-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत
७	५	१३-अन्य कर और महसूल
८	६	१४-स्टाम्प्स
६	७	१५-पंजीयन शुल्क
१०	८	१८-संसद तथा राज्य विधान सभायें
११	११	२२-कारागार
१२	१३	२६-विविध विभाग

Page No 108

स्कम्भ

१३ १८ ३१-कृषि।

१४ १६ ३३-पशुपालन

१५ २० ३४-सहकारिता

१६ २३ ३८-श्रम और नियोजन

१७ २४ ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन

१८ २५ ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनायें

१६ २६ ४३-सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल — निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

४४-सिंचन, नौचालन, तट- बन्धन तथा जल — निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

४४-सिंचन, (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय

२० २८ ५७-सड़कें और जल परिवहन योजनायें

२१ २६ ६४-दुर्भिक्ष सहायता

२२ ३० ६५-अधिवार्षिक भत्ते और अन्य निवृत्ति लाभ

७२-निवृत्ति-वेतनों का एक मुश्त दान

२३ ३१ ६६-प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति-वेतन

२४ ३२ ६७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते (यह मांग सदन द्वारा विभाजन के पश्चात् स्वीकार की गई)

२५ ३३ ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण

२६ ३४ ७०-वन

२७ ३६ ७६-अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन

२८ ३७ ७७-असाधारण व्यय

२६ ३८ ६२-भूमिधारकों इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप हानि पूर्ति देय।

३० ३६ ६४-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

३१ ४० ६५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत

स्कम्भ

३२ ४१ ६६—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

३३ ४२ ६८—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत

६६—सिंचन, नौचालन तट बंधन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक)

३४ ४३ १०३ सार्वजनिक — निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत

३५ ४४ १०६ अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत

३६ ४५ ११४—सड़कों तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत

३७ ४६ १२०—निवृत्ति वेतनों के लिये एक मुश्तदान का भुगतान

स्कम्भ

३८ ४७ १२४—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत

३९ ४८ था—राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किया गया विधेयक

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मन्त्री ने सदन की आज्ञा के पश्चात् राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित किया।

तदुपरान्त सदन की बैठक १ बज कर २० मिनट पर, शनिवार, दिनांक २१ अप्रेल, १९६२ को प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

शनिवार, दिनांक २१ अप्रेल, १९६२ की कार्य-सूची

(१) राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२ पर औचित्य प्रश्न

(२) राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२ (विचार-विमर्श)

परिशिष्ट : १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २७६ का उत्तर देखिये)

Allotment of copper for the period April - September, 1960 to the small scale units of Rajasthan.

S. No. 1	Name and address of the unit. 2	Allotment in tons. 3
1.	Jaipur Metal Rolling Mills, Gangori Bazar Jaipur.	32. 98
2.	F. R. Metal Industries Ratanada, Industrial Area Jodhpur.	4. 23
3.	Rajasthan Metal works Harijan Basti, Bhilwara. (To be kept in abeyance)	10. 58.
4.	Jain Metal works, Near Railway Station, Nagaur.	22.05.
5.	Jodhpur zinc metal works, Ada Bazar, Jodhpur.	0.49
6.	A. Mukerjee & Co., Hathibabu ki kothi, Naya Ghat Road, Jaipur.	42.48.
7.	Banshi Metal Industries Sirehdeodi Bazar, Jaipur	1.64.
8.	Kasera Industrial cooperative society (Govindgarh, Ajmer).	8.19.
9.	Gandhi Metal Mills, near station, Pali.	14.64.
10.	General Gota Factory, Gangori Bazar, Jaipur.	1.35
11.	Agarwal Metal works, Bakshiji ka Chowk, Ramganj-Bazar, Jaipur.	0.55
12.	Gulabchand Chandmal Kasera, Sadon ki gali, Jodhpur.	0.24.
13.	Mangilal Ramdas, Sadon ka Bas, Jodhpur.	0.21.
14.	Ramlal Badrilal, Dabgaron ka Kua, Jodhpur.	0.21
15.	Madanlal Kesera, Dabgaron ka Kue, Jodhpur.	0.21.
16.	Beharilal Ramgopal, Katla Bazar, Jodhpur.	0.07.
17.	Abdul Hamid Dholi, Bewari, Udaipur.	0.24.

1	2	3
18.	Deva Industrial Corporation, Fae Sagar Road,Ajmer	5.63.
19.	Thatera Kansi Peetal Tamba Utpadak Sehkari Samiti, Limited, Pali.	0.73.
20.	Shankas & Haris, Ajmer Road, Kishangarh.	0.73.
21.	Kalyansahai Thatera, Nahargarh Road, Jaipur.	1.16.
22.	Jodhpur Thatera Utpadak Sahakari Samiti, Ghasmandi, Jodhpur.	0.73.
23.	Nathulal Phoolchand, Ganga Mandir, Bharatpur.	0.82.
24.	M/s Nanak Chand Bishambar Dayal Ganga Mandir, Bharatpur.	2.64
25.	M/s Balmukund Makhanlal, Gangamandir, Bharatpur.	0.98
26.	M/s Gyarsilal Gopal Das, Thateron ka Rasta, Jaipur.	1.17
27.	M/s Mundra Metal works, Rani Bazar, Industrial area, Bikaner.	0.05
28.	Syed Rehmat Ali Ahmad Ali, Bikaner.	0.04.
29.	Bhagwandass Banshilal, Jaipur.	0.88
30.	Guru Nanak Hast Nirman Sahkari Samiti, Jaipur.	5.39
31.	Bartan Utpadak Sahkari Samiti, Nagaur.	1.43
32.	Ramaballabh Mangilal, Nagaur.	0.40.
33.	Rajasingh Santsingh Sri Ganganagar.	0.98.
34.	Shah Engineering Private Ltd., Nirvanmarg Banipark, Jaipur.	2.79.
35.	Bartan Utpadak Sahkari Samiti Ltd.. Srimadhopur.	3.23.
36.	Rajasthan Electric Products Chandpole, Jaipur.	0.05.
37.	Kasera Bartan Utpadak Sahakari Samiti, Udaipur.	0.73,

1	2	3
38.	Laxmi Metal Industries, Johri Bazar, Jaipur.	8.27
39.	Rajasthan Metal Rolling Mills, Industrial area, Jodhpur,	11.74.
40.	Naraindas Shyam Sundar, Bhilwara.	0.49
41.	Moti Metal Industry, Bhilwara.	0.05.
42.	Gota Association, Naya Bazar, Ajmer.	2.94.
43.	Buchimal Ghasiram, Gangamandir, Bharatpur.	0.49.
44.	Ramchand Radheylal, Kasera Gangamandir, Bharatpur.	0.49.
45.	Bartan Utpadak Sahkari Samiti, Sawai Madhopur.	0.98.
46.	Injecto Industrial Estate, Jaipur.	8.80.
47.	Non-ferrous Metal Extrusion Industry, Industrial Estate, Jaipur.	9.50.
48.	Tondan Bros, Rajasthan Electric Industries, Jaipur.	4.50.
49.	Rajasthan Electric Industries Jaipur, Ind. Estate.	9.00.
50.	Indo-Eastern Trading Co., Industrial Estate, Kota.	13.73.
51.	Hindustan Radioators, Jodhpur.	1.25.
52.	Industrial Metalproducts Cooperative Society, Jodhpur.	1.75.
53.	Kapiladev Kak, Jodhpur.	1.00.
54.	Parekh Gota Factory, Pali.	1.00
55.	Rajasthan Band Manufacturing Co., Jaipur.	1.00
56.	Arun Industries, Sansar Villa, M. I. Road, Jaipur.	2.00
57.	Mahesh Engineering Works, Phul Niwas, Ajmer.	2.00
58.	Sharuram Chandar Prakash, Jaipur.	0.05

1	2	3
59.	Ramesh Iron Foundry, Bharatpur.	0.05
60.	Dwarka Prasad Hari Prasad, Jodhpur.	0.05
61.	Kishanlal Gulabchand, Alwar.	0.50
62.	Gyarsiram Balabux, Alwar.	1.00
63.	Bartan Nirman Sahkari Samiti, Bhilwara.	1.00
	Total :	250.00

PERIOD (OCTOBER—MARCH, 1961)

1.	M/s. F. R. Metal Industries Ratanada, Industrial Area, Jodhpur.	4.23
2.	M/s. Jaipur Metal Rolling Mills, Gangori Bazar, Jaipur.	32.98
3.	M/s. Rajasthan Metal Works, Harijan Basti, Bhilwara.	10.58
4.	M/s. Jain Metal Works, Nagaur.	2.05
5.	M/s. Jodhpur Zinc Metal Works, Ada Bazar, Jodhpur.	0.49
6.	M/s. A. Mukerjee and Co., Naya Ghat Road, Jaipur.	42.48
7.	M/s. Bartan Nirman Utpadak Sahkari Samiti, Bhilwara.	5.80
8.	M/s. Banshi Metal Industries Sireh Deodi Bazar, Jaipur.	5.00
9.	M/s. Kasera Cooperative Society Govindgarh (Ajmer).	6.68
10.	M/s. General Gota Factory, Gangori Bazar, Jaipur.	1.35
11.	M/s. Gandhi Metal Works, Pali.	11.07
12.	M/s. Laxmi Metal Industries, Johari Bazar, Jaipur.	20.00
13.	M/s. Deva Industrial Corporation, Faisagar Road, Ajmer.	4.33
14.	M/s. Shanks and Haris Ajmer Road, Kishangarh.	0.73
15.	M/s. Kalyan Shahai, Nahargarh Road, Jaipur.	1.00
16.	M/s. Gyarsi Lal Gopal Das, Thathero ka Mohalla, Jaipur.	1.00
17.	M/s. Mundhara Metal Works, Industrial Area, Bikaner.	0.05
18.	M/s. Guru Nanak Hast Nirman Sahkari Samiti, Pitaliyonka Chowk, Jaipur.	4.39
19.	M/s. Bartan Utpadak Shahkari Samiti, Nagaur.	1.00
20.	M/s. Rajasthan Electric Industries, Industrial Estate, Jaipur.	10.00
21.	M/s. Tondon Brothers, Industrial Estate, Jaipur.	10.00
22.	M/s. Shah Engineering (P.) Ltd., Nirman Rasta, Jaipur.	2.79

1	2	3
23.	M/s. Rajasthan Electric Products (P.) Ltd., Chandpole Bazar, Jaipur.	0.50
24.	M/s. Bartan Utpadak Shahkari Samiti, Sri Madhopur.	2.23
25.	M/s. Rajasthan Metal Rolling Mill, Industrial Area, Jodhpur.	20.00
26.	M/s. Moti Metal Industries, Bhilwara.	8.35
27.	M/s. Gyarsi Ram Balabux, Alwar.	1.00
28.	M/s. Non-ferous Metal Extrusion Industries, Industrial Estate, Jaipur.	10.25
29.	M/s. Indo Engineering Trading Co. (P.) Ltd., Industrial Estate, Kota.	22.50
30.	M/s. Hindustan Radiators, Jodhpur.	1.25
31.	M/s. Rajasthan Industrial Metal Products Cooperative Society, Nimaj House, Jodhpur.	1.75
32.	M/s. Rajasthan Bank Mfg. Co., Moti Dungari Road, Jaipur.	1.00
33.	M/s. Arun Industries Sansarvilla, M. I. Road, Jaipur.	2.00
34.	M/s. Mahesh Engineering works, Ful Niwas, Ajmer.	4.00
35.	M/s. Ramesh Iron Foundry, Bharatpur.	0.05
36.	M/s. Injecto Industrial Estate, Jaipur.	1.00
37.	M/s. Kapil Dev Kak, Jodhpur.	4.00
38.	M/s. Prakash Gota Factory, Pali.	1.00
39.	M/s. New India Industrial Corporation.	5.17
40.	M/s. Bhilwara Brass Ware Mfg. Association, Bhilwara.	8.00
41.	M/s. Bajrang Lal Radheyshyam, Bhilwara.	1.50
42.	M/s. Raj Hans Wire Industries, Industrial Estate, Makhupura.	4.00
43.	M/s. Principal, Alwar Polytechnic, Alwar.	0.10
44.	M/s. Gota Association, Ajmer.	5.00
45.	M/s. Janta Wire Factory, Churu.	0.50
46.	M/s. Shabhu Lal Banshi Lal, Naya Bazar, Ajmer.	1.00
47.	M/s. Rajasthan Bala Gota Factory, Jodhpur.	0.50
48.	M/s. Laxmi Wire Cable Works, Churu.	0.75
49.	M/s. Jt. Director, Handicrafts, Jaipur.	1.00
50.	M/s. Kataria Products, Doogar Building, Jaipur.	0.60
	Total :-	305.00

1	2	3
	(PERIOD APRIL—SEPT., 1961)	
1.	M/s. Nathilal Phulchand Ganga Mandir Utensils, Bharatpur.	1.45
2.	M/s. Balmukand Makhanlal, Ganga Mandir, Bharatpur.	4.00
3.	M/s. Nanakchand Bishambar Dayal, Bharatpur.	3.25
4.	M/s. Buchimal Ghasiram (to be kept in abeyance), Bharatpur.	0.75
5.	M/s Sawai Madhopur Bartan Utpadak Sahkari Samiti, Sawai Madhopur.	1.00
6.	M/s Indo Engineering Trading (P) Ltd., Industrial Estate, Kata.	28.00
7.	M/s Rajasthan Metal Works, Harijan Basti, Bhilwara.	13.25
8.	M/s Abdul Hamid, Dholi Dawari, Udaipur.	1.00
9.	M/s Moti Metal Industries, Bhilwara.	6.00
10.	M/s Bhilwara Brass Wire Mfg. Association, Bhilwara.	9.50
11.	M/s Jain Metal Works, Nagaur.	27.50
12.	M/s F. R. Metal Industries Ratanada Road, Industrial Area, Jodhpur.	16.00
13.	M/s Gandhi Metal works, Pali.	16.00
14.	M/s Gulabchand Chandmal Kasera, Sadon ki Gali, Jodhpur.	1.00
15.	M/s Mangilal Ramdass Kasera Sadon ki Gali, Jodhpur.	0.90
16.	M/s Ramlal Badrilal Dabguron-ka-kuwa, Jodhpur.	0.88
17.	M/s Madanlal Kasera Dabgron ka kuwa, Jodhpur.	0.88
18.	M/s Thatera Kansi Pital, Tambo Utpadak Sahkari Samiti, Pali.	1.25
19.	M/s Jodhpur Thatera Utpadak Sahkari, Samiti, Ghas Mandi, Jodhpur.	1.25
20.	M/s Bartan Utpadak Sahkari Samiti, Nagaur.	2.30
21.	M/s Ram Ballabh Mangilal Nagaur.	0.75
22.	M/s Rajasthan Metal Rolling Mills, Industrial Area, Jodhpur.	23.50
23.	M/s Kasturi Metal Stores, Jalore.	9.00
24.	M/s Azad Metal Stores, Bikaner.	0.50
25.	M/s Zinc Metal works, Ada Bazar, Jodhpur.	1.00
26.	M/s Hindustan Radiators, Jodhpur.	1.50
27.	M/s Rajasthan Industrial Metal Products Co-operative Society, Nimaj House, Jodhpur.	1.25
28.	M/s Parakh Gota Factory, Pali.	1.25
29.	M/s Rajasthan Badla Gota Factory, Jodhpur.	1.25
30.	M/s Kapil Dev Kak, Jodhpur Rajasthan Elec. conductors Mfg. Corp. Jodhpur.	5.00
31.	M/s Jaipur Metal Rolling Mills, Gangori Bazar, Jaipur.	40.50
32.	M/s A. Mukerji & Co., Naya Ghat Road, Jaipur.	76.00
33.	M/s Laxmi Metal Industries, Johari Bazar, Jaipur.	23.50

1	2	3
34.	M/s Gyarsilal Gopal Dass, Thathera ka Mohala, Jaipur.	2.25
35.	M/s Guru Nanak Haste Nirman Sahkari Samiti Piteliyon ka Chowk, Jaipur.	6.50
36.	M/s. Bhagwanlal Bansilal Bhaton-ki-Gali, Sireo Deodhi Bazar, Jaipur.	1.00
37.	M/s. Kishanlal Gulabchand, Alwar.	0.60
38.	M/s. Gyarsiram Balabux, Alwar.	1.10
39.	M/s. Bansi Metal Industries, Sireo Deodhi Bazar, Jaipur.	4.00
40.	M/s. General Gota Factory, Gangori Bazar, Jaipur.	1.62
41.	M/s. Man Industrial Corporation, Jaipur.	10.00
42.	M/s. Baitan Cables-Ltd., Industries Estate, Jaipur.	13.60
43.	M/s. Extrusion Industries Private Ltd., Jaipur (Industrial Estate).	12.25
44.	M/s. Rajasthan Band Mfg. Co., Moti Dungri Road, Jaipur.	1.20
45.	M/s. Mahesh Engineering Works, Ful Niwas, Ajmer.	5.00
46.	M/s. New India Industrial Corp., Industrial Estate, Jaipur.	11.20
47.	M/s. Rajasthan Wire Industries, Industrial Estate, Makhupura, Ajmer.	5.00
48.	M/s. Sambhulal Bansilal, Naya Bazar, Ajmer.	1.20
49.	M/s. Superintendent Weights & Measures, Jaipur.	12.00
50.	M/s. Shriram Chandra Prakash, Jaipur.	0.10
51.	M/s. Dwarka Prasad Hari Prashad, Jaipur.	0.10
52.	M/s. Kasera Cooperative Society, Govindgarh, Ajmer.	8.43
53.	M/s. Raja Singh Sant Singh, Ganganagar.	1.60
54.	M/s. Deva Industries Corp., Ajmer.	6.63
55.	M/s. Shanks & Haris, Ajmer Road, Kishangarh.	1.25
56.	M/s. Rajasthan Elec. Products, Chandpole Bazar, Jaipur.	0.60
57.	M/s. Gota Association Ajmer through District Industries & Handicrafts Association, Ajmer.	5.00
58.	M/s. Jt. Director, Industries Handicrafts Sections, Kishanpole Bazar, Jaipur.	6.00 (This quantity to be released to the parties as per list to be furnished by the Jt. Director, Handicrafts).

1	2	3
59.	M/s. Meenakshi Industries, Behind Phuta Khura, Jaipur.	0.40
60.	M/s. Laxmi Machine tools, Ashoka Nagar, Jaipur.	2.00
61.	M/s. Sarda Industries Private Ltd., Khetan Bhawan, Jaipur.	-
62.	M/s. Eastern Commodities, (P.) Ltd., Ashok Marg, 'C' Scheme, Jaipur.	1.50
63.	M/s. Assewa Industries 1/86 Ghas Ketla, Naya Bazar, Ajmer.	0.50
64.	M/s. Toshniwal Instruments Kutchery Road, Ajmer.	2.40
65.	M/s. Hindustan Foundry & Eng. Works, Adarshnagar, Jaipur.	1.50
66.	M/s. Gadhia Gota Factory, Pali.	0.50
67.	M/s. Government Industries Workshop, Nagaur.	1.50
68.	M/s. Associated Iron & Steel Industries, Ramganj Mandi, Kota.	-
69.	M/s. New Light Arts Works, Hospital Road, Jodhpur.	0.06
70.	M/s. Shah Engineering Private Ltd., Nirman Rasta, Jaipur.	4.00
71.	M/s. Bartan Utpadak Sahkari Samiti, Bhilwara.	7.31
72.	M/s. Assomet Industries Private Ltd., Udaipur.	3.00
73.	M/s. Shri Nathji Metal Works, Nathdwara.	3.00
74.	M/s. Deep Industrial Commercial Corporation, Old Station Road, Alwar.	3.00
75.	M/s. Laxmi Gota Factory, Tonk.	0.50
76.	M/s. Laxmi Wire & Cable Works, Churu.	3.00
77.	M/s. Shri Krishna Oil & Metal Industries, Sri Madhopur.	2.64
78.	M/s. Jaipur Cycle & Parts Industries, Shri ji ki Mori, Jaipur.	0.50
79.	M/s. Rajasthan Optiks, Bissan House, Jaipur.	0.50
80.	M/s. Rajasthan Elec. Industries, Industrial Estate, Jaipur.	10.00
81.	M/s. Katariya Products, Doogar Building, M. I. Road, Jaipur.	2.00
82.	M/s. Motilal Omprakash Ind. Area., Jhotwara, Jaipur.	1.00
83.	M/s. Kalyana Sahai Thatera, Near Pareek Pathshala, Nahargarh Road, Jaipur.	1.00
84.	M/s. Moti Metal Industries, Industrial Estate, Bhilwara.	0.25
85.	M/s. Kishanchand & Co., C/o. Jaipur Motor Co., M. I. Road, Jaipur.	1.00
86.	M/s. Khandela Gota Manufacturers Association, Khandela, Sikar.	1.50
	Total.	500.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २८४ का उत्तर देखिए)

सन् १९६०–६१ में अभाव ग्रस्त घोषित तहसीलें

नाम जिला	खरीफ	रबी
१	२	३
१. बाड़मेर	१. बाड़मेर	
	२. चौहतन	
	३. शिव	
	४. सिवाना	
	५. पचपदरा	
२. नागोर	१. नागोर	
	२. जायल	
	३. डीडवाना	
	४. लांडनू	
	५. मेड़ता	
	६. डेगाना	
३. उदयपुर	१. सलूम्बर	१. देवगढ़
	२. सराड़ा	२. भीम
	३. लसाड़िया	३. फलासिया (झाड़ोल)
	४. खैरवाड़ा	४. आमेट
		५. कोटड़ा
		६. सराड़ा
		७. लसाड़िया
		८. सलूम्बर
		९. गिरवा
		१०. गोगुन्दा
		११. खेरवाड़ा

१	२	३
४. अजमेर	१. ब्यावर	१. रूपनगढ़
		२. किशनगढ़
		३. अराई
		४. ब्यावर
५. भीलवाड़ा		१. आसिन्द
६. भरतपुर		१. राजाखेड़ा
७. बून्दी		१. बून्दी
८. जैसलमेर	१. जैसलमेर	
	२. नाचना	
	३. पोकरण	
	४. राम	
	५. रामगढ़	
	६. फतहगढ़	
९. पाली	१. पाली	१. पाली
	२. जैतारण	२. जैतारण
	३. सोजत	३. सोजत
	४. रायपुर	४. रायपुर
	५. खारची	
१०. जालोर	१. जसवन्तपुर	
	२. जालोर	
	३. आहोर	
११. जोधपुर	१. जोधपुर	
	२. बिलाड़ा	
	३. ओसियां	
	४. फलोदी	
	५. शेरगढ	
१२. बीकानेर	१. बीकानेर	
	२. लूणकरणसर	

१	२	३
	३. नोखा	
	४. कोलायत	
१३. बांसवाड़ा	१. कुशलगढ़	
	२. बागीडोरा	
	३. घाटोल	
	४. गढ़ी	
१४. डूंगरपुर	१. डूंगरपुर	
	२. सागवाड़ा	
	३. आसपुर	
१५. चुरू	१. डूंगरगढ़	
	२. सरदारशहर	
	३. सुजानगढ़	
	४. रतनगढ़	
१६. टोंक	१. टोडारायसिंह	१. टोडारायसिंह
	२. मालपुरा	२. मालपुरा
१७. जयपुर	१. दूदू	१. दूदू
	२. फुलेरा	२. सांभर
१८. झुन्झुनूं	१. झुन्झुनूं	
	२. उदयपुर	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २८५ का उत्तर देखिये)

EXPENDITURE ON UDAIPUR EXHIBITION-1962.

(i) GENERAL EXPENDITURE

1.	Construction.........	Rs. 5,000.00 (by P. W. D)
2.	Electric fitting	Rs. 19,484.80
3.	Electric consumption	Rs. 8,071.47
4.	Display and Decoration	Rs. 11,401.80
5.	Transportation charges	Rs. 4,410.51
6.	Cultural activities	Rs. 1,482.52
7.	Labour, Carpenter and Booking clerks etc.	Rs. 5,666.00
8.	Misce.	Rs. 4,334.97
9.	Advertisement	Rs. 1,571.25
10.	Transportation	Rs. 189.44
	Total	Rs. 62,682.76

2. PUBLIC RELATIONS DIRECTORATE PAVILION.

1.	Rajasthan Daraban	Rs. 3,150.00
2.	Rajasthan Chitron men	Rs. 1,693.75
3.	Ajmer Stall	Rs. 2,193.94
4.	Banswara stall	Rs. 1,708.97
5.	Alwar stall	Rs. 699.23
		Rs. 9,445.94

3. D. A. AND T. A.

1.	Bhilwara	Rs. 225.64
2.	Banswara	Rs. 290.00
3.	Dungarpur	Rs. 206.00
4.	Ajmer	Rs. 188.00
5.	Chittorgarh (App)	Rs. 100.00
6.	Haad Office (App)	Rs. 1,500.00
		Rs. 2,509.64

४६०४]

परिशिष्ट ४

बनेड़ा में विशाल किसान सम्मेलन

(कार्तिक बदी ६, शुक्रवार, ता० १४-१०-६०-दिन को २ बजे)

मुख्य मंत्री श्री सुखाड़ियाजी द्वारा उद्घाटन

बनेड़ा तहसील भर की जनता और किसान भाइयों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि दिनांक १४-१०-६० ई०, कार्तिक बदी ६, शुक्रवार को बनेड़ा में जिला कांग्रेस के तत्वावधान में विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन जिया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रान्त के माननीय मुख्य मंत्री श्री मोहनलालजी सुखाड़िया के करकमलों द्वारा होगा।

सम्मेलन में सहकारी खेती, पानी की कमी के कारण नहर लाने पर, जावरिया बांध बांधने पर, चरणोट भूमि अलॉटमेंट, बनेड़ा में व रायला में पानी का नल लगाने पर, बिजली, हायर सेकिण्डरी स्कूल बनेड़ा में बनाने बाबत, औषधालय खुलवाने के वास्ते और अन्य समस्याओं पर विचार किया जावेगा।

अत: आप से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस सम्मेलन में बनेड़ा में उपरोक्त तिथि पर आने का कष्ट करें और सम्मेलन को सफल बनाने में पूरा २ योग प्रदान करें।

निवेदक

कल्याणमल धायभाई	तेजमल बापना	कस्तूरचन्द जैन
प्रधान	एम. एल. ए.	अध्यक्ष,
पंचायत समिति, बनेड़ा	बनेड़ा-कोटड़ी क्षेत्र	मण्डल कांग्रेस, बनेड़ा

कार्यालय पंचायत समिति बनेड़ा

कार्यवाही जनरल बैठक दिनांक ४--१० १९६०

आज दिनांक ४--१०–६० को पंचायत समिति की मासिक जनरल बैठक श्री कल्याणमल धायभाई की अध्यक्षता में ११ बजे आरंभ हुई। इस बैठक में कुल २३ सदस्य उपस्थित थे तथा जिला स्तर से श्रीमान् जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी व सहायक जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला समाज शिक्षा अधिकारी व अल्पबचत योजना अधिकारी भी उपस्थित थे।

सर्व प्रथम विकास अधिकारी ने गत माह की मासिक जनरल बैठक दिनांक ४–९–६० की कार्यवाही को पढ़ कर सुनाया। इस पर माननीय सदस्य श्री माधोसिंह ने यह आपत्ति उठाई कि आयुर्वेदिक औषधालय बनेड़ा में खोलने का जो प्रस्ताव गत माह की जनरल बैठक में पास हुआ था वह सर्व सम्मति से न होकर बहुमत से पास हुआ था, क्योंकि मैं उसमें सहमत नहीं था। अतः सर्व सम्मति से पास हुआ न लिखा जाकर बहुमत से पास हुआ लिखा जाये। इसको स्वीकृति सदन से ली जाकर गत बैठक की कार्यवाही में आयुर्वेद औषधालय बनेड़ा का प्रस्ताव बहुमत से पास किये जाने की स्वीकृति दे दी गई। बाकी बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। इसके पश्चात् विकास अधिकारी ने गत माह की स्थाई समिति नं० १–२ व ३ की बैठकों की कार्यवाहियों को पढ़ कर सुनाया जिसका अनुमोदन किया।

इसके पश्चात् विकास अधिकारी ने स्थाई समिति नं० ३ के प्रस्ताव प्राथमिक पाठशालाओं की खेलकूद प्रतियोगिता के लिये २०) रुपया प्रति ग्राम पंचायत से दिलाने बाबत दी गई स्वीकृति को पेश किया जिसका अनुमोदन किया गया।

इसके पश्चात् विकास अधिकारी ने स्थाई समिति नं० ३ का प्रस्ताव श्री ओवरसियर का वेतन व भत्ता गत वर्ष की तदर्थ अनुदान की बचत रकम २,००० हजार में से देने का प्रस्ताव पेश किया जो सर्व सम्मति से पास किया गया। इसके अलावा विकास अधिकारी ने स्थाई समिति के प्रस्ताव भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी रखने बाबत पेश किया। विचार–विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि इस पंचायत समिति में भेड़ों की संख्या ५०,००० हजार से ऊपर है अतः भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी रखा जाना आवश्यक है। इसके लिये सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी के लिए संबंधित विभाग से मांग दी जाये।

इसके पश्चात् विकास अधिकारी ने स्थाई समिति नं० ३ का प्रस्ताव बनेड़ा पंचायत समिति भवन, तहसील कार्यालय और पुलिस स्टेशन के लिये ली गई जमीन के बीच कीचक के मन्दिर के पास वाली जमीन एक्वायर करने का प्रस्ताव पेश किया। विचार–विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि कीचक के मन्दिर के पास वाली जमीन पंचायत समिति भवन बनाने के लिये उपयुक्त है, अतः इसको एक्वायर करने के लिये।

इसके पश्चात् विकास अधिकारी ने श्री उदयलाल लाड़ का प्रस्ताव बनेड़ा में तारीख १४-१०-६० को ग्राम पंचायत, बनेड़ा के उद्घाटन श्रीमान् मुख्य मंत्री श्री मोहनलालजी सुखाड़िया के द्वारा होने जा रहा है, उस रोज पंचायत समिति, बनेड़ा की तरफ से पंच एवं सरपंच सम्मेलन करने बाबत पेश किया। इसका अनुमोदन श्री रायमल ने किया। विचार-विमर्श के बाद पंच एवं सरपंच सम्मेलन दिनांक १४-१०-६० को रखने का निश्चय किया गया और इसका उद्घाटन श्रीमान् मुख्य मंत्रीजी साहब, राजस्थान के कर कमलों द्वारा करवाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया तथा इस सम्मेलन में खर्च के लिये ५०० रुपयों की मंजूरी भू-राजस्व या हुण्डी के ठेके की आमद में से खर्च करने की स्वीकृति सर्व सम्मति से दी गई।

इसके पश्चात् प्रधान श्री कल्याणमल धायभाई ने दिनांक १४-१०-६० को श्रीमान् मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान के बनेड़ा ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन के लिये आते समय एक किसान सम्मेलन आयोजित किया जाने का प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन श्री उदयलाल लाड़ ने किया और विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि किसान सम्मेलन भी इस अवसर पर होना आवश्यक है, जिससे कि किसानों की समस्याओं का समाधान श्रीमान् मुख्य मंत्रीजी साहब द्वारा हो सके। यह निर्णय बहुमत से स्वीकार किया गया तथा इसकी व्यवस्था व अन्य खर्चे हेतु प्रति ग्राम पंचायत से १००) सौ रुपये देने की सिफारिश की गई। यह रुपया श्री कजोड़, सरपंच, ग्राम पंचायत, वरण के पास जमा करवाये जावें। इसका भी समर्थन बहुमत से किया गया।

इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

ह: प्रधान
पंचायत समिति बनेड़ा

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक २० अप्रेल, १६६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४६७५	अंतिम से २	धन-राशी	धन-राशि
४६७६	६	उदयपु	उदयपुर
४६८०	८	श्री विजयसिंह भाला	श्री विजयसिंह झाला
४६८१	अन्तिम से २	निमित	निर्मित
४७१५	अंतिम में	fixeed	fixed
४७१८	,,	माना या है नहीं ?	माना है या नहीं ?
४७२१	अंतिम से ४	श्री रामकिशन वैर	श्री रामकिशन (वैर)
४७३५	अन्तिम से ३	करेंगे	कहेंगे
४७३७	अंतिम में	रुपये की	रुपये का
४७४२	१६	लिल्ट	लिस्ट
४७४३	२१	है, क्या	है क्या
४७५१	२३	का करें,	की कार्यवाही करें,
४७५६	शीर्ष	(श्री परसराम मदेरणा)	(श्री परसराम मदेरणा)
४७७२	१२	कुछ माननीय कुछ	कुछ माननीय
,,	१६	सशीर्षक	शीर्षक
४७७४	,,	(नाथूराम मिर्धा)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
४७८५	२	कार्यान्विती	क्रियान्विती
,,	१६	समितियों	समितियां
४७८६	१०	सरपंचों	सरपंच
,,	२०	खर्चा	खर्चे
,,	२४	ज़ाय	जायं
,,	२७	हुआ	होता

१	२	३	४
४७८८	४ व ५	माने	मानें
४७९६	२३	Samiti, office file	Samiti's office file
४७९७	१४ व १८	डॉकूमेन्ट व डॉक्युमेन्ट्स	डॉक्यूमेन्टस
४८०८	२५	विकास	विकास योजना
४८०९	२५	हुआ	हुई
४८१२	१८	पाथमिक	प्राथमिक
४८१३	६	स्वावलम्त्री	स्वावलम्बी
४८१५	४	नाम	नाम
४८१७	१७	मन्त्रींजी	मन्त्रीजी
४८१८	५	एत्रसेन्ट	एत्रसेन्ट
,,	११	की	को
४८१९	२५	Sugestions	Suggestions
४८२५	२५	eonstrained	constrained
४८३३	१५	ooncedes	concedes
,,	१७	Bhairu Lal	Bhairav Lal
४८३४	१०	दूसरे, दूसरे	दूसरे दूसरे
४८३८	६	एक्सटेन्शन	शैडो
,,	११	विकास खड ?	विकास खंड
४८३३	७	श्री निरन्जननाथ आचार्य राजसमन्द)	श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द)
४८४०	अंतिम से २	बहूत	बहुत
४८४२	अन्तिम में	कीया	किया
४८४४	२३	कलेक्टरस	कलेक्टर्स
४८४५	१५	से । जांच की	से जांच की
४८४७	२५	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :
४८५०	१६	infromation,	information,

१	२	३	४
४८५५	शीर्षक	परियोजए	परियोजनाए
४८५६	शीर्ष		(श्री सभापति)
४८६२	२१ व १२	प्रयोजन	–परियोजना
४८६४	७ व १०	अधिवार्षिक,	अधिवार्षिकी,
,,	२०	बेतन	वेतन
४८६६	२५	writing as	writing know as
,,	अन्तिम में	ries	rise
४८६७	१६	१ करोड़ की मांग	१३ करोड़ की मांग
४८६६	१४	lolby	lobby
४८७७	२२	घंटा	घंटे
४८७८	१	chair	Chair
४८८१	३	एक मुश्तदान	एकमुश्त दान
४८८५	१३	उपस्थान	उपस्थापन
४८६१	६	विधेयक	विधेयक––४८८२
४८६५	शीर्षक	परिशीष्ट	परिशिष्ट
४६०१	,,	परिशिष्ट	परिशिष्ट